

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 754 बैठक दिनांक 20/05/2024 को डॉ. जय प्रकाश शुक्ला की को-चेयरमैनशिप आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे :-

1. श्री राघवेंद्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
5. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. **Case No. P2/776/24, P2/777/24, P2/778/24, P2/779/24, P2/753/24, P2/754/24, P2/755/24, P2/756/24, P2/757/24, P2/758/24, P2/759/24, P2/760/24, P2/761/24, P2/762/24, P2/763/24, P2/764/24, P2/765/24, P2/766/24, P2/780/24, P2/781/24, P2/782/24, P2/767/24, P2/768/24, P2/769/24, P2/770/24, P2/771/24, P2/772/24, P2/773/24, P2/774/24, P2/775/24, P2/752/24**

उपरोक्त उल्लेखित सभी प्रकरण क्रमांक (एजेण्डा के सरल क्रमांक 01 से 31 तक के प्रकरणों) निवाड़ी जिले के सभी खदानों आसपास ही स्थित है जिनको डिया से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है ।

समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि उपरोक्त सभी प्रकरण डिया से इसी प्राप्त हैं तथा इनके द्वारा उत्खनन कार्य किया जा रहा है। इन 31 खदानों का क्षेत्रफल लगभग 81 हेक्टेयर हो रहा है एवं पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि 25 और खदानें इसी कलस्टर में प्रस्तावित हैं जिनके दस्तावेज तैयार कर ऑनलाईन पोर्टल पर प्रस्तुत किये जा रहे हैं तथा इन सभी को मिलाकर कुल क्षेत्रफल लगभग 123 हेक्टेयर का कलस्टर निर्मित होगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि यह सभी खदाने आस-पास स्थापित हैं तथा कलस्टर में खनन कार्य किया जा रहा है जिससे खनिज परिवहन

## 754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 मई 2024

के दौरान ट्रांसपोर्टेशन लोड तथा ब्लास्टिंग का इम्पेक्ट असेसमेंट स्टडी क्यूमिलिटिव रूप से की जानी चाहिये ताकि ई.आई.ए. में वास्तविक पर्यावरणीय प्रभाव का आंकलन किया जा सके तथा तदनुसार पर्यावरणीय प्रबंधन योजना लागू की जा सके। समिति ने यह भी निर्णय लिया कि भविष्य में डिया से प्राप्त होने वाले ऐसे सभी बी-2 श्रेणी के प्रकरण जहाँ आस-पास अत्यधिक संख्या में खदाने एवं क़शर स्थापित हैं तथा उनके द्वारा खनन, ब्लास्टिंग, क़शिंग तथा परिवहन का कार्य कलस्टर में किया जा रहा है जिससे पर्यावरण प्रभावित होने की संभावना है को पर्यावरणीय संवेदनशीलता के आधार पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ओ.एम. क्रमांक जे-13012/12/2013-आईए-II (I) दिनांक 24/12/2013 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप बी-1 मानते हुये कलस्टर का टॉर जारी किया जाये जिससे खनिज परिवहन के दौरान क़शिंग, ट्रांसपोर्टेशन लोड तथा ब्लास्टिंग का क्यूमिलिटिव इम्पेक्ट असेसमेंट ई.आई.ए. में कर सम्पूर्ण कलस्टर हेतु समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन योजना लागू की जा सके जिससे उस क्षेत्र में भविष्य में पर्यावरण प्रदूषण की संभावना निर्मित न हो। इस प्रक्रिया में यदि सभी खदाने एकसाथ पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन करती हैं तो कलस्टर ईआईए बनने उनके समय की बचत भी होगी एवं सभी परियोजना प्रस्तावकों हेतु Economically Viable भी होगी। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05/2024 में लिये गये निर्णयानुसार निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है तथा भविष्य में इस कलस्टर में प्राप्त अन्य आवेदनों को भी इस कलस्टर का पार्ट मानते हुये समिति को अवगत कराते हुये निम्नानुसार स्टेण्डर्ड टॉर जारी किया जाये :-

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:

## 754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 मई 2024

16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
  - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
  - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
  - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
  - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
  - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
  - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे हों तो उनकी प्रजाति, ऊँचाई, गirth के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि ) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
22. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
23. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
24. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।
25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबैक छोड़ते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानों द्वारा लगाये गये बड़े पेड़ों को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड के एवज में किसानों को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री-अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6-6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

28. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
  29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
  30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान एवं कुमुलेटिव इम्पेक्ट स्टडी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
  31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
  32. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नहीं है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानों मे पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
  33. आंवटित खदान क्षेत्र यदि पूर्ण रूप से पथरीला हो तो प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा।
  34. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टैंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करे
  35. खदान क्षेत्र के अंदर यदि केशर प्लांट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलान एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
  36. प्रस्तावित चारागाह का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
  37. यदि लीज क्षेत्र में केशर प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।
  38. खदान क्षेत्र के आसपास स्थित हुये जीपीएस कोर्डिनेट्स के साथ भू-जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
  39. लीज एरिया खुदा हुआ हो तो माईन रिस्टोरेशन कार्य का प्रस्ताव ईएमपी में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
  40. सी.ई.आर. का ऑकलन स्थानीय स्तर पर किया जावे इस हेतु पंच, सरपंच, ग्राम सहायक, पटवारी तथा ए.न.एम. आदि से चर्चा की जावे।
  41. प्रस्तावित खदान के आस पास स्थित खदानों के नाम सहित विवरण प्रस्तुत करें।
  42. यदि प्रस्तावित खनन क्षेत्र चारागाह के अन्तर्गत है तो चारागाह हेतु स्थान निर्धारण कर प्रथम वर्ष में विकास कर 5 वर्ष तक रख-रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को प्रदान करने का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
- 32. Case No 10574/2023 M/s Samdariya Builders (Bhopal) Private Limited, Owner, House No. 16, Sunarhaai Chowk, Sarafa Bazar, Samdariya Abhushan Bhandar, Sarafa, Sarafa ward, Jabalpur, (MP)-482001, Prior Environment Clearance for Samdariya Gold Project in an area of 5.589 ha. (55890 Sq.M.), Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP) [434232].**

**Chronology of the case**

SEAC recommended this case in the SEAC meeting 716 meeting 23.04.2024  
SEIAA referred back this case vide meeting no. 846 meeting dated 25.04.24

प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 20/05/24 को रखा गया, जिसमें जिसमें परियोजना प्रस्तावक ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार Mr. Varun Bhardwaj & Ms. Rashmi Saraswat M/s Zenith Environment Consultancy, Noida (U.P.) उपस्थित हुए ।

SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान कन्सल्टन्ट ने बताया की जो पेड़ काटे गए हैं प्रोजेक्ट साइट पर, वो रेल्वे ने नगर निगम से पर्मिशन लेकर कटवाए हैं जिसका Ref & RLDA/2018/CRD/Bhopal/West/1862 dated 27.03.2024 समिति ने पाया कि रेल्वे द्वारा पेड़ नगर निगम कि अनुमति उपरान्त काटा गया है जो कि प्रोजेक्ट आवंटन के पूर्व क्रियान्वयन किया है जो कि बायलेशन के अंतगत नहीं आता है। इस संबंध में पर्यावरण सलाहकार द्वारा एक अंडर टेकिंग भी प्रस्तुत की गई ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन का संदर्भित ओ.एम. 29/03/22 के अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा भूमि कि सुरक्षा हेतु निम्न उपाये पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी मिलने के पूर्व किये जा सकते हैं।

- Fencing of the project site by boundary wall using civil construction, barbed wire or precast.
- Construction of temporary sheds.
- Provision of temporary electricity and water supply for project site/gaurds only.

The above activities shall be undertaken subject to the following:

I. The land should be in the legal possession of the PP and all statutory approvals in respect of the project site should have been obtained. In case of involvement of any forest land, no activity shall be initiated at the site till the Stage

II Forest Clearance is obtained under the relevant provisions of Forest (Conservation) Act, 1980. In case of applicability of Wildlife Clearance, necessary permission SCNVWL shall be obtained.

**III. In case of felling of trees if any, requisite permission from the Forest Department / Statutory Authorities of the concerned State Government shall be obtained.**

IV. The investment made by the Project Proponent on the above, in anticipation of the applicable clearances under the relevant provisions of the Acts/Rules, shall be entirely at the cost and risk of the proponent.

समिति ने कहा की इस प्रकार के केस SEIAA Refer Back न करे इन सब में गतिविधि में परियोजना प्रस्तावक के 3 महीने खराब हो गए हैं जिससे परियोजना प्रस्तावक को काफी नुकसान होता है

अतः समिति ने चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 716वीं बैठक दिनांक 23/04/24 में पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

**33. Case No 9391/2022 M/s Ganesh Stone Crusher, Shri Deepak Sharma, Prop., Ward No. 15, Samta Nagar, Post - Pendra Road, Dist. Bilaspur, Chhatisgarh - 495117, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.011 ha. (8000 Cum per annum) (Khasra No. 745), Village - Doniya, Tehsil - Pushprajgarh, Dist. Anuppur (MP)**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	मेसर्स गणेश स्टोन क्रेशन (प्रो. श्री दीपक शर्मा) निवासी – वार्ड नं 15, समता नगर, पेन्दा रोड, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	745 निजी भूमि	1.011 hectare.
स्थल	Village – Doniya, Tehsil – Pushprajgarh, District- Anuppur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनुपपुर के पत्र क्रमांक	

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

	97 / खनिज / 2021 दिनांक 24 / 01 / 2022 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	नॉन ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	<b>Query Reply</b>
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-8000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-8000 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 346 दिनांक 7 / 03 / 2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 4.936 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 58 दिनांक 04 / 04 / 2022 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला अनूपपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 58 दिनांक 04 / 04 / 2022. अनुसार 300 मीटर पर आबादी है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत दोनिया जिला अनूपपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 64 दिनांक 15 / 08 / 2020 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - 02 Additional tree to be planted - 1220
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- खनन क्षेत्र से 145 मी. एवं 135 मी. की दूरी पर 2 मकान है एवं अन्य बसाहट खनन क्षेत्र से 200 मी. के बाहर स्थित है ।
प्रस्तावि स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	दक्षिण दिशा- 2 खदान स्थित है
	पूर्व दिशा- 1 खदान, एवं 2 क्रेशर प्लांट और उनके रेस्ट शेल्टर बने हुए है । स्थित है एवं 90 मी पर गांव की सड़क है जहां से 10 मी. का सेटबेक छोड़ा गया है ।
	पश्चिम दिशा- खुला क्षेत्र हे
	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-40 के सरल क्रमांक-09 पर दर्ज है । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29 / 07 / 22 (प्रकरण

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

	में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
--	---

प्रकरण बैठक क्रमांक 605 दिनांक 10/11/22 एवं बैठक क्रमांक 608 दिनांक 08/12/22 प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं होने से है नस्तीबद्ध (Delist) करने की अनुशंसा की गई थी।

प्रकरण समिति की पूर्व 660वीं बैठक दिनांक 14/07/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । प्रकरण के परीक्षण के दौरान समिति ने पाया कि उत्खनन पट्टा का भू-स्वामित्व आदिवासी का है, अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है :-

1. पूर्व दिशा में कुछ शेड है जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह केशर मालिक द्वारा निर्मित किये श्रामिकों के शेल्टर है अतः इस संबंध में केशर मालिक का प्रमाणपत्र
2. उत्खनन पट्टा जिस तहसील का है उस नोटरी को संबंधित तहसील पुष्पराजगढ से न कराके कोतमा तहसील से कराया गया है।
3. उक्त उत्खनन पट्टा के अनुबंध अनुबंध 3.5 वर्ष पुराना है जिसकी पुष्टि जिलाध्याक्ष महोदय से नहीं कराई गई है ।
4. जिस आदिवासी की जमीन दी जा रही है उसका आर्थिक हित का उल्लेख नहीं है अतः नियमानुसार सभी अभिलेख प्रस्तुत करें ।

उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने पर पुनः समिति की पूर्व की 690वीं बैठक दिनांक 17/10/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ, जिमसे विवेचना करने पर पाया गया कि :-

- आदिवासी भू-स्वामी की भूमि अधिग्रहित करने हेतु एलआरसी एक्ट 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत की गई कार्यवाही प्रस्तुत नहीं की गई एवं प्रस्तावित भूमि की वास्तविक फोटोग्राफ्स भी प्रस्तुत नहीं किये गये है।
- म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
- म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।

## 754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 मई 2024

- प्रस्तावित भूमि की वास्तविक फोटोग्राफ्स ।

उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे आज दिनांक 20/05/24 के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री दीपक शर्मा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री डॉ राम प्रसाद एवं उनके प्रतिनिधि रईस पटेल FECCMC private limited, Bhopal. बैठक में उपस्थित हुए ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 8000 घनमीटर / वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 9,62,000/- एवं रिकरिंग राशि रु. 1,45,000/- प्रति वर्ष ।

S NO.	Particulars	Budget provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
1	Water tanker (4000 ltr) @Rs 200/day (PP owned tanker) for 300 days - Rs 60,000 + Diesel	60,000	20,000
2	Garland Drain (2.0 m Wide & 1.5 m Deep & 400m Long) and 2- Settling Tank is of 4 m wide, 10 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern.	80,000	8,000
3	Approach Road Maintenance, Sign Boards, Development of T-Point etc (300m. <b>in length x 6m in width</b> )	60,000	20,000
4	Monitoring twice a year . (AAQM @20000/yr, Water@10000/yr, Noise@10000/yr )	NIL	40,000
5	<b>Plantation ( 1300 plants/year will be planted)</b>		
	A. Within Lease Area (In Barrier Zone) @ 100 Rs./tree 500 no's)	50,000	5000
	B. Plant distribute to Villagers. (No.600 X40)	24,000	Nil
	C. Outside the Lease Area ( along approach road and village area) @200 Rs./tree (300 no's) with tree guard	60,000	8000
6	Wire fence 440m. (Rs500/m.), About 140m. Already completed.	150000	5000
7	PUC certification of vehicles (01 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	1000
8	Induction motor (5 HP ) with accessories for dewatering the pit	40,000	5,000
9	Drinking Water Facility and rest shelter (25x 15 ft.) with solar light	8,00,000	5,000

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

10	Toilets 2 nos. 12500 x 2	40,000	5,000
11	Occupational health checkup for 12 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 12	24000	2,000
12	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc 14x 2000)	28,000	5,000
<b>Emergency Rescue Plan</b>			
12	Wind breaking wall and Other equipment's for Dust control including safety arrangement.	2,00,000	5000
13	Fire Fighting Equipments (2 Nos.) @ 10000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	22,000	2,000
14	Safety signage and warning boards like red flags, cones etc.	5,000	2,000
<b>Solid Waste Management</b>			
15	a) Bins 4 Nos @ Rs 1000 each	4,000	5,000
	b) Pit and Composting	5000	
	c) Transport of Dry Waste	5,000	
16	Development of grazing land	5,000	2500
	<b>Total</b>	<b>9,62,000</b>	<b>1,45,000</b>

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 70,000/- लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम दोनिया प्राथमिक विकास केंद्र को अधोसंरचना विकास के लिए राशि 3 माह के भीतर पालक शिक्षक संघ के बैंक खाते में जमा कर दी जावेगी	70,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1220 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	काला सिरस, सागौन, नीम, खमेर, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	600
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	काला सिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय द्य ट्री-गार्ड के साथ	100
3	ग्राम डोनिया मे वृक्षारोपण	नीम कदम, पीपल, करंज एवं अशोक	200

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

	ग्रामपंचायत द्वारा मध्यप्रदेश सरकार की अंकुर योजना के अंतर्गत।		
4	ग्राम डोनिया मे वृक्षारोपण हेतु वितरण किया जाएगा	आम, कटहल, नीम, जामुन	200
5	ग्राम Maiki & Amliya मे वासियों में वितरण	जामुन, मुनगा, कटहल नीबू, महुआ अमरुद एवं नीम	120
		कुल वृक्षारोपण	1220
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।</p>			

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**34. Case No 9825/2023 Shri Shishupal Singh Yadav, Owner, R/o Village-Katakheda, Tehsil-Chanderi, District-Ashok Nagar (MP) Prior Environment Clearance for Katakheda Flagstone Quarry in an area of 1.975 ha. (2640 Cum per annum) (Khasra No. 29/2/1) Village-Katakheda, Tehsil-Chanderi, District-Ashok Nagar (MP)**

प्रकरण 739वीं बैठक दिनांक 23/04/24 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई थी ।

सिया की 849वीं बैठक दिनांक 14/05/24 भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07/05/24 में निम्नानुसार निर्देशित कार्यवाही “.....4. In brief of your snobr fitrvyion og Hon’ble National Green Tribunal, it is heareby directed that continuance of mining all over India under mining leases executed on the basis of ECs granted by DEIAA after 13/9/2018 is prohibited with the exception in respect of cases where S/ECs granted by DEIAA for such mining lease have been reappraised and found valid by SEIAA or fresh ECs have been granted by SEIAA..”

प्रस्तावित फर्शी पत्थर खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 20/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री शिशुपाल सिंह यादव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी ऑनलाईन मेसर्स ए.जी.एस. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि, दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि माननीय NGT के निर्देश अनुसार 13.09.20218, के बाद DEIAA द्वारा जारी EC को रिअप्राईजल में न लेते हुए फ्रेश में अप्लाई करने कहा गया है चूँकि हमारा केस न. 9825 का प्रपोजल नो 422459 है और ये केस 23 मार्च 2023 को अर्थात 15.01.2024 के पहले का अप्लाई है जब SOP नहीं आया था माननिय NGT के अनुसार ये जो केस है इस केस की DEIAA की EC 26-09-2018 को पत्र क्रमांक 107/DEIAA/2018 Date. 26-09-20218 जारी हुई है, इस कारन इस केस को परियोजना प्रस्तावक द्वारा रिअपराईजल में ना लेते हुए न्यू केस (फार्म-1) में अप्लाई किया गया है जो की परिवेश 1.0 पोर्टल पर देखा जा सकता है अतः अग्रिम कार्यवाही सिया स्तर से किये जाने का आग्रह है।

समिति का अभिमत है कि यह एक प्रशासकीय निर्णय हैं, अतः सिया अपने स्तर पर निर्णय लेवें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत विवरण पर समिति द्वारा पूर्व 739वीं बैठक दिनांक 23/04/2024 मे पर्यावरण स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

**35.Case No 11238/2024 Shri Abhishek Jain S/o Shri Abhay Kumar Jain, Lessee, R/o Village-Labriya, Tehsil-Sardarpur, District-Dhar (MP)-454111 Prior Environment Clearance for Bodiya Stone (Gitti) Quarry in an area of 2.00 ha. (14700 cum per year) (Khasra No. 1912), Village-Bodiya, Tehsil-Sardarpur, District-Dhar (MP) [435615] [DEIAA] (B2)**

प्रकरण समिति की 745वीं बैठक दिनांक 30/04/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।

प्रस्तावित खदान B2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 20/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक अभिषेक जैन, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	अभिषेक जैन निवासी लाबरिया, तहसील सरदारपुरा, जिला धार म.प्र.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1912 (नॉन फॉरेस्ट लैंड) 2.00 हेक्टयेर सरकारी भूमि
स्थल	ग्राम बोडिया, तहसील सरदारपुरा, जिला धार

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक - 16/उ.प.मा./न.क्र.-12/20/खनिज 2020-21, दिनांक 04.01.2021 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया धार के पत्र क्रमांक 127/DEIAA/2017 दिनांक 06.04.2017 के द्वारा पत्थर-14700 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
टॉर	लागू नहीं है ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर- 14700 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 14700 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1682/खनिज/2022-23 दिनांक 17.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में Nil अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 2.00 हे. होता है, अतः प्रकरण B2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1682/खनिज/2022-23 दिनांक 17.07.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने इनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1682/खनिज/2022-23 दिनांक 17.07.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदन गील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टे अन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बोडिया जिला धार के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 77 दिनांक 10.01.2024 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है एवं लीज के समीप स्थित है।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>● लीज में स्थित पेड़ों का विवरण 2</li> <li>● कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा</li> </ul>
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पश्चिम दिशा में 160 रिजर्वॉयर होने के कारण 40 मी. सेटबैक प्रस्तावित है एवं दक्षिणी पश्चिमी भाग में 130 मी पर रिजर्वॉयर होने के कारण 70 मी का सेटबैक प्रस्तावित है। सेटबैक देने के बाद खनन योग्य क्षेत्र 1.0658 हैक्टर उपलब्ध होगा।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- <b>38</b> के सरल क्रमांक- <b>13</b> पर दर्ज है।
जन सुनवाई	लागू नहीं है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया कि दक्षिणी पश्चिमी भाग में 130 मी पर रिजर्वॉयर होने के कारण 70 मी का सेटबैक दिया जाएगा सेटबैक देने के बाद खनन योग्य क्षेत्र 1.0658 हैक्टर रहेगा। उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं का समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई, जिसमें फेन्सिंग, गारलेण्ड ड्रेन एवं लीज में वृक्षारोपण आदि अपूर्ण पाया गया। पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 14700 घनमीटर/वर्ष पर्यावरण प्रबंधन योजना

क्रमांक	विवरण	पूँजी लागत (रुपये में)	आवर्ती लागत (रुपये में)
1.अ	हॉल रोड और ट्रांसपोर्ट रोड दोनों पर टैंकर स्पिंकलिंग सिस्टम से पानी का छिड़काव।	1,50,000	25,000
1.ब	पानी की कीमत 3.00KLD	-	75,000
2.	स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, टीप्वाइंट आदि -	2,50,000	40,000

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

	लंबाई) का विकासx चौड़ाई (Rs. 500/ मी के साथ 400 मी. की WBM एप्रोच रोड निर्माण		
3.	वृक्षारोपण	4,55,000	50,000
4.	निगरानी एएक्यूएम), शोर और पानी साल में दो बार ( @ रु। दो स्थानोंवर्ष के लिए/	-	1,38,000
5.	श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए पेयजल सुविधा 50-30/एक वाटर कूलर)श्रमिक @ रु . 10./000कूलरवर्ष/2000 .और रु ( रखरखाव के लिए।	10,000	2,000
6.	पुरुष और महिला के लिए अलग शौचालय @25000X2 और रु। रखरखाव के लिए / 3000 वर्ष।	50,000	6,000
7.	श्रमिकों और कर्मचारी की नियमित चिकित्सा जांच वर्ष में दो बार प्रति श्रमिक)500 रु(	-	10,000
8.	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशमन उपकरण @25000X2 और रु। /2000वर्ष रखरखाव के लिए।	50,000	4,000
9.	खनन कार्यों के लिए पीपीई @ रु / 1500कार्यकर्ता	-	15,000
10.	मजदूरों के लिए आश्रय कक्ष 400=(20*20)वर्ग फुट	50,000	5,000
11.	दो कूड़ेदान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का विकास @ रु/2000 प्रणाली और रु / 5000 .वर्ष रखरखाव।	10,000	4,000
12.	ट्रकों के लिए अर्धवार्षिक पीयूसी प्रमाणीकरण @/1000ट्रक	-	4,000
13.	विविध व्यय जैसे सोलर लाइट, (@/8000 प्रकाश ( ) वेब साइट विकास एवं रखरखाव@ रु . 5./000खननवेब कैमरा (, (प्रति कैमरा @ (3500 खदान के प्रवेश द्वार पर डिस्प्ले बोर्ड )@ /2000सूअर आदि (	64,000	5,000
14.	खदान के भीतर Catch drain and garland drains (dimensions 1.5 m X 1m) (लगभग 250 मीटर X Rs. 50/-) एवं siltation ponds (Nos. 6) (3.0 m X 1.5 m X 1.5 m) (Rs. 2,000 X Nos. 6 एवं मजदूरी	24,500	10,000

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

15.	खदान के परिधि में 250 मीटर की लम्बाई में फेन्सिंग की जाएगी )@ रु.5/00मीटरकी जाएगी(	1,25,000	25,000
16.	मजदूरों के लिए वीटी प्रशिक्षण न्यूनतम)@ 500 (श्रम/ रुपये	-	5,000
17	पट्टा क्षेत्र में मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र के खुदे 7.50 लंबाई)हुआ भाग का पुनःभरण किया जायेगाx चौड़ाई (Rs. 600/ मी के साथ 130 मीटर	78,000	
18	कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए निकट ग्राम LED डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी @500/LED X 40	20,000	
	<b>कुल योग</b>	13,36,500	4,23,000

2. पिट्स में बेंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावें।
3. माईन रिस्टोreshन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
4. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
- 5- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or ay environmental sensitivity.  
**"The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."**

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. .1.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम बोडिया के भासकीय विद्यालय मे अधोसंरचना विकास वित्तिय सहायता उपलब्ध की जाएगी।	1,40,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

क्रमांक	पौधों का प्रस्तावित स्थान	पौधों के नाम	मात्रा
1	हरित पट्टी (565मीटर) बेरियर जोन में तीन लाइनों में किया जायेगा	नीम, सीताफल, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सो आदि।	430
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड के दोनों ओर 1000मीटर 4 फीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	1000
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	970

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**36. Case No 11040/2023 Ms. Sunita Sahu, Lessee, R/o Bhagat Singh Ward, Multai, District-Betul (MP)-460661, Prior Environment Clearance for Jamgaon Stone Quarry in an area of 1.277 ha. (5076 cum per year) (Khasra No. 394, 429/2), Village-Jamgaon, Tehsil-Multai, District-Betul (MP) [435700] [DEIAA] (B2)**

पूर्व में इस प्रस्तावित खदान का समिति की बैठक क्रमांक 737 दिनांक 15 अप्रैल 2024 को को प्रकरण लगा था जिसमें की परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित थे ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्रीमती सुनीता साहू	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. 394 & 429/2 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	Hectare.1.277

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

स्थल	Village- Jamgaon Tehsil - Multai, District- Betul (M.P.).
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 1062 खनिज/17/1062 बैतूल दिनांक 30/08/2017 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग. प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण। B2
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 129/DEIAA/17 दिनांक 30/06/2017 के द्वारा पत्थर - 5076 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर	लागू नहीं
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर - Max. 5076 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार मिट्टी Max. 5076 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक/ख लि -1 /2023/1617 बैतूल दिनांक 05. 10.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 1.277 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक/ख लि -1 /2023/1617 बैतूल दिनांक 05. 10.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक/ख लि -1 /2023/1617 बैतूल दिनांक 05. 10.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला उपरोक्त में से ग्रामीण कच्चा रास्ता 500 मीटर की परिधि में स्थित है ।

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत जामगांव जिला बैतूल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 10 दिनांक 02.10.2016 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या-0
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा- खदान के पूर्व दिशा में मीटर पर शेड परिलक्षित हो रहा है जिसके बारे में परियोजना प्रस्ताव ने बताया की यह निजी भूमि पर बना पोल्ट्री फार्म है जो की जर्जर हालत में होने के कारन काफी समय से बंद है ना ही भविष्य में उपयोग हेतु बचा है उक्त के प्रमाणीकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा पोल्ट्री फार्म मालिक का शपथ पत्र एवं साक्ष्य फोटोज प्रस्तुत किया गया ।
	दक्षिण दिशा- उत्खनिपट्टे के ब्लॉक 1 के दक्षिण दिशा में लगभग 28 मीटर पर एक हॉल रोड गुजर रही जो की कोई ग्रामीण कच्ची सड़क नहीं है ।
	उत्तर दिशा- उत्खनिपट्टे के ब्लॉक 1 के उत्तर दिशा में एक बरसाती नाली गुजर रही है जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि नाली से 50 मीटर तक कोई खनन कार्य नहीं किया जावेगा जिसे प्रस्तुत मैप में दर्शाया गया है
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-39 के सरल क्रमांक-23 पर दर्ज है । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
जन सुनवाई	लागू नहीं

तत्पश्चात परियोजना प्रस्ताव ने परिवेश पोर्टल पर ए.डी.एस के माध्यम से प्रकरण पुनः लगाने का निवेदन किया एवं प्रकरण आज दिनांक 20/05/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है जिसमे परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सुनीता साह पति श्री सुभाष साहू ऑनलाईन जुड़े, एवं उनके पर्यावरणीय

## 754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 मई 2024

सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आयी.एन.सी, बड़ोदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया।

समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 40 प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई। बेरियर जोन खुदा हुआ है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	30 प्रतिशत गारलैंड ड्रेन पूर्व दिशा में बनी है शेष बाकी
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 80 पेड़ लगाये गये एवं 150 पौधे ग्रामवासियों को बांटे गए
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता – Stone – 5,076 m<sup>3</sup>/Year.
2. पुरानी ई.सी. की शर्तों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करें।
3. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्वोरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
4. In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. **"The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."**

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.24 लाख एवं रिकरिंग राशि रु.1.735 लाख प्रति वर्ष ।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
A.	<u>For environment Protection</u>		
		Capital	Recurring
1.	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days.	-	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1.0 m Deep & 600 m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 2. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 3. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep All settling tanks will be of double "S" pattern.	70,000	10,000
3	Contribution in maintenance of existing Road (Road length approximately 300 m, Width 5.5 m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 250/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	75,000	10,000
4	Monitoring twice a year AAQM @10000/yr, Water@5000/yr, Noise@3000/yr Soil@2000/yr	NIL	20,000
5.	Plantation (Total 1550 nos.)		
	A. Within Lease Area (In Barrier Zone) @150rs./tree 1 <sup>st</sup> year -up to ~355m periphery of Mine lease boundary (700 nos.)	1,05,000	20,000
	B. Outside the Lease Area (along approach road and village area) - 1 <sup>st</sup> year- 100 nos. on evacuation route both side (@ Rs. 500/tree) - 2 <sup>nd</sup> year- 50 nos. at Govt. school premises @ Rs 150 (as boundary wall is present there) - 1 <sup>st</sup> year- 700 nos. for distribution by nearby villagers (@ Rs 50/tree)	50,000 7,500 35000	20,000
	C. Sowing of the Local seeds species , Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain & Settling tank.	6,000	1000
	D. Soil & manure bought from out side @Rs 100/cubic meter, for plantation 0.343 cubic meter soil use for per tree. So 274.4 Cubic meter soil needed for no. of 800 trees	27,500	2,000

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

6	Total Wire Fencing = (~720m long) - {40% completed= 300 m} (60% Remaining to be installed = 420 @500 Rs./m)	210000	20,000
	Wind breaking wall : Total 100m long (per sheet 4m high X 2m long) (@Rs 1000/sheet) & dust suppression systems (15,000	50,000	
7	PUC certification of vehicles (1 Dumper@ Rs 500 per dumper)	-	500
<b>Labor Welfare</b>			
8	Maintenance existing Drinking Water Facility and rest shelter (15x 15 ft.) with solar light	10,000	5,000
9	Toilets 2 no. (Male & Female)	10,000	5,000
10	Occupational health checkup for 8 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	-	16,000
11	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc 8 x 2000) for workers. including 1 safety harness for the worker involved in blasting/drilling works - (@Rs 2000 per set)	18,000	5,000
<b>Emergency Rescue Plan</b>			
12	Fire Fighting Equipment (1 Nos.) @ 20000 / firefighting and first aid @ 2000 per kit	22,000	5,000
13	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	8,000	2,000
14	Distribution of the LeD bulbs to the nearby villagers for Carbon Sequestration 200 nos of bulb @Rs 100/bulb	20,000	
<b>Solid Waste Management</b>			
15	a) Bins 2 Nos. @ Rs 1500 each	3,000	2,000
	b) Composting	3000	
	c) Transport of Dry Waste	4,000	
16	Expenditure for the restoration activities at the mine lease area.	20,000	-
17	Expenditure for pollution control equipments for crusher plant	2,50,000	-
18	Expenditure for activities regarding mine closure	20,000	
	<b>Total</b>	<b>10,24,000</b>	<b>1,73,500</b>

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम जामगांव स्थित ग्राम पंचायत में ग्राम आंगनबाड़ी कल्याण हेतु अधोसंरचना ग्राम विकास योजना के अंतर्गत उल्लेखित राशी भू प्रवेश के 3 माह के अंदर प्रदान की जावेगी.	50,000/-
<b>कुल</b>	<b>50,000/-</b>

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1260 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आवलों, कटहल, जामुन, आम , जामफल, जंगल जलेबी, आदि इत्यादि	700
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- नीम, सिस्सू, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदि।	100
3	ग्राम जामगांव में स्थित शासकीय विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पुत्रंजीवा मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	50
4	पास के गाव के लोगो को एवं आस पास में स्थित खेतो के किसानो को पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	700
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।</p>			

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**37. Case No 10898/2023 Shri Prakash Tarodiya, Lessee, R/o Village-Bidwai, Tehsil-Badnawar, District-Dhar (MP)-454665, Prior Environment Clearance for Khuntpala Stone (Gitti) Quarry in an area of 2.00 ha. (19400 cum per year) (Khasra No. 507), Village-Khatpala, Tehsil-Sardarpur, District-Dhar (MP)**

प्रकरण समिति 715वीं बैठक दिनांक 19/01/2024 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।

प्रस्तावित खदान समिति की 738वीं बैठक दिनांक 22/04/2024 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि परिवेश पोर्टल पर जो गूगल इमेज अपलोड है उसके आक्षांश-देशांश का मिलान माईनिंग प्लान/डीएसआर के आक्षांश-देशांश से नहीं होता परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज अधिकारी से प्रमाणित कराकर संशोधित आक्षांश-देशांश प्रस्तुत किये जायेंगे।

परियोजना प्रस्तावक ने उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे आज दिनांक 20/05/24 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक Shri Prakash Tarodiya, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर, उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	प्रका । पाटीदार निवासी ग्राम बिडवाल, तहसील बदनावर, जिला धार म.प्र.
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	507 पैकी (नॉन फॉरेस्ट लैंड) 2.00 हेक्टेयर सरकारी भूमि
स्थल	ग्राम खुटपला, तहसील सरदारपुरा, जिला धार
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के पत्र क्रमांक -137/उ.प.आ.. /न.क्र./खनिज 2016-17, दिनांक 24.01.2017 के द्वारा स्वीकृत।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग है।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया धार के पत्र क्रमांक 45/DEIAA/2018 दिनांक 25.03.2018 के द्वारा पत्थर-19400 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

टॉर	लागू नहीं है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर— 19400 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 19400 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2317/खनिज/2023-24 दिनांक 03.11.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 2 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 8.00 हे. होता है, अतः प्रकरण B1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2317/खनिज/2023-24 दिनांक 03.11.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2317/खनिज/2023-24 दिनांक 03.11.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ आम तान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन शील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टे तान, दूरद ान, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खुटपला जिला धार के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक Nill दिनांक 26.01.2026 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No Existing tree</li> </ul>
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	खदान के 500 मी. की परिधि में कोई स्थित संवेदनशील घटका नहीं है
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.— <b>39</b> के सरल क्रमांक— <b>21</b> पर दर्ज है।
जन सुनवाई	लागू नहीं है।

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 40 प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई। बेरियर जोन खुदा हुआ है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	लगभग 10 प्रतिशत पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग .150 पेड़ लगाये गये एवं 50 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत स्कूल रोड आदि के प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 19400 घनमीटर/वर्ष
2. In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. **"The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."**
3. पिट्स में बैंचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
4. माईन रिस्टोर्शन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
5. लीज क्षेत्र के उत्तर दिशा में खेत लगे हुये है। अतः 25 मी. का सेट बैक छोड़ते हुए खनन कार्य करना सुनिश्चित करेगें।

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

6. लीज क्षेत्र से खेत लगे हुए हैं, अतः वहाँ अस्थाई सरंचना की कर्टेनवाल बनाई जाये एवं जिसे खनन् की दिशा में समय-समय पर प्रतिस्थापित किया जा सके, जिससे खनन् से उत्पन्न होने वाली धूल से कृषि प्रभावित न हो ।
7. जिला खनिज अधिकारी प्रत्येक 06 माह में लीज क्षेत्र के भ्रमण के दौरान यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिबंधित क्षेत्र में (गैर खनन क्षेत्र) कोई खनन कार्य नहीं हुआ है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र एवं बेरियर जोन में (गैर खनन क्षेत्र) खनन कार्य होना पाया जाता हो तो खनिज अधिकारी गौण खनिज अधिनियम 1996 एवं यथासंशोधित नियमों के तहत वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे एवं पर्यावरण स्वीकृति के वॉयलेशन की सूचना सिया कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।
8. पर्यावरण प्रबंधन योजना ।

क्रमांक	विवरण	पूंजी लागत (रुपये में)	आवर्ती लागत (रुपये में)
1.अ	हॉल रोड और ट्रांसपोर्ट रोड दोनों पर टैंकर स्पिंकलिंग सिस्टम से पानी का छिड़काव।	1,00,000	75,000
1.ब	पानी की कीमत 3.00KLD	75,000	30,000
2.	स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, टीप्वाइंट आदि का - लंबाई) विकासx चौड़ाई (Rs. 900/ मी के साथ 1000 मी. की WBM एप्रोच रोड निर्माण	9,00,000	50,000
3.	वृक्षारोपण	3,84,000	50,000
4.	निगरानी एएक्यूएम), शोर और पानी साल में दो बार (@ रु। दो स्थानोंवर्ष के लिए/	-	80,000
5.	श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए पेयजल सुविधा एक ) 50-30/वाटर कूलरश्रमिक @ रु10 ./,000कूलरऔर ( वर्ष रखरखाव के/2000 .रु लिए।	10,000	2,000
6.	पुरुष और महिला के लिए अलग शौचालय @25000X2 और रु। रखरखाव के लिए / 3000वर्ष।	50,000	6,000
7.	श्रमिकों और कर्मचारी की नियमित चिकित्सा जांच वर्ष )	-	14,000

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

	में दो बार प्रति श्रमिक 500 रु(		
8.	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशमन उपकरण @25000X2 और रु। /2000वर्ष रखरखाव के लिए।	50,000	5,000
9.	खनन कार्यो के लिए पीपीई @ रु / 1500कार्यकर्ता	-	21,000
10.	मजदूरों के लिए आश्रय कक्ष 400=(20*20)वर्ग फुट	50,000	5,000
11.	दो कूड़ेदान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का विकास @ रु प्रणाली / 5000 .और रु /2000वर्ष रखरखाव।	10,000	4,000
12.	ट्रकों के लिए अर्धवार्षिक पीयूसी प्रमाणीकरण @/1000ट्रक	-	4,000
13.	विविध व्यय जैसे सोलर लाइट, (@/8000 प्रकाशवेब ( ) साइट विकास एवं रखरखाव@ रु5 ./,/000खननवेब ( कैमरा, (प्रति कैमरा @ (3500खदान के प्रवेश द्वार पर डिस्प्ले बोर्ड )@ /2000सोलर( आदि	50,000	5,000
14.	खदान के भीतर Catch drain and garland drains (dimensions 1.5 m X 1m) (लगभग 570 मीटर X Rs. 50/-) एवं siltation ponds (Nos. 7) (3.0 m X 1.5 m X 1.5 m) (Rs. 2,000 X Nos. 07 एवं मजदूरी	42,500	20,000
15.	खदान के परिधि में 600 मीटर की लम्बाई में फेन्सिंग की जाएगी )@ रु.5/00मीटरकी जाएगी(	3,00,000	50,000
16.	मजदूरों के लिए वीटी प्रशिक्षण न्यूनतम)@ रुपये 500 (श्रम/	-	7,000
17	पट्टा क्षेत्र में मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र के खुदे हुआ 7.50 भाग का पुनःभरण कियाजायेगा लंबाई)x चौड़ाई (Rs. 600/ मी के साथ 445 मीटर	2,67,000	
17	पट्टा क्षेत्र में मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र के खुदे हुआ 7.50 लंबाई)भाग का पुनःभरण किया जायेगा	75,000	
18	कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए निकट ग्राम लिए LED डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी @500/LED X 40	20,000	
	<b>कुल योग</b>	<b>23,83,500</b>	<b>4,28,000</b>

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

9. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रू. 1,20,000 तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
ग्राम खुडगला के आंगनवाडी केन्द्र में अधोसंरचना विकास वित्तिय सहायता उपलब्ध की जाएगी।	1,20,000

10. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रमांक	पौधों का प्रस्तावित स्थान	पौधों के नाम	मात्रा
1	हरित पट्टी (7.50 मीटर बेरियर जोन में 520 मीटर की लम्बाई पर 3 लाइनो में वृक्षारोपण किया जायेगा )	नीम, सीताफल, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सु आदि।	260
2	पट्टा क्षेत्र के बाहर अप्रोच रोड(1000 मीटर) के दोनों ओर 4 फीट की उचाई वाले पौधे लगाए जायेंगे ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	500
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, आदि	1640

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**38.Case No 10698/2023 Shri Sajid Khan, Proprietor, M/s Flex Minerals, 117, Prashant Nagar, Katol Road, District-Nagpur (MH)-440013, Prior Environment Clearance for**

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

**Bhivdoni Quartz & Quartzite Mine in an area of 90.06 ha. (20000 TPA) (Khasra No. 239), Village-Bhivadoni, Tehsil-Sausar, District-Chhindwara (MP) (EIA)**

प्रस्तावित खदान का समिति की 699वीं बैठक दिनांक 08/12/2023 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । प्रकरण में पुनः 739वीं बैठक दिनांक 23/04/24 को प्रस्तुतीकरण प्रस्तुतीकरण हुआ । अतः प्रस्तुतीकरण पश्चात् निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये :-

- लीज क्षेत्र के अंदर स्थित खदान क्षेत्र/ निजी भूमि/ चारागाह भूमि भू-स्वामियों के नाम के साथ एवं यदि उनमें से कोई आदिवासी भूमि धारक हो तो दर्शाते हुये संशोधित सरफेस मेप भी प्रस्तुत करें।
- एकोलॉजिकल डेमेज असेसमेंट को मात्रात्मक रूप से दर्शाते हुये नक्शे में भी दर्शायें।
- कार्बन फुटप्रिंट (above of the ground & below the ground) गणना में शामिल करते हुये प्रस्तुत करें।
- खदान क्षेत्र के समीप स्थित नाले में कितना पानी आने की संभावना है उसके अनुरूप जल संरचनायें प्रस्तावित की जावे एवं होने वाले व्यय को ईएमपी में शामिल करें।
- स्वाइल प्रोफाईल के फोटोग्राफ प्रस्तुत करें।
- सागौन वृक्ष (राष्ट्रीयकृत वनोपज) काटने की स्वीकृति/ विक्रय की अनुमति विधि अनुरूप ली जावेगी इसका वचन पत्र प्रस्तुत करें।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 20/05/24 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री साजिद खान ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री पराग, मेसर्स Srushti Seva Private Limited, Nagpur (Maharashtra) ऑनलाईन उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के पश्चात् समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी अपेक्षित है :-

- कार्बन फुटप्रिंट की रेमिडियेशन प्लान में रेवेन्यू वेल्यू को शामिल नहीं किया गया। अतः समिति द्वारा सुझाये गये संशोधित कार्बन फुटप्रिंट गणना प्रस्तुत करें।
- 350 पेड़ कटना प्रस्तावित है। अतः एकोलॉजिकल डेमेज असेसमेंट में एविएन फाउना में क्या अन्तर पड़ेगा सहित सही तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करें।
- प्रस्तुत वाईल्ड लाईफ प्लान को नक्शे में दर्शावें।

**39. Case No 11237/2024 Shri Virendra Prajapati, Lessee, R/o 221, Jawahar Marg, District-Indore (MP)-452002 Prior Environment Clearance for Kalaria Soil Quarry in an area of 1.00 ha. (3236 cum per year) (Khasra No. 99/1/2/1, 97/1/2), Village-Kalariya, Tehsil-Indore, District-Indore (MP) [440728] [DEIAA] (B2)**

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

प्रस्तावित खदान बी-2 डिया श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 30.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री वीरेन्द्र प्रजापत ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री वीरेन्द्र प्रजापत	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. 99/1/2/1 & 97/1/2 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	Hectare.1.00
स्थल	Village- Kalariya Tehsil - Indore, District- Indore (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 173/उप/खनिज/2016 दिनांक 10/02/2016 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग. प्रस्तावित नहीं है चूँकि यह मिट्टी खदान है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण। B2	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 122/DEIAA/2018 दिनांक 27/08/2018 के द्वारा मिट्टी -3,240 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
टॉर	लागू नहीं	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिट्टी - 3,236 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार मिट्टी 3,236 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2455/खनिज/2023 इंदौर दिनांक 22.11.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 1.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2016/10402 इंदौर दिनांक 11.11.2016 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2455/खनिज/2023 इंदौर दिनांक 22.11.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक	

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

	संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कलारिया जिला इंदौर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 889 दिनांक 11.06.2019 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>● लीज में स्थित पेड़ों का विवरण- 2</li> </ul> काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या-0
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा- में 115 मी. की दूरी में एक पक्की सड़क है । उत्तर पूर्व - उत्खनिपट्टे से 33 मीटर पर शेड परिलक्षित हो रहा है जिसके सम्बन्ध में प्रस्तावक द्वारा बताया गया की यह शेड खेती सम्बंधित सामान एवं टाइल्स आदि रखने हेतु बनाया गया है एवं कोई निवास नहीं करता जिसके प्रमाण हेतु शेड के मालिक से प्राप्त नोटराइज्ड शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया । पश्चिम दिशा- पश्चिम दिशा में उत्खनिपट्टे से 260 मीटर पर नदी है दक्षिण पूर्वी दिशा में लगभग 75 मीटर परिलक्षित हो रहे शेड के बारे में प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह ईट भट्टे का साइट ऑफिस है एवं जिसमे ईट एवं अन्य खदान से सम्बंधित सामान रखा जाता है ना ही कोई रहवास हेतु घर है ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-46 के सरल क्रमांक-73 पर दर्ज है । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
जन सुनवाई	लागू नहीं

## 754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 मई 2024

पूर्व में इस प्रस्तावित खदान का समिति की बैठक क्रमांक 745 दिनांक 30 अप्रैल 2024 को प्रस्तुतीकरण हुआ था।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत खदान क्षेत्र के.एम.एल. इमेज कोरडीनेट्स माइनिंग प्लान में दिए कोरडीनेट्स से भिन्न है अतः समिति द्वारा खदान के कोरडीनेट्स से सम्बंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकरण कराकर समिति के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया था।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक ने परिवेश पोर्टल पर ए.डी.एस के माध्यम से प्रस्तुत कर दी गयी है एवं प्रकरण को आज दिनांक 20/05/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री वीरेंदर प्रजापत पिता श्री लक्ष्मीनारायण प्रजापत ऑनलाईन जुड़े, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आयी.एन.सी, बड़ोदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया।

समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 40 प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई। बेरियर जोन खुदा हुआ है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	10 प्रतिशत गारलैंड ड्रेन पूर्व दिशा में बनी है शेष बाकी
अनुमोदित माइनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 40 पेड़ लगाये गये एवं 150 पौधे ग्रामवासियों को बांटे गए
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता – Soil – 3,236 m<sup>3</sup>/Year.
2. पुरानी ई.सी. की शर्तों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करें।

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

3. माईन रिस्टोreshन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्वोरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 4.67 लाख एवं रिकरिंग राशि रु.1.46 लाख प्रति वर्ष ।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
A.	<u>For environment Protection</u>		
1.	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days.	-	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1.0 m Deep & 300 m Long) 4. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 5. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern.	50,000	10,000
3	Contribution in maintenance of existing Road (Road length approximately 160 m, Width 5.5 m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 250/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	40,000	15,000
4	Monitoring twice a year AAQM @5000/yr, Water@2000/yr, Noise@1000/yr Soil@2000/yr	NIL	10,000
5.	Plantation (Total 1200 nos.)		
	B. Within Lease Area (In Barrier Zone) @150rs./tree 1 <sup>st</sup> year - up to ~355m periphery of Mine lease boundary (350 nos.)	52,500	10,000

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

	B. Outside the Lease Area (along approach road and village area) - 1 <sup>st</sup> year- 50 nos. on evacuation route both side (@ Rs. 500/tree) - 2 <sup>nd</sup> year- 50 nos. at Govt. school premises @ Rs 150 (as boundary wall is present there) - - 1 <sup>st</sup> year- 700 nos. for distribution by nearby villagers (@ Rs 50/tree)	50,000 7,500 35000	20,000
	C. Sowing of the Local seeds species , Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain & Settling tank.	6,000	1000
6	Total Wire Fencing = (~356m long) - {40% completed= 150 m} (60% Remaining to be installed = 206m @500 Rs./m)	103000	10,000
7	PUC certification of vehicles (1 tractor trolley@ Rs 500 per dumper)	-	500
<b>Labor Welfare</b>			
8	Maintenance existing Drinking Water Facility and rest shelter (15x 15 ft.) with solar light	20,000	5,000
9	Toilets 2 no. (Male & Female)	12,000	5,000
10	Occupational health checkup for 8 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	-	16,000
11	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc 8 x 2000) for workers.	16,000	5,000
<b>Emergency Rescue Plan</b>			
12	Fire Fighting Equipment (1 Nos.) @ 10000 / firefighting and first aid @ 2000 per kit	12,000	5,000
13	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	5,000	1,500
14	Expenditure for the restoration activities at the mine lease area.	10,000	

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

Solid Waste Management			
15	a) Bins 2 Nos. @ Rs 1500 each	3,000	2,000
	b) Composting	3000	
	c) Transport of Dry Waste	2,000	
16	Cost for the pollution control equipment for the Kiln	30,000	
17	Expenditure required for the distribution of the LED bulbs total 100 nos @Rs 100 /bulb for the carbon sequestration.	10,000	
	<b>Total</b>	<b>4,67,000</b>	<b>1,46,000</b>

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.36 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
आयुष्मान आरोग्य मंदिर मंडल कलारिया में ग्राम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं हेतु उल्लेखित राशि भूप्रवेश मिलने के 3 माह के भीतर जमा की जावेगी।	36,000/-
<b>कुल</b>	<b>36,000/-</b>

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1260 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैस:- आवलों, कटहल, जामुन, आम , जामफल, जंगल जलेबी, आदि इत्यादि	350

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- नीम, सिस्सू, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदि।	100
3	ग्राम कलारिया में स्थित शासकीय विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पुत्रंजीवा मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	50
4	पास के गाव के लोगो को एवं आस पास में स्थित खेतो के किसानो को पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	700
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।</p>			

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**40. Case No 10753/2023 Shri Tarendra Baheliya, Lessee, R/o Village-Malimohgaon, Tehsil & District-Mandla (MP)-481665 Prior Environment Clearance for Khohari Stone Quarry in an area of 1.80 ha. (16500 cum per year) (Khasra No. 21/1, 21/2, 21/3), Village-Khohari, Tehsil-Nainpur, District-Mandla (MP) [441533] [DEIAA]**

प्रस्तावित खदान बी-2 डिया श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 28.13.2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री तारेन्द्र बहेलिया ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री तारेन्द्र बहेलिया आ. श्री अमृत लाल बहेलिया निवासी मालीमोहगाँव तहसील एवं जिला मण्डला	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. 21/1, 21/2&21/3( निजी -नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.80 Hectare.

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

स्थल	Village Khohari Tehsil - Nainpur, District- Mandla (M.P.).
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के पत्र क्रमांक कामॉम खनिज-02/2016/561 दिनांक 10/08/2016 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग. प्रस्तावित नहीं है ।
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण। B2
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया जिला मण्डला के पत्र क्रमांक 83/DEIAA/2017 दिनांक 11/05/2017 के द्वारा पत्थर-16500 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर	लागू नहीं
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर- 16500 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर 16500 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक कामॉक/खनिज/2023/1293 दिनांक 03.08.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है है, इस प्रकार कुल रकबा 1.80 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक कामॉक/खनिज/2023/1293 दिनांक 03.08.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक कामॉक/खनिज/2023/1293 दिनांक 03.08.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खोहरी पंचायत नैनपुर जिला मण्डला के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक पंचा. अना./2015/06 दिनांक 04.012.2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है ।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>लीज में स्थित पेड़ों का विवरण- 8</li> </ul> काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या-0
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पश्चिम- उत्खनिपट्टे के उत्तर पश्चिम दिशा में 18 मीटर पर जिसके सम्बन्ध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि अनुमोदित खनन योजना के अनुसार पक्की सड़क से 100 मीटर तक का सेटबैक छोड़ा गया है एवं शेष क्षेत्र में खनन कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से ब्लास्टिंग रहित खनन कार्य किया जावेगा ।  उत्तर दिशा- उत्खनिपट्टे के उत्तर दिशा से हॉल रोड गुजर रही है जो कि प्रस्तावक द्वारा बनवायी गयी है ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-119 के सरल क्रमांक-92 पर दर्ज है । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739 वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
जन सुनवाई	लागू नहीं

पूर्व में इस प्रस्तावित खदान का समिति की बैठक क्रमांक 706 दिनांक 28 दिसंबर 2024 को प्रस्तुतीकरण हुआ था ।

उक्त बैठक में समिति ने निर्णय लिया की परियोजना प्रस्तावक को निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे :

1) गूगल इमेज के अनुसार उत्तर पश्चिम दिशा में पक्का रोड लगभग 18 मीटर पर स्थित है अतः स्थानवार मापदंड छोड़ते हुए पुररक्षित सरफेश प्लान प्रस्तुत करें ।

## 754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 मई 2024

2) खदान क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे हुए हैं अतः परियोजना प्रस्तावक खनन क्षेत्र में स्थित पेड़ों की इन्वेंटरी (उसकी प्रजाति, ऊंचाई एवं गर्थ) प्रस्तुत करें।

3) परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खनन कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा अतः इस सम्बन्ध में संसोधित माइनिंग प्लान सक्षम प्रदिकारी से अनुमोदित करवाकर प्रस्तुत करें। प्रकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा ब्लास्टिंग रहित खनन कार्य एवं रॉक ब्रेकर के माध्यम से खनन कार्य दर्शाते हुए संसोधित खनन योजना प्रस्तुत करने को कहा गया था।

उपरोक्त जानकारी परियोजना प्रस्तावक ने परिवेश पोर्टल पर ए.डी.एस के माध्यम से प्रस्तुत कर दी गयी है एवं प्रकरण को आज दिनांक 20/05/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री तारेन्द्र बहेलिया ऑनलाईन जुड़े, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आयी.एन.सी, बड़ोदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया।

समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 20 प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई। बेरियर जोन खुदा हुआ है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अवलोकित नहीं हुई।
अनुमोदित माइनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 70 पेड़ लगाये गये
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता – Stone – 16,500 m<sup>3</sup>/Year.
2. पुरानी ई.सी. की शर्तों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करें

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

3. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावें तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावें तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्वोरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावें।
4. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें।
5. In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. **"The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."**
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.42 लाख एवं रिकरिंग राशि रु.2.06 लाख प्रति वर्ष।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
A.	<u>For environment Protection</u>		
1.	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days.	-	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1.0 m Deep & 700m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 10 m long & 2.5 m deep. 2. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double "S" pattern.	30,000	5,000

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

3	Contribution in maintenance of existing Road (Road length approx. 40m, Width 5.5m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 300/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	20,000	5,000
4	Monitoring twice a year AAQM @10000/yr, Water@5000/yr, Noise@3000/yr Soil@2000/yr	NIL	50,000
5.	Plantation (Total 2160nos.)		
	A. Within Lease Area (In Barrier Zone) @150rs./tree 1 <sup>st</sup> year -up to ~785 m periphery of Mine lease boundary (600+510 nos.)	1,66,500	10,000
	the Lease Area (along approach road and village area) - 1st year- 50nos. on evacuation route up to 100m both side and both side of the village road upto 100m(@ Rs. 500/tree) 1st year- 1000 nos. for distribution by nearby villagers (@ Rs 50/tree)	25000 50000	20,000
	C. Sowing of the Local seeds species , Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain & Settling tank.	6,000	1,000
6	Wire Fencing (~785m long) - {20% completed= 160 m} (85% Remaining to be installed = 625m @500 Rs./m)	332500	30,000
7	PUC certification of vehicles (2 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	500
8	Maintenance existing Drinking Water Facility and rest shelter (20x 15 ft.) with solar light	10,000	5,000
9	Toilets 2 no. (Male & Female) (maintenance of existing)	10,000	5,000
10	Occupational health checkup for 8 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	-	16,000
11	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc 8 x 2000) for workers. including 1 safety harness for the worker involved in blasting/drilling works - (@Rs 2000 per set)	16,000	5,000
12	Fire Fighting Equipment (1 Nos.) @ 20000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	22,000	5,000

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

13	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	8,000	2,000
14	Wind breaking wall : Total 100m long (per sheet 4m high X 2m long) (@Rs 1000/sheet)	50,000	2000
<b>Solid Waste Management</b>			
15	a) Bins 2 Nos. @ Rs 1500 each	3,000	2,000
	c) Transport of Dry Waste	4,000	
16	Expenditure for the restoration activities at mine site.	15000	
17.	Cost for the crusher pollution control equipment.	250000	20000
18.	Distribution of the Led bulb to the villagers 250 nos @Rs 100/bulb for carbon sequestration	25000	
<b>Total</b>		<b>10,42,000</b>	<b>2,06,500</b>

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
ग्राम खोहारी के शासकीय विद्यालय विकास हेतु पालक शिक्षा संघ में उल्लेखित राशि जमा करी जावेगी	70,000/-
<b>कुल</b>	<b>70,000/-</b>

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2160 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन के अंतर्गत (खदान पट्टा सीमा 785 मीटर परिधि तक)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आम आंवला, मुनगा हाइब्रिड सीताफल, गुआवा, कटहल अचार आदि	600
2	गैर खनन क्षेत्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आम आंवला, मुनगा हाइब्रिड सीताफल, गुआवा,	510

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

		कटहल अचार आदि	
3	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदि।	50
5	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	1000
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।</p>			

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**41. Case No 9188/2022 M/s J.P. Mines and Minerals, Partner, Shri Pawan Kumar Singhal, 704, Satyam Tower, City Center, Dist. Gwalior, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.390 ha. (75852 Cum per annum) (Khasra No. 1, 4, 7, 52), Village - Bilara, Tehsil - Tansen, Dist. Gwalior (MP) EIA**

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 739वीं बैठक दिनांक 23/04/24 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है।

सिया की 849वीं बैठक दिनांक 14/05/24 को सेक की अनुशंसा प्राकृतिक नहर से निर्धारित दूरी छोड़ने गैर खनन 1.28 हे. के पश्चात् खनन हेत 1.71 हे. क्षेत्र उपलब्ध होता है, उत्पादन क्षमता में कोई संशोधन नहीं किया गया है और ना ही कम किये गये लीज क्षेत्र का पुनरीक्षित अनुमोदित खनन योजना प्राप्त की गई है। अतः सिया द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में पुनरीक्षित खनन योजना प्राप्त कर परीक्षण करने के उपरांत अनुशंसा प्राप्त किये जाने हेतु पुनः परीक्षण हेतु समिति को प्रेषित किया गया है।

## 754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 मई 2024

प्रकरण को आज दिनांक 20/05/24 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी, ऑनलाईन मेसर्स ए.जी.एस. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में 75,852 धन मी उत्पादन किया जा रहा है। बाकी वर्ष में उत्पादन कि मात्रा कम है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया सिया कि 849 बैठक में कुछ प्रकरणों को निर्धारित दूरी (नो माईनिंग जोन) का सिमांकन करवाए जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र कि पुर्नरिक्षित खनन योजना तैयर कर सक्षम प्राधिकारी से अनिर्वायतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन प्रक्रिया आरंभ कि जाये। जिसमें पर्यावरण स्वीकृती कि अनुशंसा कि गई है।

समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक भू-प्रवेश के पहले (माईनिंग प्लान) सेटबैक से संबंधित निम्न शर्तों का पालन करना सुनिश्चित करने के साथ प्रकरण की अनुशंसा की जाती है।

In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or ay environmental sensitivity.

**"The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."**

अतः समिति द्वारा पूर्व बैठक क्र०- 739वी बैठक दिनांक 23/04/2024 मे पर्यावरण स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

### **42.Case No 11063/2023 Ms. Savitri Shukla, Owner, R/o Hirapur, Tehsil-Shahgarh, District-Sagar (MP)-470339 Prior Environment Clearance for Hirapur Crusher Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (14250 cum per year) (Khasra No. 78), Village-Hirapur, Tehsil-Shahgarh, District-Sagar (MP) [442368] (B2)**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 20/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमति सावित्री भुक्ला पति श्री नागेन्द्र भुक्ला एवं

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

उनके पर्यावरणीय सलाहकार कॉग्निजेन्स रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्रीमति सावित्री भुक्ला पति श्री नागेन्द्र भुक्ला निवासी – हीरापुर, तहसील– गहगढ, सागर, जिला– सागर, म.प्र.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	78 ( गहसकीय भूमि)	2.00 हे.
स्थल	ग्राम – हीरापुर, तहसील– गहगढ, जिला – सागर, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	कार्यालय संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश 1, भोपाल के पत्र क्रमांक– 6100 दिनांक 23/05/2023 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लॉस्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ड्रिलिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।	
टॉर	लागू नहीं ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर–14250 घन मीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 14250 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 836 दिनांक 14/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 2 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 5.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 836 दिनांक 14/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं उत्खनिपट्टा वन सीमा से 292 मीटर दूर है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 836 दिनांक 14/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/समान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टे न, दूरद नि,	

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

	हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉपडैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत हीरापुर जिला सागर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 15 दिनांक 06/10/2020 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>● लीज क्षेत्र में 15 वृक्ष स्थित है।</li> <li>● 07 पेड़ खनन क्षेत्र में स्थित है जिन्हे गेर खनन के रूप में छोड़ा गया है।</li> <li>● 08 पेड़ बैरियर जोन क्षेत्र मे है जिन्हे सुरक्षित रखा जावेगा।</li> </ul>
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति (खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि ) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को के साथ प्रस्तुत करें )	<p>उत्तर दि 11- 60 मीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम दि 11 में कच्चा रोड स्थित है।</p> <p>दक्षिण दि 11- 1.10 किलो मीटर की दूरी पर दक्षिण दि 11 में मानव वसाहत स्थित है।</p> <p>पूर्व दि 11 - 750 मीटर की दूरी पर दक्षिण-पूर्व दि 11 में राष्ट्रीय राजमार्ग-34 स्थित है।</p> <p>पश्चिम दि 11 -2.50 किलो मीटर की दूरी पर दक्षिण दि 11 में मानव वसाहत स्थित है।</p>
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह नवीन खदान है कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 836 दिनांक 14/07/2023 अनुसार उपरोक्त नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ लिया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदे 1 की 737वीं बैठक दिनांक 15/04/24 (प्रकरण में 11063/2023 - जारी पत्र क्रमांक 836 दिनांक 14/07/23) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदन शीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनु मंडित किया जाये।

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

जन सुनवाई	लागू नहीं।
-----------	------------

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति वििष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुांसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 14,250 घन मीटर/वर्ष है।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11,42,500 एवं रिकरिंग राशि रु. 4,51,850 प्रति वर्ष।

Sr. No.	Particulars	Capital Cost (in Rupees)	Recurring Cost in Rupees
<b>A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1(a)	Overhead Water Sprinkling System for dust suppression @ Rs. 0.80 lakhs / system (capital cost) and Rs. 20,000 / system annual Maintenance cost.	-	-
1(b)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	-	20,000
1(c)	Cost of water of 5000 ltr. @ 0.15 paisa/liter of 300 days	-	2,25,000
2.	Garland Drain is proposed (575x2x1.5) 1.Settling tank is 10m x 02m x 02 2. Settling tank is 10m x 02m x 02	50,000	5,000
3	Pucca Approach Road construction with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. @500/m (Length - 200m x width 5m)	1,50,000	15,000
4	Plantation within lease @ Rs. 150/plant x no of plants 150 X1200= 1,80,000/-	2,62,500	26,250
	Plantation outside of lease @ Rs. 500/plant x no. of plants 500 X 50 = 25,000		
	Plant Distributions @ Rs. 50/plant x no of plants, 50 X 1150 = 57,500		
	Plantation outside (Ex. School, Grampanchayat, etc.) With boundary wall @ 150/plant		
	Without boundary wall @		

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

		500/plant	
5	Wire Fencing (Length 475m x 500/m)	2,87,500	28,750
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year	Nil	40,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler/10-20 labour @ Rs. 10,000/cooler) & Rs. 2000/year for maintenance.  Number of labours only 15 nos	10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 3000/year for maintenance.	30,000	3,000
9	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) No. of labour 15 x 2 x 500 = Rs 15,000	Nil	15,000
10	First Aid Box & Fire fighting equipments @25000X2 & Rs. 2000/year for maintenance. fire fighting equipments no. of unit 01 x 25000 = Rs. 25000 & First Aid Box No. of unit 2 x 2000 =Rs. 4000 Total Rs 29000	29,000	2,000
11	PPEs for Stone mining operations @ Rs. 1500/worker PPEs Kits - Hard hats, Safety Glasses, Mask, ear plugs, boots & gloves  No. of Labours 15 x 1500/worker =Rs 22,500	Nil	22,500
12	Shelter rooms for labors (20*20)=400 Square feet	30,000	3,000
13	One dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year maintenance. 1 x 5000 =Rs. 5000	5,000	2,000
14	Half yearly PUC certification for trucks @1000/truck No. of dumper/day - 01x2x1000 = Rs. 2,000	Nil	6,000
15	Grazing Land development(Native palatable Grasses for development of grazing land: Crysopogon, fulvus, Themeda triandra, Kandi etc.) Rs. @ 50,000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,0000 for mines>5.00 ha.	50,000	5,000
16	Miscellaneous Expenses such as for solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & maintenance (@ Rs. 5,000/mine ) Web Camera, (per camera @ 3500 ) Display Board at mine entrance (@ 2000/boar) etc.	13,500	1,350

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

	Solar light 1 nos. = 1x 8000 = 8000 rs. , Web Camera 1 nos. x 3500 rs. & Display Board 1 nos x 2000 = 2000rs. Total Cost Rs. 13,500		
17	VT Trainings for labors (minimum @ Rs. 500 /labor) No. of Labour 10 x 500/labour = Rs. 5,000	Nil	7,500
18	Wind Breaking Wall (Length 50m, @ Rs. 500/m)	25,000	2,500
19	Provide 50,000/- INR to village farmers for trees adaptation for reducing carbon footprint sequestration and distribution of LED bulb	50,000	5,000
20	For Dust Control	1,50,000	15,000
	<b>Total</b>	<b>11,42,500/-</b>	<b>4,51,850/-</b>

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि ₹ 50,000 तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जायें :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (₹.में)
1. ग्राम हीरापुर के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 50,000 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति ग्राम हीरापुर के बैंक खाते में भू प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा कर दी जावेगी ।	50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	सागौन, काला सिरस, नीम खमेर, नीलगिरी सुबबूल एवं करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ। गड्डे का आकार 70X70X70 से.मी.	1200
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय । ट्री-गार्ड के साथ ।	50
3	हीरापुर ग्राम	आंवला, आम, मुनगा, कटहल,	1150

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

वासियों में वितरण हेतु	इमली, अमरुद, पपीता, नींबू, हर्षा, बहेडा, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	
कुल		2400
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बुवाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।		

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**43. Case No 11059/2023 Ms. Anjana Yadav, Owner, Ravishankar Ward, District-Sagar (MP)-470002, Prior Environment Clearance for Chitaura Metal Stone Quarry in an area of 3.00 ha. (7011 cum per year) (Khasra No. 441P), Village-Chitaura, Tehsil-Sagar, District-Sagar (MP) [443166] (B2)**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 20/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमति अंजना यादव पति श्री रवि यादव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार संचित कुमार/काँग्निजेन्स रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्रीमति अंजना यादव, पति श्री रवि यादव निवासी – रवि ांकर वार्ड, सागर, जिला – सागर, म.प्र.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. – 441 भाग ( गासकीय भूमी)	क्षेत्रफल – 3.00 हे.
स्थल	ग्राम – चितौरा, तहसील व जिला – सागर, म.प्र.	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 1565 दिनांक 05/10/2018 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।	

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं ।
टॉर	लागू नहीं ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर— 7,011 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 7,011 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1009 दिनांक 23/08/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, जिसका रकबा 2.00 हे. है, इस प्रकार कुल रकबा 5.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1009 दिनांक 23/08/2023 के अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं उत्खनन पट्टा वन सीमा से 670 मीटर दूरी पर है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1009 दिनांक 23/08/2023 के अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चितौरा जिला सागर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 02 दिनांक 05/08/2018 के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है ।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में कोई पेड़ स्थित नहीं है।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार	दक्षिण- पूर्व दि 11 में कच्चा रोड 100 मीटर दूरी पर स्थित है। दक्षिण दि 11 में पक्का रोड 1.00 किलो मीटर दूरी पर स्थित है।

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

वर्तमान स्थिति खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि ) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मैप को के साथ प्रस्तुत करें)	पूर्व दि 11 में राष्ट्रीय राजमार्ग 1.20 किलो मीटर दूरी पर स्थित है।
	उत्तर-पूर्व दि 11 में राजकीय राजमार्ग 1.20 किलो मीटर दूरी पर स्थित है।
	पश्चिम दि 11 में राजघाट डैम 4.16 किलो मीटर दूरी पर स्थित है।
	पश्चिम दि 11 में 500 मीटर दूरी पर लोकल नदी स्थित है।
	दक्षिण-पश्चिम दि 11 में 1000 मीटर दूरी पर मानव वसाहत स्थित है।
	उत्तर पश्चिम दिशा में 45 मीटर की दूरी पर चेक डैम स्थित है एवं चेक डैम से 155 मीटर सेटबैक कर 1.10 हेक्टेयर क्षेत्र को गैर - खनन योग्य क्षेत्र घोषित किया गया है ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 66 के सरल क्रमांक-11 पर दर्ज है । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदे 1 की 737वीं बैठक दिनांक 15/04/24 (प्रकरण में 11059/2023 – जारी पत्र क्रमांक 1009 दिनांक 23/08/23) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदन शीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनु मंजूर किया जाये ।
जन सुनवाई	लागू नहीं ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विभिन्न शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनु मंजूर करती है:-

5. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 7,100 धनमीटर/वर्ष है।
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि ₹. 12,77,500 लाख एवं रिकरिंग राशि ₹. 4,60,850 लाख प्रति वर्ष ।
7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि ₹. 60,000 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (₹.में)
---------------------------------------	--------------

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

शासकीय स्कूल ग्राम चितौरा में बच्चों के लिये पुस्तकें, स्टे अनरी, क्रीडा सामग्री एवं स्कूल के लिये फर्नीचर	40,000
आंगनवाड़ी केन्द्र ग्राम चितौरा में बच्चों के लिये पोषण आहार एवं खिलौनों का वितरण	20,000
<b>कुल</b>	<b>60,000</b>

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.सं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में गड्ढे का आकार 70×70×70 से.मी.	सागौन, काला सिरस, नीम खमेर, नीलगिरी सुबबूल एवं करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	2400
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय ।	200
3	गैर – खनन योग्य क्षेत्र में (1.10 हेक्टेयर)	आंवला, आम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, सागौन, काला सिरस एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	1000
<b>कुल</b>			<b>3600</b>

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

**अनुशंसा—** प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

**44. Case No 10650/2023 Shri Malkhan Singh, Owner, Kashipur, Majara, Post-Narhela, District-Morena (MP)-476221, Prior Environment Clearance for Kashipur Stone**

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

**Quarry in an area of 1.81 ha. (16800 cum per year) (Khasra No. 522), Village-Kashipur, Tehsil-Joura, District-Morena (MP)**

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 739वीं बैठक दिनांक 23/04/24 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है ।

सिया की 849वीं बैठक दिनांक 14/05/24 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान प्रकरण क्रमांक 8808 रकबा 2.30 हे. एवं 9050 रकबा 3.00 हे. स्वीकृत / संचालित है । इस प्रकार प्रस्तावित खदान को मिलाकर कुल रकबा 5.00 हे. से अधिक होने के कारण बी-1 श्रेणी का प्रतीत होता है । अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति को प्राप्त हुआ है ।

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-2 श्रेणी के पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 20/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक मलखान सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी, ऑनलाईन मेसर्स ए.जी.एस. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि, उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदान (प्रकरण क्र 8808 रकबा 2.30 हे) स्वीकृत/संचालित है, एवं दूसरी खदान जिसका प्रकरण क्र 9050 रकबा 3.00 हे वह माईनिंग अधिकारी के पत्र क्रमांक /खनिज/क्यु.एल/1 मुरैना दिनांक 18/05/2024 के अनुसार DGPS Survey कराकर DGPS कि रिपोर्ट अनुसार 500 मीटर दायरे से दूर आ रही है। DGPS Report एवं DGPS Survey का माईनिंग अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक/खनिज/2024/460 मुरैना दिनांक 18/05/2024 भी संलग्न है। जिस अनुसार उक्त खदान (प्रकरण क्र 9050) 500 मीटर दायरे से बाहर है

अतः समिति द्वारा पूर्व बैठक क्र०- 739वीं बैठक दिनांक 23/04/2024 मे पर्यावरण स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

**45. Case No 10860/2023 Manju Singh, Proprietor, R/o Bamhangawan, Tehsil-Raghurajnar, District-Satna (MP)-485001, Prior Environment Clearance for Hariharpura Laterite Mine in an area of 2.236 ha. (40000 TPA) (Khasra No. 665/1**

754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 20 मई 2024

**(Govt.Land) and 824, 826, 827, 829), Village-Hariharpur, Tehsil-Birsinghpur, District-Satna (MP).**

प्रस्तावित लेटेराईट खदान का समिति की 738वीं बैठक दिनांक 22/04/24 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

सिया की 849वीं बैठक दिनांक 14/05/24 सेक की अनुशंसानुसार प्राकृतिक नाला, कच्चा रोड़ एवं आबादी से निर्धारित दूरी छोड़ने गैर खनन् 1.046 हे. के पश्चात् खनन् हेतु 1.19 हे. क्षेत्र उपलब्ध होता है और न ही कम किये गये लीज क्षेत्र का पुनरीक्षित अनुमोति खनन् योजना प्राप्त की गई है । अतः राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत प्रकरण में निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण में पुनरीक्षित खनन् योजना प्राप्त कर परीक्षण करने के उपरांत अनुशंसा प्राप्त किये जाने हेतु प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक प्रेषित कियाग गया है ।

प्रकरण समिति के समक्ष आज दिनांक 20/05/24 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक मंजू सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया था। प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव द्वारा अवगत कराया कि भूप्रवेश के पहले माईनिंग प्लान संशोधित करा लिया जावेगा।

In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or ay environmental sensitivity.

"The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

अतः समिति ने चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 738वीं बैठक दिनांक 22/04/24 मे पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

46. **Case No 10878/2023 Shri Umesh Jat, Lessee, R/o Nai Abadi, Unhel, Tehsil-Nagda, District-Ujjain (MP)-456221, Prior Environment Clearance for Doomaheda Stone Deposit in an area of 2.00 ha. (5035 cum per year) (Khasra No. 1081/1), Village-Dhoomaheda, Tehsil-Nagda, District-Ujjain (MP) [446088]**

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 20 मई 2024**

प्रकरण समिति की 714वीं बैठक दिनांक 18/01/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

सिया की 849वीं बैठक दिनांक 14/05/24 भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07/05/24 में निम्नानुसार निर्देशित कार्यवाही “.....4. In brief of your report to the Hon'ble National Green Tribunal, it is hereby directed that continuance of mining all over India under mining leases executed on the basis of ECs granted by DEIAA after 13/9/2018 is prohibited with the exception in respect of cases where SECs granted by DEIAA for such mining lease have been reappraised and found valid by SEIAA or fresh ECs have been granted by SEIAA..”

प्रकरण समिति के समक्ष आज दिनांक 20/05/24 को रखा गया, जिमसे परियोजना प्रस्तावक Shri Umesh Jat, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर, उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

समिति का अभिमत है कि यह एक प्रशासकीय निर्णय है, अतः सिया अपने स्तर पर निर्णय लें।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत विवरण पर समिति द्वारा पूर्व 714वीं बैठक दिनांक 18/01/2024 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

**47. Case No 7996/2020 M/s Banafar Granite Industries, Village - Prakash Bamhori, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur, MP - 471510, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.439 ha. (20,037 cum per annum) (Khasra No. 1347/2/1, 1357/1, 1345, 1349/1), Village - Prakash Bamhori, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP). EIA.**

प्रस्तावित खदान समिति की 696वीं बैठक दिनांक 22/11/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि खदान क्षेत्र का कुछ हिस्सा बहुत ही संकीर्ण (narrow) है, इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह हिस्सा गैर खनन क्षेत्र के रूप में संरक्षित किया जावेगा अतः खनन योग्य क्षेत्र मात्र 1.18 हे. उपलब्ध होगा एवं खदान क्षेत्र के अंदर केशर यूनिट प्रस्तावित नहीं हैं।

परियोजना प्रस्तावक ने प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया कि खदान की 04 खसरों में से 01 खसरा 1357/1 खनन हेतु प्रतिबंधित है परन्तु समिति ने परिक्षण के दौरान पाया कि क्षेत्रीय प्रमुख, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक 2242 दिनांक 08/09/2020 के माध्यम से अनुमोदित खनन योजना में इस

## 754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 मई 2024

खसरें का उल्लेख किया गया है अतएव प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्न बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण/जानकारी चाही गई है:-

- सक्षम अधिकारी से एक खसरा क्रमांक 1357/1 जो खनन् हेतु प्रतिबंधित है के संबंध में स्पष्ट अभिमत प्रस्तुत किया जायें।
- परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया था कि केशर यूनिट जो की खदान क्षेत्र से 500 मी. की दूरी पर प्रस्तावित है अतः इस संबंध में PM2.5 एवं PM10 के संदर्भ में प्रयुक्त मॉडल में इनपुट वेल्यू (पैरामीटर्स) विचार किये गये थे, साथ ही इन वेल्यू का सोर्स क्या है तथा यह वेल्यू जिस भी ऐजेन्सी/संस्थान द्वारा मॉनिटरिंग की गई थी उनके एवं पर्यावरणीय सलाहकार संस्था का अनुबंध पत्र भी प्रस्तुत किया जावे।

प्रकरण पुनः समिति की 738वीं बैठक दिनांक 22/04/24 को पुनः प्रस्तुत हुआ, जिसमें पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है।

सिया की 849वीं बैठक दिनांक 14/05/24 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन् योजना के अक्षांश-देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर खदान क्षेत्र का अधिकतम भाग संकरा है, खदान क्षेत्र पूर्व से खुदा हुआ है एवं खदान क्षेत्र से कच्ची सड़क निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात् खनन् हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं हो रहा है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति भेजा गया है।

प्रकरण आज दिनांक 20/05/24 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक अमर सिंह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ (ऑनलाईन) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान क्षेत्र से कच्ची सड़क के संरक्षण हेतु 1.259 हे. नॉन माईनिंग एवं बफर जोन 0.2356 हे. छोड़ने के बाद उत्खनन हेतु 0.9444 हे. क्षेत्र उपलब्ध होगा जिसमें से प्रस्तावित उत्पादन क्षमता 20, 037 घन मी. हेतु उपयुक्त होगा।

अतः समिति ने चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 738वीं बैठक दिनांक 22/04/24 में पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा निम्न अतिरिक्त शर्त को जोड़ते हुये यथावत रखने का निर्णय लिया है।

In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity.

**"The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining**

754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 20 मई 2024

Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

**48. Case No 9670/2023 Shri Subhash Chand Bansal, Partner, R/o MIG-II, Housing Board Colony, Near Shanti Nagar, District-Katni (MP)-483773, Prior Environment Clearance for Bhadawar Dolomite Mines in an area of 1.777 ha. (50704 Tones per annum) (Khasra No. 640, 639, 649), Village-Bhadawar, Tehsil-Badwara, District-Katni (MP) [415733] EIA**

प्रस्तावित खदान का समिति की पूर्व 739वीं बैठक दिनांक 23/04/24 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई थी ।

सिया की 849वीं बैठक दिनांक 14/05/24 भारत सरकार वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन दिनांक 07/05/24 में निम्नानुसार निर्देशित कार्यवाही “.....4. In brief of your snobr fitrvyion og Hon’ble National Green Tribunal, it is hereby directed that continuance of mining all over India under mining leases executed on the basis of ECs granted by DEIAA after 13/9/2018 is prohibited with the exception in respect of cases where S/ECs granted by DEIAA for such mining lease have been reappraised and found valid by SEIAA or fresh ECs have been granted by SEIAA..”

प्रकरण समिति के समक्ष आज दिनांक 20/05/24 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक Shri Subhash Chand Bansal, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

समिति का अभिमत है कि यह एक प्रशासकीय निर्णय है, अतः सिया अपने स्तर पर निर्णय लेवे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत विवरण पर समिति द्वारा पूर्व 739वीं बैठक दिनांक 23/04/2024 में पर्यावरण स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

**49. Case No 11060/2023 Shri Shailendra Gurjar, Owner, Shiba ke Bagiya ke pass, Pani ki Tanki Tiraha Road, Gird, District-Gwalior (MP)-474001 Prior Environment**

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

**Clearance for Pahadi Flagstone Mine in an area of 3.00 ha. (2000 cum per year)**  
**(Khasra No. 1073), Village-RF, Tehsil-Morena, District-Morena (MP) [449668] (B2)**

प्रकरण पूर्व सेक की 737वीं बैठक दिनांक 15/04/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए ।

प्रस्तावित फर्शीपत्थर खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए का है, जिसमें आज दिनांक 20/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री शैलेन्द्र सिंह गुर्जर, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी, ऑनलाईन मेसर्स ए.जी.एस इवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि, दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Shailendra Singh Gurjar S/O Shri Vakil Singh Gurjar R/O-Shiva Ki Bhagiya Ke Pass Pani Ki Tanki, Tighara Road, Gwalior(M.P)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1073 (शासकीय भूमि-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.000 hectare.	
स्थल	Village - Pahadi, Tehsil - Morena(Bamore), District - Morena (M.P)		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के पत्र क्रमांक 471 दिनांक 25/04/2023 के द्वारा स्वीकृत ।		
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष- 30/09/2023, क्षमता- <u>फर्शीपत्थर -2,000</u> घनमीटर/वर्ष,		
स्वीकृत माईनिंग प्लान/ डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हॉ/ना	डीएसआर हॉ/ना	पुनरीक्षित अक्षांश/ देशान्तर
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल	पर्यावरण सलाहकार - नीरज प्रजापती, स्थल का नाम- <u>पहाड़ी</u> , दिनांक- 29/03/2024		

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

निरीक्षण	
उत्पादन क्षमता	फर्शीपत्थर –2,000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 991 दिनांक 06/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 3.000 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 991 दिनांक 06/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 991 दिनांक 06/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत पहाड़ी जिला मुरैना के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 2 दिनांक 20/05/2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर प्रस्तावित नहीं है क्योंकि यह फर्शीपत्थर कि खदान है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में 6 बबूल के पेड़ है जिनकी ग्रिथ 15-20 सेटिमीटर है। जिसे नहीं काटा जाएगा।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- आबादी लगभग 190 मी पर है।
	पश्चिम दिशा- कच्ची सड़क लगभग 50 मी पर है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	16/12/2023

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता फर्शी पत्थर –2,000 घनमीटर/वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में कैपिटल राशि रु. 9.38 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.1.15 लाख प्रति वर्ष।

**1. EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
<b>A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	24,165	-
1(b)	Water requirement- 0.7995 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point, etc (400m in length × 6m in width)	1,00,000	20,000
<b>PLANTATION SCHEME</b>			
3.	a) Plantation within lease @ Rs. 200/plant.	(900 plants × 200 Rps=1,80,000/-)	15,000
	b) Plants to be distributed in nearby villagers: @ Rs. 50/plant.	2250 plants × 50 Rps=1,12,500/-)	
	c) Plantation Along the Approach Road @ Rs.300/plant	@ Rs. 300/plant (450 plants × 300 Rps=1,35,000/-)	
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garland Drain (1.5 m Wide &amp; 2 m Deep &amp; 4085m Long)</li> <li>• Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area.</li> <li>• Settling Tank is of (4 m wide, 15m long &amp; 2.5 m deep).</li> </ul>	60,000	5,000
5	Wire fence (388 m) @200 rupees/meter.	1,63,800	5,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.	-	40,000
7	Drinking Water Facility for labor and staff (one water cooler/30-30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler).	10,000	2,000
8	Separate Toilets for Males and Females @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.	30,000	3,000
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.	5,000	10,000

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 15 Labors -15 × 500 × 2 )	-	10,000
11	First Aid Box & Firefighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.	20,000	2,000
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 15 workers - 15 × 1500 )	15,000	2,000
13	Shelter rooms for labors (10*20 ft)=300 Square feet	60,000	5,000
14	Two dustbins & development of solid waste management system	5,000	2,000
15	Half yearly PUC certification for trucks @1000/truck (1 Trucks × 1000 × 2 times in a year)	-	2,000
16	Miscellaneous Expenses such as follows : 1. One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2. Web Camera, (per camera.@3500 rupees) 3. Display Board at mine entrance.	22,000	-
17	• Fodder plot & Grazing Land development. Sowing Safed Castor ,babool & neem Seeds Etc. along the excavated garland drain.	5,250	2,000
	<b>TOTAL</b>	<b>9,38,715/-</b>	<b>1,15,000/-</b>

## 2. CER Table

सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से 1,10,000 की राशी शासकीय मध्यमिक शाला ग्राम गोंडीखरार के पालक शिक्षक संघ समिति के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	<b>1,10,000/-</b>

## 3. Plantation in other area.

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, गुगल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	900
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	450

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

	के साथ)		
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरूद, मुनगा, पपीता, निंबू आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	2250
<b>योग</b>			<b>3600</b>

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

**अनुशंसा—** प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है ।

**50. Case No 11113/2023 SHRI ANKUSH JAIN, R/o 1/3,69 Kalidas Marg Maxi Road, District Ujjain (MP)-456001 Prior Environment Clearance for Murum Mine in an area of 1.64 ha. (5000 cum per year) (Khasra No. 463/1), Village-Tajpur, Tehsil-Ujjain, District-Ujjain (MP) [449792] [DEIAA] (B2)**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	अकुं । जैन निवासी मक्सी रोड तह. व जिला उज्जैन
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	463/1 (नॉन फॉरेस्ट लैंड) 1.640 निजी भूमि
स्थल	ग्राम ताजपुर तहसील व जिला उज्जैन
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक - 1744/खनिज/2018-19, दिनांक 24.09.2018 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग नहीं है । रॉक ब्रेकर का उपयोग किया जाएगा ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
डिया ई.सी. का	डिया उज्जैन के पत्र क्रमांक DEIAA/2018/63 दिनांक 05.10.2018 के द्वारा

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

विवरण (यदि लागू हो)	पत्थर— 5000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।
टॉर	लागू नहीं है।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर— 5000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 5000 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 10362/खनिज/23-24 दिनांक 06.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में Nil अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 1.640 हे. होता है, अतः प्रकरण B2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 10362/खनिज/23-24 दिनांक 06.12.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में ने नल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 10362/खनिज/23-24 दिनांक 06.12.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, भौक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/ आम गान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदन गील क्षेत्रों जैसे: रेडियो स्टे न, दूरद न, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत ताजपुर जिला उज्जैन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक क्यु./पंचा/18 दिनांक 24.07.2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है एवं लीज के बाहर स्थित है।
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<b>खदान में कोई पेड़ नहीं है</b>
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— 34 meter पर इलेक्ट्रीक टावर है एवं 104 meter पर कच्ची रोड है दक्षिण दिशा— 195 meter पर इलेक्ट्रीक टावर है पश्चिम दिशा— 390 meter पर कच्ची रोड है
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.— <b>65</b> के सिरियल क्रमांक—

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

में स्थिति	77 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	लागू नहीं है।

स्तावित खदान का समिति की 741वीं बैठक दिनांक 25/04/24 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि उत्तर दिशा में लगभग 34 meter पर इलेक्ट्रीक टावर है एवं हाई टेंशन लाईन निकल रही है तथा इस संबंध में एम.एम. आर,1996 नियम में कोई गाईडलाईन नहीं प्रदाय की गई है। अतः इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक एमपीईबी से अभिमत प्राप्त करेंगे कि कितनी दूरी तक सुरक्षित दूरी छोड़ना ठीक होगा, जिससे कि इलेक्ट्रिक टावर एवं हाई टेंशन लाईन में कोई क्षति न पहुँचे ।

परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त जानकारी प्राप्त हो गई है, जिसे आज दिनांक 20/05/24 को समिति के समक्ष रखा गया, परियोजना प्रस्तावक अकुंश जैन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रकरण को आज दिनांक 20/05/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है, जिसमें परियोजना प्रस्तावक अकुंश जैन ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री **अमित सक्सेना**, एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट उपस्थित हुए और परियोजना प्रस्तावक ने एम पी ई बी से अभिमत प्राप्त कर पत्र क्रमांक 39 दिनांक 16/05/2024 समिति के सामने प्रस्तुत किया

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 40 प्रतिशत पायी गई।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई। बेरियर जोन खुदा हुआ है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	लगभग 10 प्रतिशत पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग .150 पेड़ लगाये गये एवं 50 पेड़ बांटे गये।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत स्कूल रोड आदि के प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये।

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता 5000 घनमीटर/वर्ष है।
- 2- In बैम of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or ay environmental sensitivity. **"The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."**
3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 13,03,500 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 3,29,000 लाख प्रति वर्ष ।

क्रमांक	विवरण	पूँजी लागत रुपये) (में)	आवर्ती लागत (रुपये में)
1.अ	हॉल रोड और ट्रांसपोर्ट रोड दोनों पर टैंकर स्पिंकलिंग सिस्टम से पानी का छिड़काव।	75,000	25,000
1.ब	पानी की कीमत 2.00KLD	-	50,000
2.	स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड, रिफ्लेक्टर, टीप्वाइंट - लंबाई) आदि का विकासx चौड़ाई (Rs. 900/ मी के साथ 110 मी. की WBM एप्रोच रोड निर्माण	99,000	20,000
3.	वृक्षारोपण	2,99,500	25,000
4.	निगरानी एएक्यूएम), शोर और पानी साल में दो बार (@ रु। दो स्थानोंवर्ष के लिए/	-	1,14,000
5.	श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए पेयजल सुविधा 50-30/एक वाटर कूलर)श्रमिक @ रु . 10, /000कूलरवर्ष रखरखाव के /2000 .और रु ( लिए।	10,000	2,000
6.	पुरुष और महिला के लिए अलग शौचालय @25000X2 और रु। रखरखाव के लिए / 3000 वर्ष।	50,000	6,000
7.	श्रमिकों और कर्मचारी की नियमित चिकित्सा	-	10,000

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

	जांच वर्ष में दो बार प्रति श्रमिक)500 रु(		
8.	प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशमन उपकरण @25000X2 और रु। 2000/वर्ष रखरखाव के लिए।	50,000	4,000
9.	खनन कार्यों के लिए पीपीई @ रु 1500 / कार्यकर्ता	-	15,000
10.	मजदूरों के लिए आश्रय कक्ष (20*20)=400वर्ग फुट	50,000	5,000
11.	दो कूड़ेदान और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का विकास @ रु. 5000 / प्रणाली और रु 2000/वर्ष रखरखाव।	10,000	4,000
12.	ट्रकों के लिए अर्धवार्षिक पीयूसी प्रमाणीकरण @1000/ट्रक	-	4,000
13.	विविध व्यय जैसे सोलर लाइट, (@ 8000/प्रकाश) वेब साइट विकास एवं रखरखाव (@ रु. 5,000/खनन) वेब कैमरा, (प्रति कैमरा @ 3500) खदान के प्रवेश द्वार पर डिस्प्ले बोर्ड (@ 2000/सूअर) आदि	68,000	5,000
14.	Catch drain and garland drains (dimensions 1.5 m X 1m) (लगभग 540 मीटर X Rs. 50 /-½ एवं siltation ponds (Nos. 4) (3.0 m X 1.5 m X 1.5 m) (Rs. 2,000 X Nos. 5 एवं मजदूरी	37,000	10,000
15.	खदान के परिधि में 540 मीटर की लम्बाई में फेन्सिंग की जाएगी (@ रु.500/मीटर)की जाएगी	2,70,000	25,000
16.	मजदूरों के लिए वीटी प्रशिक्षण (न्यूनतम @ 500 रुपये /श्रम)	-	5,000
17.	पट्टा क्षेत्र में 7.50 मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र के खुदे हुआ भाग का पुनःभरण किया जायेगा(लंबाई x चौड़ाई) Rs. 600/ मी के साथ 475 मीटर	2,85,000	
18.	पट्टा क्षेत्र में 7.50 मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र के खुदे हुआ भाग का पुनःभरण किया जायेगा(लंबाई x चौड़ाई) Rs. 600/ मी के साथ 400 मीटर	2,40,000	
19.	कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए निकट ग्राम लिए LED डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी @500/LED X 50	25,000	
	<b>कुल योग</b>	<b>15,68,500</b>	<b>3,29,000</b>

4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 40,000 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
---------------------------------------	---------------

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

ग्राम <b>ताजपुर</b> के भासकीय विद्यालय मे अधो विकास हेतु पालक शिक्षक संग समिति मे राशि जमा कराई जायेगी ।	40,000
--	--------

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

क्र.सं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, सीताफल आदि	400
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, आदि ।	110
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, आदि	1890

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**51. Case No 11044/2023 Shri Sandeep Singh, Partner, M/s Chetak Stone Crusher, R/o Kotda Bujurg, Subh Health Centre, 1, Tehsil-Garoth, District-Mandsaur (MP)-458880, Prior Environment Clearance for Kotdabuzurg Stone Quarry in an area of 2.95 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 356/2), Village-Kotra Bujurg, Tehsil-Garoth, District-Mandsaur (MP) [450056] [DEIAA] (B2)**

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

पूर्व में यह प्रकरण सेक की 737वीं बैठक दिनांक 15/04/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

प्रस्तावित पत्थर एवं खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए का है, जिसमें आज दिनांक 20/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Sandeep Singh, Online** मेसर्स चेतक स्टोन क्वेशर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी, ऑनलाईन मेसर्स ए.जी.एस इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि, दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/S Chetak Stone Crusher, Village – Kottadda-Buzurg, Tehsil – Garoth, District – Mandsour (M.P)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	356/2 (शासकीय-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.950 hectare.	
स्थल	Village - Kottadda-Buzurg, Tehsil- Garoth, District – Mandsour (M.P.).		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 887 दिनांक 19/05/2023 के द्वारा स्वीकृत ।		
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष- 30/06/2023, क्षमता- पत्थर-10,000 घनमीटर/वर्ष,		
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हॉ/ना	डीएसआर हॉ/ना	पुनरीक्षित अक्षांश/देशान्तर
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-10,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 10,000 घनमीटर/वर्ष है ।		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा	पर्यावरण सलाहकार – नीरज प्रजापती, स्थल का नाम- कोटडा.बुजुर्ग,		

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

स्थल निरीक्षण	दिनांक- 30/03/2024
उत्पादन क्षमता	पत्थर-10,000घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 1775 दिनांक 30/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 4.950 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 1775 दिनांक 30/09/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) ) जिला मंदसौर के पत्र क्रमांक 1775 दिनांक 30/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत <b>कोटडाबुजुर्ग</b> जिला मंदसौर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 02 दिनांक 27/01/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>● लीज क्षेत्र में पेड़ है जिसे गैर खनन क्षेत्र के रूप में 0.40 हे. में छोड़ा है।</li> <li>● अन्य 8 पेड़ हमारे द्वारा काटे जायेंगे और उनके स्थान पर 80 पेड़ नॉन-माईनिंग एरिया में लगायें जायेंगे।</li> </ul>
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा- कच्चा रोड लगभग 165 मी. पर है।
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	07/12/2023

## 754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

3. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर खदान पत्थर—10,000 घनमीटर/वर्ष
4. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
5. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 14.24. लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.06 लाख प्रति वर्ष
- 7- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. "The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."

### 4. EMP Table (Capital & Recurring Cost)

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
<b>B. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	47,385	-
1(b)	Water requirement- 0.7995 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (400m in length × 6m in width)	1,50,000	20,000
<b>PLANTATION SCHEME</b>			
3.	b) Plantation within lease @ Rs. 200/plant.	900 plants × 200 <b>Rs=1,80,000/-</b>	15,000
	b) Plants to be distributed in nearby villagers: @ Rs. 50/plant.	800 plants × 50 <b>Rs=40,000/-</b>	

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

	<b>c ) Plantation Along the Approach Road @ Rs.300/plant</b>	<b>100 plants × 300 Rs=30,000/-</b>		
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garland Drain (1.5 m Wide &amp; 2 m Deep &amp; <b>4085m Long</b>)</li> <li>• Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area.</li> <li>• Settling Tank is of (4 m wide, 15m long &amp; 2.5 m deep).</li> </ul>		1,00,185	5,000
5	Wire fence ( <b>388 m</b> ) @200 rupees/meter.		1,34,600	5,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.		-	40,000
7	Drinking Water Facility for labor and staff (one water cooler/30-30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler).		10,000	2,000
8	Separate Toilets for Males and Females @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.		30,000	3,000
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		5,000	1,000
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 15 Labors -15 × 500 × 2 )		-	10,000
11	First Aid Box & Firefighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.		20,000	2,000
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 15 workers - 15 × 1500 )		15,000	2,000
13	Shelter rooms for labors (10*20 ft)=300 Square feet		60,000	5,000
14	Two dustbins & development of solid waste management system		5,000	2,000
15	Half yearly PUC certification for trucks @1000/truck (1 Trucks × 1000 × 2 times in a year)		-	2,000
16	Miscellaneous Expenses such as follows : 2. One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) 3. Display Board at mine entrance.		22,000	-
17	1. Slurry Management Equipment: A) Slurry Pump Rs. 1,20,000 B) 2 Washing Tank (i.e 50,000 x 2) Rs.1,00,000 C) Slurry Tank Rs. 50,000 D) 2 Water Pump (i.e 20,000 x 2) Rs. 40,000		3,10,000	20,000
18	For Carbon containment for distribution of LED bulb to villagers (676 LED Bulb x 100 Rs / Bulb)		67,600	

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

19	Crusher pollution control equipment	1,00,000	15000
<b>TOTAL</b>		<b>15,24,270 /-</b>	<b>1,48,000/-</b>

**CER Table**

8. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से 60,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम कोटडाबुजुग के शासकीय माध्यमिक शाला के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	60,000/-

9. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, सिड सोइंग, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	900
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	450
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरुद, मुनगा, पपीता, निंबू आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	2250
<b>योग</b>			<b>3600</b>

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 20 मई 2024**

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**52.Case No 11048/2023 Shri Pawan Bisen, Owner, R/o C.B. Raman Ward, Barapattar, District-Seoni (MP)-480661 Prior Environment Clearance for Alonia Crusher Stone Quarry in an area of 2.62 ha. (24510 cum per year) (Khasra No. 82/2), Village-Aloniya, Tehsil-Seoni, District-Seoni (MP) [451019] [DEIAA] (B2)**

प्रकरण सेक की 737वीं बैठक दिनांक 15/04/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अन्तर्गत द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 20.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक Pawan Bisen S/o Shree Kamal Bisen एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार जीनिथ एनवायरनमेंट कन्सल्टन्सी (वरुण भारद्वाज) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

**परियोजना विवरण :-**

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Lessee :- Pawan Bisen, S/o Shree Kamal Bisen, R/O: C.B Raman Ward Barapathar District: Burhanpur, District: Seoni & State – Madhya Pradesh
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	निजी 2.62 Ha.
स्थल	Village – Alonia & Tehsil – Seoni, District – Seoni (M.P)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सिवनी के पत्र क्रमांक 1001/ खनिज/उ.प./2017 सिवनी दिनांक 03.10.2017 के अनुसार स्वीकृत।
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	नहीं
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का उत्पादन क्षमता 24,510 घनमीटर/वर्ष
संशोधित माईनिंग प्लान का	नहीं

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

वर्ष, स्वीकृत क्षमता एवं वर्तमान में उत्पादित मात्रा।			
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हाँ	डीएसआर कोर्डिनेट्स नहीं है	
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है		
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम — प्रोजेक्ट साइट ( अलौनिया ) दिनांक - 14.04.2024		
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, सिवनी के पत्र क्रमांक 56/ खनिज/डिया NOC/ 2016 सिवनी दिनांक 21.07.2017 के अनुसार पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त ।		
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	B2 Case ( डिया प्रकरण )		
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर 24,510 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है।		
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 565/खनिज/2023 सिवनी दिनांक 13.10.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।		
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 565/खनिज/2023 सिवनी दिनांक 13.10.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है । (यदि 250 मीटर में वन क्षेत्र में स्थित है तो दी गई शर्तों का उल्लेख )		
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिवनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 565/खनिज/2023 सिवनी दिनांक 13.10.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा,		

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

	प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अलौनिया जिला सिवनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक दिनांक 19.02.2016 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
केशर की स्थिति (लीज के बाहर या लीज क्षेत्र के अन्दर )	लीज क्षेत्र पर क्रशर प्लांट प्रस्तावित नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	बेरीअर जोन में कुछ वृक्षारोपण किया है ।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण दिशा – 150 मीटर दूर दक्षिण दिशा में कच्चा रोड
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	डिया प्रकरण
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-76 के सरल क्रमांक- 72 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	B2 Case

उपरोक्त खदान को पूर्व में डिया जिला स्तरीय समिति द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी शर्तों के पालन प्रतिवेदन एवं अन्य बिन्दुओं के दृष्टिगत पुर्न मूल्यांकन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया है। समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई । समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई। (लगभग 20 प्रतिशत)
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान गई। स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई।

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	अपूर्ण पायी गई।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति।	अवलोकित नहीं हुई।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि बेरीअर जोन में कुछ वृक्षारोपण किया है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नककृए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर – 24510 घनमीटर/वर्ष है।
2. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
3. पिट्स में बैचेस/बेरियर जोन की स्थिति को रि-स्टोर किया जावे।
4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
5. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 8.20 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.78 लाख प्रति वर्ष।

**EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

ANNUAL EMP COST			
S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation.	50,000	10,000
1(b)	Cost of Water own (4000 liter capacity) 1 tanker x 300 Rs./per day X 250 days	Nil	75,000
2	Two Settling Tank [ 2.5m (W) x 10m (L) 2m (D) ] Garland drain [ 797m (L) x 2m (W) x 1.5 m(D) ]	1,19,550	10,000
3	Prepare & Maintenance of approach road (Max. Road length 610 m , Width 6.0m) 610 m @ 200Rs./Meter	1,22,000	2,000
4	Plantation (2620 plants will be planted & Distribution in the First year)	3,71,000	18,000
5	Wire Fence 797 m x 100Rs.	97,900	10,000
6	Pit re-storation	78,000	
<b>Labour Welfare</b>			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (25 x 15 feet)	10,000	1,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 2	10,000	5,000
8	Occupational health Survey 25 Labour @ 500 Rs. = 5,000 Rs./twice per year @500 x 2 x 25	Nil	25,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 25 labor @ 1000 Rs.	25,000	5,000
10	First Aid Kits , Number of kits 5	5,000	5,000
11	Fire Safety (1 nos.) , @ 10,000	10,000	1,000
<b>Solid Waste Management</b>			
a.	Bins 2 Nos.	500	5,000
b.	Pit and Composed	2000	
c.	Transport of Dry Waste	2000	
13	Vehicle Maintenance +PUC Certification	Nil	5,000
15	Signage and Caution Board	5,000	1,000
	<b>Total EMP Cost</b>	<b>8,95,950</b>	<b>1,78,000</b>

### 3. CSR Table

सी.स.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 30000 तथा सी.स.आर . में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :- (भू-पवेश होने के 03 माह में राशि जमा करेंगे।)

<b>कॉर्पोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व (सीईआर)</b>		
S. No.	Description	Cost to be incurred (in Rs/Year)

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

1.	शासकीय प्राथमिक शाला आलोनीया में 10 कुर्सिया की व्यवस्था	15,000
2.	आलोनीया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी अधिकारी के सलाह के अनुसार सामग्री का वितरण	15,000
<b>Total</b>		<b>30,000</b>

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2620 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

पौधों की कुल संख्या - 2620				
अवस्था	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियां	पौधों की संख्या	टिप्पणी
प्रथम वर्ष	बैरियर जोन	नीम खमेर, सिरस (काला और सफेद), जंगल जलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	250	<ul style="list-style-type: none"> <li>• पौधों से पौधों के बीच की दूरी 3 मी. एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2.5 मी. और गड्ढे का आकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवं गड्ढे में गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा।</li> <li>• परिनाली के निर्माण के दौरान निकली हुई मिट्टी में सूबबूल, नीम, बबूल, प्रोसोपिस और अन्य स्थानीय प्रजातियों के बीज बुवाई की जाएगी।</li> <li>• ट्रेंच 45 सेमी x 45 सेमी x 45 सेमी विकसित की जाएगी।</li> <li>• तार की बाड़ की सुरक्षा के साथ।</li> <li>• गारलैंड ड्रेन व सेटलिंग टैंक की बुंड पर बीज रोपण किया जाइएगा। रख रखाव लीज पीरियड तक किया जाएगा</li> </ul>
प्रथम वर्ष	परिवहन मार्ग	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	450	<p>परिवहन मार्ग के दोनों ओर एक पंक्ति में 4-5 फीट ऊंचाई पौधों के वृक्षारोपण किए जाएंगे।</p> <p>पौधों से पौधों के बीच की दूरी 3 मी. एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2.5 मी. और गड्ढे का आकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवं गड्ढे में गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा।</p> <p>पौधों की सुरक्षा हेतु प्रभावशाली 6 फीट ऊंचाई का ट्री गार्ड।</p>

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

प्रथम वर्ष	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्षा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	820	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ग्रामवासी इन पेड़ों को अपने खेतों की मेड़ पर लगाएंगे।</li> <li>• गड्ढे का आकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवं गड्ढे में गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा।</li> <li>• सुरक्षा हेतु तार की बाड़ की जावेगी।</li> </ul>
	ग्राम पंचायत आलोनीया के प्राथमिक शाला	कदम, नीम, खमेर, अशोक, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1100	<ul style="list-style-type: none"> <li>• गड्ढे का आकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवं गड्ढे में गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा।</li> <li>• सुरक्षा हेतु परिसर में बाउंड्री वाल की व्यवस्था है।</li> </ul>

In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity.

**"The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."**

**53. Case No 11043/2023 Shri Anil Yadav, Proprietor, R/o 228, Bedavali, Meghanagar, District-Jhabua (MP)-457779, Prior Environment Clearance for Madalda Crusher**

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

**Stone Mine in an area of 4.00 ha. (19000 cum per year) (Khasra No. 1191), Village-Madalda, Tehsil-Thandla, District-Jhabua (MP) [451907] [DEIAA] (B2)**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 20/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री अनिल यादव एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा.लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Anil S/o- Shri Chotelal Yadav Vill- Bedawali, Meghnagar Dist.- Jhabua (M.P)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	4.000 (Govt. land), (शासकिय भूमि-नॉन फॉरेस्ट लैंड,)	4.000 Ha
स्थल	Village- Madalda, Tehsil- Thandla, District -Jhabua, Madhya Pradesh	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ मध्य प्रदेश के पत्र 952/खनिज/2018 दिनांक 26/07/18 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन-19,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार 19,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 681 दिनांक 27/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः यह प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 681 दिनांक 27/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 681 दिनांक 27/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट 300 मीटर की दूरी पर स्थित है, पक्की सडक 50 मीटर एवं जलीय निकाय 200 मीटर की दूरी	

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

	पर स्थित है।, तथ शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मादलदा जिला झाबुआ के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 22 दिनांक 26/01/2018 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थान पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में कोई पेड़ नहीं है
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर-पूर्व दिशा- पक्की सड़क 50 मी. पर की दूरी पर स्थित है। 50 मी. का सेटबैक देते हुए सरफेस माप प्रस्तुत है।
	पश्चिम दिशा – तालाब 150 मी. की दूरी पर स्थित है।
	दक्षिण दिशा – आबादी 300मी. की दूरी पर स्थित है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	उक्त उत्खनिपट्टा नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में पेज न. 20 सरल क्रमांक 26 में सम्मिलित है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने परीक्षण के दौरान पाया कि पक्का रोड उत्तर दिशा में 50 मीटर एवं पश्चिम दिशा में तालाब 150 मीटर की दूरी पर स्थित है। स्थानवार मापदण्ड अनुसार सेटबैक छोड़ने पर खनन योग्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त स्थिति में बैठक के दौरान अनुरोध किया गया कि उक्त खनन कार्य रॉक ब्रेकर पद्धति से किया जाना प्रस्तावित है एवं किसी भी प्रकार का विस्फोटक इस्तमाल न करते हुये रॉक ब्रेकर का इस्तमाल किया जावेगा।

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि रॉक ब्रेकर से बिना किसी विस्फोटक के उपयोग से यदि तकनीकी रूप से तथा व्यवहारिक रूप से खनन किया जाना संभव हो तो इस पर खनिज अधिकारी परीक्षण कर माईनिंग प्लान में आवश्यक संशोधन करेंगे एवं इस बात का विशेष रूप से खनिज अधिकारी ध्यान रखेंगे कि क्या बिना ब्लास्टिंग के खनन कार्य किया जाना संभव है अथवा नहीं, तथा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने की स्थिति में बिना किसी ब्लास्टिंग के खनन कार्य किये जाने की सुनिश्चितता की जानकारी खनिज अधिकारी की होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत खनिज क्षेत्र

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

के बाहर लगाये जाने वाले बोर्ड पर अन्य जानकारी के साथ बड़े-बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखा हो, उक्त आशय का उल्लेख सुनिश्चित किया जावेगा।

समिति ने चर्चा उपरांत परियोजना प्रस्तावक के प्रस्ताव को मान्य करते हुये सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित रॉक ब्रेकर का संशोधित माईनिंग प्लान कार्यवाही विवरण जारी होने की दिनांक से 01 माह के अन्दर परिवेश पोर्टल अपलोड करने हेतु एडीएस जारी करें ।

**54. Case No 11057/2023 Shri Nihal Kathota, Partner, M/s Shree Ambe Stone Crusher, R/o Village-Rambhapur, Tehsil-Meghnagar, District-Jhabua (MP)-457779, Prior Environment Clearance for Avantkhedi Stone & M-Sand Mine in an area of 3.00 ha. (Stone-40000, M-Sand-11300 cum per year) (Khasra No. 420, 421,425, 426, 427/Min-2), Village-Anantkheri, Tehsil-Petlawad, District-Jhabua (MP) [452016] (B2)**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत नयी पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 20/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री निहाल कठोटा एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा.लि. लखनउ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	M/s Ambe Stone Crusher Partner- Shree Nihal Kathota R/o- Village Rambhapur, Meghnagar, Petlawad(M.P)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	420, 421, 425, 426, 427/min-2 (Govt. land), (शासकीय भूमि-नॉन फॉरेस्ट लैंड, )	3.00 Ha
स्थल	Village- Anantkhedi, Tehsil- Petlawad, Dist.- Jhabua, Madhya Pradesh	
लीज स्वीकृति	कार्यलाय कलेक्टर (खनिज शाखा) मध्य प्रदेश के पत्र 949/खनिज/2023 दिनांक 09/10/23 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 51,300 घनमीटर/वर्ष जिसमें स्टोन- 40,000 घनमीटर/वर्ष व एम- सेण्ड- 11,300 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार कुल 51,300 घनमीटर/वर्ष जिसमें स्टोन-	

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

	40,000 घनमीटर/वर्ष व एम- सेण्ड- 11,300 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 972 दिनांक 12/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य 01 खदान संचालित/स्वीकृत है, कुल क्षेत्र 5.00 हेक्टेयर है। अतः यह प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 972 दिनांक 12/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 972 दिनांक 12/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।  आवेदित क्षेत्र से नाला लगभग 900 मीटर नदी लगभग 200 मीटर जलाशय लगभग 500 मीटर एवं पक्की सड़क लगभग 20 मीटर की दूरी पर है
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत अनन्तखेडी जिला झाबुआ के ठहराव प्रस्ताव 19 दिनांक 16/08/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थान पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में कोई पेड़ कुल 14 पेड़ है जिसमें काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या 4 है काटे गये पेड़ के एवज में लगाये जाने वाले पेड़ों की संख्या 40 है।
	उत्तर- पूर्व दिशा- पक्की सड़क 80मी. की दूरी पर स्थित है। 20मीटर का सेटबैक देते हुए सरफेस मेप प्रस्तुत किया है जिसमें खनन योग्य क्षेत्र 1.35 हे. एवं गैर खनन क्षेत्र 1.65 हे. दर्शाया गया है।
	दक्षिण पश्चिम दिशा - पक्की सड़क 106 मी. की दूरी पर स्थित है।

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

	<p>प्रकृतिक नाला लीज क्षेत्र से होकर जा रहा है 50 मीटर का सेटबैक देते हुए सरफेस मैप प्रस्तुत है। उस एरिया को नॉन माइनिंग एरिया दिखाया गया है।</p> <p>जिसकी सुरक्षा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जायेगा तथा पानी का उपयोग धूल दमन में किया जायेगा।</p>
<p>प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति</p>	<p>कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 992 दिनांक 01/12/2023 अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल कर ली जायेगी है।</p> <p>समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 –जारीपत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।</p>

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता – कुल 51,300 घनमीटर/वर्ष जिसमें स्टोन- 40,000 घनमीटर/वर्ष व एम- सेण्ड- 11,300घनमीटर/वर्ष
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित है।
3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
6. In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity. **"The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."**

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

7. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 18.23/- एवं रिकरिंग राशि रु. 5.55/- प्रति वर्ष ।

SL.N	Particulars	Capital Cost (inRs.)	Recurring Cost (in Rs.)
<b>A. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road and water fogging system for dust suppression.	1,00,000	50,000
1 (b)	Cost of water of 3710ltr.@0.15 paisa/liter for 300 days)	NIL	1,66,950
2	Garland Drain is proposed (428mx 1.5mx1.5m) Settling tank is 15m x 4m x 1.5 (03no.)	1,00,000	20,000
3	Pucca (WBM) Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (130mx 5m) @100/sqm	65,000	6500
4	Barbed fencing (917m x Rs.300)	2,75,100	2,751
5	Plantation within 7.5 barrier zone @ Rs. 200/plant Total plantation -1000plants for One year 2600 xRs.200= Rs. 5,20,000/-	610,000	61,000
	Plantation within approach road@ Rs. 500/plant Total plantation - 90plants for one years 90 xRs.500= Rs 45,000/-		
	Plantation outside of lease @ Rs. 50/plant. Total plantation outside the lease area 900 Plants for one (900 XRs. 50)= Rs. 45,000/-		
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year	NIL	1,50,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler 15-16 labour @ Rs.10,000/cooler) & Rs.2000/year for maintenance	10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 3000/year for maintenance.	30,000	10,000

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

9	Medical Check-up for 15-16workers @500/worker (twice in a year)	NIL	15,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @25000X2 & Rs. 2000/year for Maintenance.	50,000	5,000
11	PPEs for other mining operations for 15 workers@ Rs. 1500/worker	22,500	2,250
12	Shelter rooms for labors (15*10) =150Square feet @Rs.800/square ft and gas cylinder with gas chulha .@9000	1,29,000	12,900
13	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year Maintenance.	10,000	2,000
14.	Half yearly PUC certification for 7 trucks @1000/truck	NIL	14,000
15	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha.	NIL	NIL
16	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & Maintenance (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc.	37,000	NIL
17	Wind breaking wall (04 meters height of MS Sheet) as crusher is proposed within the lease. (@ Rs. 3000/meter)	2,75,100	27,510
18	Vocational trainings for 15 workers (minimum @ Rs. 500 /labor)	NIL	7,500
19	Adoption of trees for carbon sequestration	90,000	
	Distribution of LED bulb for reduction of carbon emission.	20,000	
	<b>Total</b>	<b>18,23,700/-</b>	<b>5,55,361/-</b>

8. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
---------------------------------------	---------------

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

बच्चों की शिक्षा के लिए शासकीय विद्यालय में एक कंप्यूटर और एक प्रिंटर के कुर्सी और मेज की व्यवस्था हेतु शिक्षक पालक संघ के खाते में परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू प्रवेश के तीन महीने के अंदर राशि जमा करवाया जावेगा।	रु 50,000 / -
ग्राम अनंतखेड़ी में एक नया हैंडपंप के चारों तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की स्थापना प्रथम वर्ष में करवा दिया जाएगा।	रु 60,000 / -
गांव के किसान वासियों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जैविक खाद्य निर्माण एवं उपयोग के लिए सतत प्रशिक्षण प्रथमवर्ष में दिया जायेगा।	रु 50,000 / -
<b>योग</b>	<b>रु 1,60,000 / -</b>

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 3640 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कण	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन (7.5m)	सिस्सू, पीपल, कस्टार, खमेर, नीम चिरौल बबूल, और उपलब्ध देशी प्रजातियाँ।	1000
	व गैर खनन क्षेत्र	सिस्सू, पीपल, कस्टार, खमेर, नीम चिरौल बबूल, और उपलब्ध दे'ी प्रजातियाँ।	1650
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, कुसुम एवं अन्य स्थानीय	90

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

		प्रजातियाँ	
3	शास. अंकुर योजना के तहत बोरगांव बुजुर्ग ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरुद।	850
2	बोरगांव बुजुर्ग ग्रामवासियों में वितरण हेतु	कदंब, अमलतास, अ'गोक, नीम, कुसुम गुलमोहर।	50

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**55. Case No 11062/2023 Ms Gurjeet Keer, Lease Owner, R/o Makan No. 86, Lalbag Road, District-Burhanpur (MP)-450331, Prior Environment Clearance for Borgaon Buzurg Stone Mine in an area of 1.00 ha. (9500 cum per year) (Khasra No. 1545/3/2S), Village-Borgaon Buzurg, Tehsil-Pandhana, District-Khandwa (MP) [452658] (B2)**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत नयी पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 20/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमति गुरुजीत कीर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव मेसर्स एसीरीज इन्वायरोटेक इंडिया प्रा.लि. लखनउ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Smt. Gurjeet Keer W/O Shree Upendra Singh Keer R/o- Indar Bhavan, Dental College Ke Samne, Lalbagh Road, Burhanpur, (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	1545/3/2 (S) (Pvt. land), (निजी भूमि-नॉन फॉरेस्ट लैंड, )	1.00 Ha
स्थल	Village -Borgaon Buzurg, Tehsil-Pandhana, District -	

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

Khandwa, Madhya Pradesh	
लीज स्वीकृति	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल मध्यप्रदेश के पत्र 202-3/खनिज/2023 दिनांक 23/05/23 के द्वारा स्वीकृत।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रकरण।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन- 9,500 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार स्टोन- 9,500 है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 992 दिनांक 01/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य 01 खदान संचालित/स्वीकृत है, कुल क्षेत्र 3.00 हेक्टेयर है। अतः यह प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 992 दिनांक 01/12/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 992 दिनांक 01/12/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बोरगांव बुजुर्ग जिला खण्डवा के ठहराव प्रस्ताव 09 दिनांक 24/04/2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थान पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में कोई पेड़ नहीं है
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा- पक्की रोड, 317 मी. पर की दूरी पर स्थित है।
	उत्तर दिशा - कच्ची सड़क 196 मी. की दूरी पर स्थित है।
	उत्तर दिशा में अस्थायी हटमेन्ट है।

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

	दक्षिण पश्चिम दिशा – आबादी 337 मी. की दूरी पर स्थित है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 992 दिनांक 01/12/2023 अनुसार उक्त उत्खनिपट्टा नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल कर ली जायेगी है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 –जारीपत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता – 9,500 घनमीटर/वर्ष
2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित है।
3. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.33 /- एवं रिकरिंग राशि रू. 4.19 /- प्रति वर्ष।

SL.N	Particulars	Capital Cost (inRs.)	Recurring Cost (in Rs.)
<b>B. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1(a)	Water sprinkling though tanker sprinkling system both on haul road and transportation road and water fogging system for dust separation.	1,00,000	50,000
1 (b)	Cost of water of 2,000ltr.@0.15 paisa/liter for 300 days)	NIL	90,000

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

2	Garland Drain is proposed (389mx 1.5mx1.5m) Settling tank is 10m x 4m x 1.5 (02no.)	1,00,000	15,000
3	Pucca (WBM) Approach Road maintenance with Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc. (250mx 5m) @300/sqm	3,75,000	37,500
4	Barbed fencing (419m x Rs.300)	1,25,700	12,750
5	Plantation within 7.5 barrier zone @ Rs. 200/plant Total plantation –500 plants for One years 500 xRs.200= Rs. 1,00,000/-	1,80,000	18,000
	Plantation within approach road@ Rs. 500/plant Total plantation 100plants for one years100xRs.500= Rs 50,000/-		
	Plantation outside of lease @ Rs. 50/plant. Total plantation outside the lease area 600 Plants for one (600 XRs. 50)= Rs. 30,000/-		
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year	NIL	1,50,000
7	Drinking Water Facility for labour and staff (one water cooler 12-13 labour@Rs.10,000/cooler)&Rs.2000/year for maintenance	10,000	2,000
8	Separate Toilets for Male and Female @15000X2 and Rs. 3000/year for maintenance.	30,000	3,000
9	Medical Check-up for 12-13workers @500/worker (twice in a year)	NIL	13,000
10	First Aid Box & Firefighting equipment's @25000X2 & Rs. 2000/year for Maintenance.	50,000	2,000
11	PPEs for other mining operations for 12-13 worker@ Rs. 1,500/worker	19,500	1,950
12	Shelter rooms for labors (12*10)=120 Square feet @Rs.800/square ft and gas cylinder with gas chulha .@9000	96,000	9,600
13	Two dustbins & development of solid waste management system @ Rs. 5000/system and Rs. 2000/year Maintenance.	5,000	2,000
14.	Half yearly PUC certification for 3 trucks @1000/truck	NIL	6,000
15	Grazing Land development Rs. @ 5000 for mines up to 5.00 ha and Rs. 10,000 for mines>5.00 ha.	NIL	NIL

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

16	Miscellaneous Expenses such as for 02 solar lights, (@ Rs. 8000/light) Web site development & Maintenance (@ Rs. 5,000/mine) Web Camera (04), (per camera @ 3500) Display Board at mine entrance (@ 2000/board) etc.	37,000	NIL
17	Wind breaking wall (04 meters height of MS Sheet) as crusher is proposed within the lease. (@ Rs. 3000/meter)	75000	NIL
18	Vocational trainings for 12-13 workers (minimum @ Rs. 500 /labor)	NIL	6,500
19	Distribution of LED bulb for reduction of carbon emission.	30,000	
	<b>Total</b>	<b>12,33,200/-</b>	<b>4,19,300/-</b>

7. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रू. 70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
<ul style="list-style-type: none"> <li>ग्राम बोरगांव बुजुर्ग के अधोसंरचना विकास हेतु शिक्षक पालक संघ के खाते में परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू प्रवेश के तीन महीने के अंदर राशि जमा करवाया जावेगा।</li> </ul>	रू 70,000 / -
<b>योग</b>	<b>70,000 / -</b>

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कंप	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
-----	----------------------------------	---------------------	---------------------

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

1	बैरियर जोन	इमली, कटहल, आम, अमरूद, बेल, जामुन एवं अन्य फलदार स्थानीय प्रजातियाँ,	500
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, कुसुम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	100
3	शास. अंकुर योजना के तहत बोरगांव बुजुर्ग ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद।	580
2	बोरगांव बुजुर्ग ग्रामवासियों में वितरण हेतु	कचनार, पुत्ररंजीवा मौलश्री और कुसुम अन्य सजावटी पेड़ इत्यादि।	20
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोवाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।</p>			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**56. Case No 11042/2023 Shri Jagdish Prajapat, Owner, R/o Subhash Marg, Ranapur, Ward No. 07, Ranapur, District-Jhabua (MP)-457993, Prior Environment Clearance for Dungara Stone, M-Sand & Murrum Quarry in an area of 1.75 ha. (20000 cum per year) (Khasra No. 343), Village-Dungara, Tehsil-Ranapur, District-Jhabua (MP) [453604] [DEIAA] (B2)**

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

प्रकरण पूर्व की सेक की 737वीं बैठक दिनांक 15/04/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए

प्रस्तावित पत्थर, मुरम एवं एम-सेंड खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए का है, जिसमें आज दिनांक 20/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री जगदीश प्रजापत, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी, ऑनलाईन मेसर्स ए.जी एस. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि, दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Mr Jagdish Prajapat S/o Shri Chhaganlal Prajapat Village – Ranapur Tehsil – Ranapur District – Jhabua (M.P)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	343 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.750 hectare.	
स्थल	Village - Dungra, Tehsil - Ranapur, District - Jhabua (M.P)		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 12378 दिनांक 15/09/2023 के द्वारा स्वीकृत ।		
पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा ।	वर्ष- 23/10/2023, क्षमता- पत्थर-15,500 घनमीटर/वर्ष,		
स्वीकृत माईनिंग प्लान/डीएसआर अनुसार कोर्डिनेट्स मिलान की स्थिति	माईनिंग प्लान हॉ/ना	डीएसआर हॉ/ना	पुनरीक्षित अक्षांश/देशान्तर
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	सड़क से 200 मीटर के बाद खनन क्षेत्र के 0.5028 हेक्टेयर में ब्लास्टिंग द्वारा खनन किया जाएगा और शेष 0.7283 हेक्टेयर जो कि सड़क से 100 मीटर में गैर-विस्फोट द्वारा खनन किया जाएगा। गैर खनन क्षेत्र एवं 7.5 परिधि को छोड़ने के बाद। अतः कुल कार्य क्षेत्र 1.231 हेक्टेयर है		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।		
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	पर्यावरण सलाहकार – नीरज प्रजापती, स्थल का नाम- भुरीमाटी दिनांक-09/02/2024		

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-15,500 घनमीटर/वर्ष, मुरम- 1000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड- 3500 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर-15,500 घनमीटर/वर्ष, मुरम-1000 घनमीटर/वर्ष एवं एम सेंड- 3500 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1038 दिनांक 27/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 1 अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 3.750 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1038 दिनांक 27/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1038 दिनांक 27/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट लगभग 400 मीटर की दूरी पर, शैक्षणिक संस्था भवन लगभग 1.0 कि मी की दूरी पर, मन्दिर 1.0 कि.मी पर है। चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत भुरीमाटी जिला झाबुआ के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 1 दिनांक 12/04/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
ग्राम PESA के अन्तर्गत है या नहीं	नहीं।
क्रेशर की स्थिति	क्रेशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में 20 पेड़ है जिन्हे काटा नहीं जाएगा क्योंकि वे गैर खनन क्षेत्र में है
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा- पक्का रोड लगभग 90 मी पर है। जिससे 110 मीटर का सेटबैक दिया गया है। जिससे माईनिंग एरिया 0.7283 हे है एवं नौन माईनिंग एरिया 0.5028
सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने	12/12/2023

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

का दिनांक	
-----------	--

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता पत्थर खदान पत्थर—15,500 घनमीटर/वर्ष
2. खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
3. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
- 4- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity.

**"The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."**

5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 15.77 . लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 2.87 लाख प्रति वर्ष

**5. EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

S.No.	Particulars	Capital Cost (in Rs)	Recurring Cost (in Rs)
<b>C. FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION</b>			
1(a)	Water sprinkling through tanker sprinkling system both on haul road and transportation road.	46,665	-
1(b)	Water requirement- 0.7995 KLD, Cost of water (@ 0.15 paisa/liter) Assuming 300 working days.		
2.	Approach Road Maintenance, Speed breakers, Sign Boards, Reflectors, Development of T-Point etc (420 m in length × 6m in width)	1,50,000	20,000
3.	<b>PLANTATION SCHEME</b>		15,000
	c) Plantation within lease @ Rs. 200/plant.	600 plants × 200 Rs=1,20,000/-	
	b) Plants to be distributed in nearby villagers: @ Rs. 50/plant.	1200 plants × 50 Rs=60,000/-	

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

	<b>c ) Plantation Along the Approach Road @</b> Rs.300/plant	300 plants × 300 <b>Rs=90,000/-</b>		
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garland Drain (1.5 m Wide &amp; 2 m Deep &amp; <b>517 m Long</b>)</li> <li>• Prosopis seeds will be sown along the excavated garland drain in the mine lease area.</li> <li>• Settling Tank is of (4 m wide, 15m long &amp; 2.5 m deep)</li> </ul>		80,185	5,000
5	Wire fence ( <b>388 m</b> ) @200 rupees/meter.		1,02,400	5,000
6	Monitoring (AAQM, Noise & Water twice in a year) @ Rs. 40,000 for two locations/year.		-	40,000
7	Drinking Water Facility for labor and staff (one water cooler/30-30-50 labour @ Rs. 10,000/cooler).		10,000	2,000
8	Separate Toilets for Males and Females @15000× 2 and Rs. 3000/year for Maintenance.		30,000	3,000
9	Grazing Land development (Native palatable grass species Such as Dichanthium, Puniya (Sehima nervosum), Themeda etc. will be planted for grassland/fodder development on Charnoi Land.		5,000	1,000
10	Regular Medical Check-up of workers @500/worker (twice in a year) (For 15 Labors -15 × 500 × 2 )		-	20,000
11	First Aid Box & Firefighting equipments @20000 × 1 & Rs. 2000/year for Maintenance.		20,000	2,000
12	PPEs for other mining operations @ Rs. 1500/worker. (For 15 workers - 15 × 1500 )		30,000	2,000
13	Shelter rooms for labors (10*20 ft)=300 Square feet		1,00,000	5,000
14	Two dustbins & development of solid waste management system		5,000	2,000
15	Half yearly PUC certification for trucks @1000/truck (1 Trucks × 1000 × 2 times in a year)		-	1,000
16	Miscellaneous Expenses such as follows : 3. One solar light, (@ Rs. 8000/light) 2 Web Camera, (per camera.@3500 rupees) 3. Display Board at mine entrance.		22,000	-
17	2. Slurry Management Equipment: E) Slurry Pump Rs. 1,20,000 F) 2 Washing Tank (i.e 50,000 x 2) Rs.1,00,000 G) Slurry Tank Rs. 50,000 H) 2 Water Pump (i.e 20,000 x 2) Rs. 40,000		3,10,000	20,000
18	For Carbon containment adaptation of full-grown trees for 10 Years(708 Plants x 100 Rs / Plant)		67,600	67,600

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

19	Crusher pollution control equipment	1,50,000	50,000
20	Excess Route Made for Public use = Length X Width X Height of Road = 191 X6X0.5 = 573 m <sup>3</sup> x 300	1,71,900	20,000
<b>TOTAL</b>		<b>15,77,150 /-</b>	<b>2,87,000/-</b>

10. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 1.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
सी.ई.आर मद से 1,60,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम डुंगरा के शासकीय माध्यमिक शाला के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	1,60,000
जैविक खाद के साथ श्रीअन्न, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग एवं प्रोत्साहन प्रशिक्षण 6 माह में कृषि विज्ञान केंद्र में कराया जाएगा।	10,000

11. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 10 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2100 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	600
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरूद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1200
<b>योग</b>			<b>2100</b>

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गारलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड एवं अन्य उपलब्ध बीज रोपण हेतु उपर्युक्त स्थल जैसे झाड़ियों के बीच-बीच में आदि पर स्थानीय बीज बोबाई सीधे या सीडबाल बनाकर किया जावे तथा उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभावित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।</p>	

**अनुशंसा—** प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**57.Case No 11047/2023 Shri Sabir Hussain, Owner, R/o Hall Mukaam, Village-Abupura, Tehsil-Tal, District-Ratlam (MP)-457001 Prior Environment Clearance for Abupura Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (11400 cum per year) (Khasra No. 147), Village-Abupura, Tehsil-Tal, District-Ratlam (MP) [454255] [DEIAA] (B2)**

प्रस्तावित खदान बी-2 डिया श्रेणी के अंतर्गत नवीन पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 15.04.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री साबिर हुसैन ऑनलाईन जुड़े एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्री साबिर हुसैन पिता श्री फजरुद्दीन हुसैन नि:—ग्राम पावसर, तहसील हथीन जिला—पलवल	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	खसरा नं. 147 (सरकारी—नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.00 Hectare.
स्थल	Village -Abupura Tehsil - Tal, District- Ratlam (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 810/खनिज/2014-15 दिनांक 12/12/2014 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	डिया प्रकरण। B2	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 215/DEIAA/2016-17 दिनांक 31/05/2016 के द्वारा पत्थर-11,400 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।	
टॉर	लागू नहीं	

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर- 11,400 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार पत्थर 11,400 घनमीटर/वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2514/खनिज/2023-24 दिनांक 16.10.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य 01 उत्खनिपट्टा स्वीकृत है जिसका रकबा 2.00 हैक्टर है इस प्रकार कुल रकबा 4.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2514/खनिज/2023-24 दिनांक 16.10.2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2514/खनिज/2023-24 दिनांक 16.10.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेलवे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत आबपूरा जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 11 दिनांक 27.01.2014 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या-0
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्खनिपट्टे क्षेत्र के पूर्व दिशा में एक हॉल रोड रोड गुजर रही है
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-50 के सरल क्रमांक-104 पर दर्ज है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

	पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739 वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
जन सुनवाई	लागू नहीं

पूर्व में इस प्रस्तावित खदान का समिति की बैठक क्रमांक 737 दिनांक 15 अप्रैल 2024 को को प्रकरण लगा था जिसमें की परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित थे ।

तत्पश्चात परियोजना प्रस्ताव ने परिवेश पोर्टल पर ए.डी.एस के माध्यम से प्रकरण पुनः लगाने का निवेदन किया एवं प्रकरण आज दिनांक 20/05/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध है जिसमें साबिर हुसैन ऑनलाईन जुड़े, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्रीराम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आर.एन.सी, बड़ोदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया ।

समिति द्वारा ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा की गई ।

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	लगभग 55 प्रतिशत पायी गई ।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	अपूर्ण पायी गई ।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक की वर्तमान स्थिति	लगभग 25 प्रतिशत पायी गई ।
अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचेस की स्थिति ।	अवलोकित नहीं हुई ।
पौधारोपण की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र में लगभग 100 पेड़ लगाये गये एवं 100 पौधे ग्रामवासियों को बांटे गए
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य के अन्तर्गत प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता – Stone – 11,400 m<sup>3</sup>/Year.
2. डिया द्वारा जारी ई.सी की समस्त शर्तों का एवं उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
3. पुरानी ई.सी. की शर्तों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा कराया जाना सुनिश्चित करें।
4. माईन रिस्टोरेशन कार्य माईन प्लान के अनुसार 01 वर्ष में पूर्ण किया जावे तथा खनिज अधिकारी द्वारा इसकी पूर्णता की पुष्टि की जावे तथा सभी शर्तों का पालन न होने की स्थिति में सिक्योरिटी राशि से उक्त कार्य विभागीय स्तर से किया जावे।
5. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 8.89 लाख एवं रिकरिंग राशि रु.2.14 लाख प्रति वर्ष।

S NO.	Particulars	Budget Provisions (Rs)	
		Capital	Recurring
A.	<u>For environment Protection</u>		
1.	Hiring of water tanker (3,500L) for sprinkling facility for outgoing & incoming vehicle with pipeline @Rs 100/day (PP owned tanker) for 300 days.	-	30,000
2	Garland Drain (1.5 m Wide & 1.0 m Deep & 600 m Long) 1. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 2. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. 3. Settling Tank is of 4 m wide, 5 m long & 2.5 m deep. All settling tanks will be of double “S” pattern.	70,000	10,000
3	Contribution in maintenance of existing Road (Road length approximately 210m, Width 5.5 m. edge to edge excluding shoulder) (@Rs 250/m) with the provision of rumble strips & T junction where the approach road meets the main road.	52500	10,000
4	Monitoring twice a year AAQM @10000/yr, Water@5000/yr, Noise@3000/yr Soil@2000/yr	NIL	20,000
5.	Plantation (Total 1550 nos.)		

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

	A. Within Lease Area (In Barrier Zone) @150rs./tree 1st year -up to ~580m periphery of Mine lease boundary (580 nos.)	87,000	20,000
	B. Outside the Lease Area (along approach road and village area) - 1st year- 100 nos. on evacuation route both side (@ Rs. 500/tree) - 2nd year- 50 nos. at Govt. school @ Rs 150 (as boundary wall is present there) - 1st year- 1170 nos. for distribution by nearby villagers (@ Rs 50/tree)	50,000 7,500 58500	20,000
	C. Sowing of the Local seeds species , Dhatkumari slips, Prosopis seeds & Agew along the bund of proposed excavated garland drain & Settling tank.	6,000	1,000
	D. Soil & manure bought from out side @Rs 100/cubic meter, for plantation 0.343 cubic meter soil use for per tree. So 274.4 Cubic meter soil needed for no. of 800 trees	27,500	2,000
6	Total Wire Fencing = (~580 m long) - {55% completed=320m} (45% Remaining to be installed = 260 m @500 Rs./m)	1,30,000	10,000
	Wind breaking wall : Total 100m long (per sheet 4m high X 2m long) (@Rs 1000/sheet) & dust suppression systems (15,000)	50,000	-
7	PUC certification of vehicles (2 dumpers @ Rs 500 per dumper)	-	1000
<b>Labor Welfare</b>			
8	Maintenance existing Drinking Water Facility and rest shelter (20x 15 ft.) with solar light	10,000	5,000
9	Toilets 2 no. (Male & Female) (maintenance of existing)	10,000	5,000
10	Occupational health checkup for 8 workers (@twice/year)@ 1000 x 2 x 8	-	16,000
11	Provision of PPEs (helmets, safety shoes, safety glasses, gloves etc 8 x 2000) for workers. including 1 safety harness for the worker involved in blasting/drilling works - (@Rs 2000 per set)	18,000	5,000

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

Emergency Rescue Plan			
12	Fire Fighting Equipment (1 Nos.) @ 20000 / fire fighting and first aid @ 2000 per kit	22,000	5,000
13	Safety signage and warning boards like red flags, cones, reflectors etc.	8,000	2,000
Solid Waste Management			
15	a) Bins 2 Nos. @ Rs 1500 each	3,000	2,000
	c) Transport of Dry Waste	4,000	
16	Expenditure for the restoration activities at mine site.	15000	
17	Cost for the crusher pollution control equipment.	2,50,000	30000
18	Distribution of the Led bulb to the villagers 100 nos @Rs 100/bulb	10000	
	<b>Total</b>	<b>8,89,000</b>	<b>2,14,000</b>

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रू.में)
ग्राम आबुपुरा स्थित ग्राम पंचायत में ग्राम आंगनबाड़ी कल्याण हेतु अधोसंरचना ग्राम विकास योजना के अंतर्गत उल्लेखित राशी भू प्रवेश के 3 माह के अंदर प्रदान की जावेगी.	60,000/-
<b>कुल</b>	<b>60,000/-</b>

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 20 मई 2024**

1.	बैरियर जोन के अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- नीम , खमेर , सिस्सू , करंज, चिरोल , सफेद सिरिस, पीपल आदि	580
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदि ।	100
3	ग्राम आबुपुरा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पुत्रंजीवा मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	50
4	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल , जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि ।	1670
<p>उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांविता व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।</p>			

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**58. Case No 11054/2023 Shri Sanjay Paroha, Lease Owner, R/o Durga Chowk, Khirhni, District-Katni (MP)-483501 Prior Environment Clearance for Dhoori Fireclay Mine in an area of 3.810 ha. (25499 cum per year) (Khasra No. 2875/4, 2886, 2868/1, 2884/1/2, 2903, 2884/1/1/2, 2884/2), Village-Dhari, Tehsil-Bahoriband, District-Katni (MP) [453375] [DEIAA] (TOR)**

प्रकरण सेक की 737वीं बैठक दिनांक 15/04/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए ।

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

प्रस्तावित खदान आज दिनांक 20/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Sanjay Paroha, Lease Owner, R/o- Durga Chowk, Khirehni, District- Katni (M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	2875/4, 2886, 2902, 2868/1, 2884/1/2, 2903, 2884/1/1/2, 2884/2 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड भू-स्वामी की सहमति प्राप्त है) 3.810 hectare.
स्थल	Village- Dhoori, Tehsil- Sleemanabad, District- Katni (M.P.)
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 3903 दिनांक 24/03/22 द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा फायरक्ले-25499 TPA हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार फायरक्ले-25499 TPA है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1852 दिनांक 08/08/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में संचालित/स्वीकृत खदानों के रकबा को मिलाकर कुल रकबा 13.44 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1852 दिनांक 08/08/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1852 दिनांक 08/08/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत धूरी जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-1 दिनांक 07/07/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के पत्र क्रमांक 1631 दिनांक 08/07/22 अनुसार उक्त खदान को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।
---	--

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05/2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है।

**59. Case No 11016/2023 Shri Dharamedra Sengar, R/o Indra Nagar, Ward No. 26, District Shajapur , MADHYA PRADESH, 465001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.00 ha.(7600 cum per year) (Khasra No. 44), Village-Ninawad, Tehsil-Tarana, District-Ujjain (MP) [453338] (TOR)**

प्रस्तावित खदान समिति की पूर्व की 733वीं बैठक दिनांक 28/03/24 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर की अनुशंसा सिया को भेजी गई थी ।

सिया की 846वीं बैठक दिनांक 25/04/24 को उक्त प्रकरण में की गई अनुशंसा के कार्यवाही विवरण में उल्लेख अनुसार प्रकरण में डिया देवसा द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति पत्थर-1900 घनमीटर/वर्ष हेतु प्रदान की गई है । लेख है कि आवेदित प्रकरण जिला उज्जैन से संबंधित है एवं आवेदित उत्पादन क्षमता 7600 घनमीटर/वर्ष है । अतः प्रकरण में यदि उत्पादन क्षमता बढ़ायी जा रही है तो यह प्रकरण उत्पादन क्षमता विस्तार के अंतर्गत निर्णित होगा । अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु समिति को प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण समिति के समक्ष आज दिनांक 20/05/24 को रखा गया, जिमसे परियोजना प्रस्तावक Shri Dharamedra Sengar, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी, ऑनलाईन मेसर्स ए.जी. एस. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 20 मई 2024**

आज सेक की 754 वी बैठक दिनांक 20/05/2024 में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि यह प्रकरण टार का है जिसमें कलस्टर एरिया में आने के कारण इस केस को टोर में लिया गया है। आवेदित प्रस्ताव को पूर्व में डिया, उज्जैन से पर्यावरणीय स्वीकृति उत्पादन क्षमता 1900 पत्थर-1900 घनमीटर/वर्ष हेतु प्रदान की गई थी, वर्तमान में उत्पादन क्षमता विस्तार हेतु आवेदित क्षमता 7,600 घन मीटर प्रतिवर्ष के मांग कि गई है। यह केस हमारे द्वारा सिया में फ्रेस केस अपलाई किया गया है, जिसका परिवेश पोर्टल-I का प्रपोजल नं SIA/MP/MIN/453338/2023 है, इसे पोर्टल पर भी देखा जा सकता है।

अतः समिति द्वारा पर्यावरणीय सलाहकार के विवरण को मान्य करते हुये सेक पूर्व बैठक क्र0- 733 वी दिनांक 28/03/2024 मे क्षमता विस्तार हेतु टार हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखने का निर्णय लिया है।

**60. Case No 11051/2023 Shri P. Dubey, Partner, M/s White Minerals, Plot No. 186, Nalanda College, Mahaveer Nagar, District-Katni (MP)-483501, Prior Environment Clearance for Malhan Dolomite Deposit in an area of 2.90 ha. (82328 cum per year) (Khasra No. 341P, 342, 343P), Village-Malhan, Tehsil-Badwara, District-Katni (MP) [446516] [DEIAA] (TOR)**

प्रकरण सेक की 737वीं बैठक दिनांक 15/04/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए।

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 20/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Pushpraj Dubey, Partner, Shri M/s White Minerals, Plot No. 186, Nalanda College, Mahaveer Nagar, Katni, Madhya Pradesh - 483501	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	341(P), 342 & 343(P) (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड परियोजना प्रस्तावक की सहमति अपलोड नहीं है)	2.90 hectare.
स्थल	Village Malhan, Tehsil Badwara District Katni, (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र पृ. क्रमांक 5440-41 दिनांक 19/04/23 द्वारा स्वीकृत।	

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Dolomite-62328 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार Dolomite-62328 टीपीए है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1889 दिनांक 16/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 24.36 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1889 दिनांक 16/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1889 दिनांक 16/08/23 अनुसार आवेदित क्षेत्र के पश्चिम दिशा में 200 मीटर की दूरी पर सूखा तालाब बना है, जिसमें मात्र वर्षाकाल में बारिस का पानी भरा रहता है, शेष समय सूखा रहता है, 10 मीटर की दूरी पर ग्रामीण कच्चा रास्ता गुजरा है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में स्थित नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्रामसभा के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-2 दिनांक 22/05/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1889 दिनांक 16/08/23 अनुसार उक्त खदान को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक

754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 20 मई 2024

दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है।

**61. Case No 11050/2023 Shri Suresh Kumar Lease Owner, Ward No. 15, Punam Vihar Colony, Pahadiya Road, Jaora, District-Ratlam (MP)-457226 Prior Environment Clearance for Rojana Stone Mine in an area of 3.00 ha. (19000 cum per year) (Khasra No. 33/2), Village-Rojhana, Tehsil-Jaora, District-Ratlam (MP) [445846] [DEIAA] (TOR)**

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है।

**62. Case No 11052/2023 Shri Arvind Chauhan, Lessee, R/o Infront of the Bren Shoper Hostel, Gulab Nagar, Huzur, District-Rewa (MP)-486001 Prior Environment Clearance for Harraha Metal Stone Mine in an area of 1.00 ha. (8259 cum per year) (Khasra No. 29/1), Village-Harraha, Tehsil-Mauganj, District-Rewa (MP) [449226] [DEIAA] (TOR)**

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है।

**63. Case No 11131/2023 Shri Onkar Yadav, Lease Owner, R/o 55, Jawahar Marg, Kalka Mata Mandir ke Pass, Ward No. 14, District-Barwani (MP)-451551, Prior Environment Clearance for Lonsara Bujurg Stone Mine in an area of 2.00 ha. (14550 cum per year) (Khasra No. 101/1, 103/1, 105/1, 107/1), Village-Lonsara Buzurg, Tehsil-Barwani, District-Barwani (MP) [451341] [DEIAA] (TOR)**

प्रकरण के परीक्षण में पाया गया कि इसी प्रोजेक्ट को एक अन्य प्रकरण क्रमांक 11130/23 के द्वारा समिति की पूर्व की 742वीं बैठक दिनांक 26/04/24 को टॉर की अनुशंसा सिया को प्रेषित की जा चुकी है, के क्रम में इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित प्रतीत नहीं होती है।

**64. Case No 11014/2023 Shri Vinit Kumar Sharma R/o Gram Bhaisaravas, Tehsil Bhensarwas, District Ashoknagar , M.P, 473331, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.00 ha. उत्पादन क्षमता 10830 घन मीटर प्रतिवर्ष, खसरा क्रमांक 36, ग्राम बांसरा, तहसील शाडौरा जिला अशोकनगर म.प्र. (TOR)**

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है।

**65. Case No 11119/2023 Shri Pawan Patidar, Lessee, Yash Nagar, District-Mandsaur (MP)-458001 Prior Environment Clearance for Arniya Meena Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (6000 cum per year) (Khasra No. 1/2), Village-Arniya Mina, Tehsil-Malhargarh, District-Mandsaur (MP) [449538] [DEIAA] (TOR),**

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है।

**66. Case No 11056/2023 Ms. Raksha Malviya, Lessee, R/o 25, House No. 244, Ward No. 06, Near Desi Sharab Dukan, Nasrullaganj, District-Sehore (MP)-466331, Prior Environment Clearance for Chakaldi Stone Mine in an area of 1.30 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 54/1/1), Village-Chakaldi, Tehsil-Nasrullaganj, District-Sehore (MP) [451243] (TOR)**

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05 /2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है।

**67. Case No 11053/2023 Shri Binnen Shreenu, Lease Owner, R/o Prem Nagar, Khairabad, District-Hyderabad (TL)-500004 Prior Environment Clearance for Sarwani Khurd Stone Mine in an area of 1.750 ha. (15035 cum per year) (Khasra No. 169), Village-Sarwani Jagir, Tehsil-Ratlam, District-Ratlam (MP) [453959] (TOR)**

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05/2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है।

**68. Case No 11005/2023 M/s Om Granite, Prop. Shri Devendra Shivehare, R/o Village Churiyari, Tehsil Gaurihar, District Chhatarpur, MADHYA PRADESH, 471525 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (26864 cum per year) (Khasra No. 1361/1/2(P)), Village-Didwara, Tehsil-Laundi, District-Chhatarpur (MP) [450926] [DEIAA] (TOR)**

समिति ने प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया की दोनों खदाने ओवरलैप नहीं है बल्कि अगल बगल है अतः उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक दिनांक 17/05/2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है।

**69. Case No 11174/2024 Shri Aditya Soliwal, Partner, M/s Shreenathji Enterprises, R/o 12, Bhagat Singh Gali, Tehsil-Jawad, District-Neemuch (MP)-458330 Prior Environment Clearance for Kuchdod Stone (Gitti) Quarry in an area of 4.00 ha. (50000 cum per year) (Khasra No. 1000, 1093, 1101), Village-Kunchdod, Tehsil-Jiran, District-Neemuch (MP) [440542] (TOR)**

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व गौण खनिजों के टॉर प्रकरणों में सेक की 745 वीं बैठक दिनांक 30/04/2024 एवं सेक की 753 वीं बैठक

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

दिनांक 17/05/2024 में लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है।

**70. Case No. 9346/2022 Smt. Mamta Dwivedi, Owner, Amrit Colony Gandhi Nagar Mahoba District Mahoba (U.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.00 ha. (1,50,000 cum per annum) (Khasra No. 133 (P)) Village- Saila, Tehsil Maharajpur, District Chhatarpur (M.P.) (EIA)**

प्रकरण आज सेक की 754वीं बैठक दिनांक 20/05/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा।

**71. Case No. P-2/96/2024 Shri Rajesh Pareek, Authorized Person, M/s JAGANNATH MINING PRIVATE LIMITED, M.I.G. 31, Puneet Nagar, Kanchanpur, Adhartal Jabalpur (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 3.73 ha. (Laterite & Ochre-95,665 TPA) (Khasra No. 105, 96/2, 100/2, 102/2, 94,97/1,97/2,103/1,103/4,) VILLAGE- BINEKA, TEHSIL- SIHORA, DIST- JABALPUR (M.P.)**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 20-05-2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Rajesh Pareek, Authorized Person, M/s JAGANNATH MINING PRIVATE LIMITED, M.I.G. 31, Puneet Nagar, Kanchanpur, Adhartal Jabalpur (M.P.) एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार एक्रो डिजाइन, गाजियाबाद उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Rajesh Pareek, Authorized Person, M/s JAGANNATH MINING PRIVATE LIMITED, M.I.G. 31, Puneet Nagar, Kanchanpur, Adhartal Jabalpur (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	(निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड) कुल 9 खसरों में से 7 खसरे परियोजना प्रस्तावक की निजी भूमि है। शेष दो खसरे नंबर 94 एवं 97/1 अदिवासी की सहमति से प्राप्त की गई हैं। इस हेतु कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत होकर साक्ष्य की	3.73 hectare.

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

	कार्यवाही सिया की बैठक में प्रस्तुत करनी होगी।
स्थल	Village-Bineka, Tehsil- Sihora, District-Jabalpur(M.P.).
लीज स्वीकृति	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल म.प्र के पत्र क्रमांक 2900-01 दिनांक 13-03-2023 के द्वारा स्वीकृत।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग नहीं है।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	नया प्रोजेक्ट।
टॉर	B2 प्रोजेक्ट।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा औसतन उत्पादन क्षमता Laterite – Ochre-95,665 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार औसतन उत्पादन क्षमता Laterite & Ochre-95,665 टीपीए है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1284 दिनांक 29/12/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1284 दिनांक 29/12/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1284 दिनांक 29/12/23 अनुसार आवेदित एक 105 से लगकर पक्की सड़क है, जिसकी आवेदित अन्य खसरों 100 से 150 मीटर की दूरी है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बेला जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-7 दिनांक 14/04/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य का प्रस्ताव पारित।
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है
प्रस्तावि स्थत पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	<ul style="list-style-type: none"> <li>● लीज में स्थित पेड़ों का विवरण ( आम- 2, पलाश-09 तथा महानीम-08, कुल-19 पेड़)</li> <li>● लीज क्षेत्र में स्थित सभी मौजूद पेड़ गैर खनन क्षेत्र में होने के कारण किसी भी पेड़ का काटा नहीं जायेगा।</li> </ul>

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा— 15 मी की दूरी पर पक्की होने के कारण 85 मीटर का सेटबैक लिया गया है।
	पूर्व दिशा— 130 मीटर की दूरी पर तलाब है। ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं होने के कारण सेटबैक की आवश्यकता नहीं है।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक 1471 दिनांक 30/01/24 अनुसार उक्त खदान को नवीन डीएसआर में सम्मिलित कर लिया जावेगा ।

परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त जानकारी प्राप्त हो गई, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 20/05/24 को रखा गया, जिमसे परियोजना प्रस्तावक Smt. Mamta Dwivedi, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री सतवंत सिंह, ऑनलाईन मेसर्स Acro Design , gaziabad UP. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि सेक की 746वी बैठक दिनांक 01-05-2024 में यह पाया गया था कि KML में माइनिंग प्लान के एक **coordinate** नहीं होने के कारण माइनिंग प्लान के **coordinate** से मेल नहीं हो रहा था। अतः कमेटी ने निर्देश दिया था कि माइनिंग प्लान के **coordinate** पुनः सही करवा कर लाया जाये। इस हेतु पर्यावरण सलाहकार ने बताया कि माइनिंग प्लान में दिये गये **coordinate** खसरा नक्शा के अनुसार सही है परंतु KML में तुटीवश एक **coordinate** नहीं शामिल करने के कारण KML खसरा पेम से मेल नहीं खा रहा था। इस हेतु माइनिंग प्लान के अनुसार पुनः KML फाइल प्रस्तुत की गई जो की खसरा नक्शा तथा माइनिंग प्लान के अनुसार सही पाई गई।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक से निम्न जानकारी प्रस्तुत की गई

## Land Ownership Detail

S No.	Khasra No	Area	Ownership
1	94	0.200	Tribal land
2	97/1	0.230	Tribal Land
3	105	0.950	Jagannath Mining Pvt land
4	96/2	0.800	Jagannath Mining Pvt land
5	100/2	0.600	Jagannath Mining Pvt land
6	102/2	0.400	Jagannath Mining Pvt land
7	97/2	0.070	Jagannath Mining Pvt land
8	103/1	0.320	Jagannath Mining Pvt land
9	103/4	0.160	Jagannath Mining Pvt land

प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता Laterite – Ochre- 95,665 टीपीए
2. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-
  - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
  - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये।उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।

- 3- In case of change in ultimate pit block (Surface plan) due to setback imposed in accordance with order of NGT/CPC/M.P. MMR 1996 or any environmental sensitivity.

**"The PP should obtain Modified Mining Plan / Scheme of mining before opening of the mine of capacity approved in EC. The Environment Management Plan Geological Plan & Section, Development plan, Conceptual Plan should be accordingly revised in the approved Mining Plan /SOM by the competent authority with respect to year-wise production."**

4. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 5,67,000/- एवं रिकरिंग राशि रु. 1,71,000/- प्रति वर्ष ।

<b>ANNUAL EMP COST</b>			
<b>SNO.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Budget Provisions (Rs)</b>	
		<b>Capital</b>	<b>Recurring</b>
1(a)	Overhead water sprinkling facility with solar pump for outgoing and incoming transportation vehicles for haul and transportation.	30,000	5,000
1(b)	Cost of Water own(4000 liter capacity) 1/2 tanker/day x 500 Rs./per tanker X 300 days	Nil	75,000
2	Two Settling Tank [ 2.5m (W) x 10m (L) 2m (D) ] Garland drain [ 1400m (L) x 2m (W) x 1.5 m(D) ]	50,000	5,000
3	Monitoring twice a year (Air , Water & Noise twice a year)	Nil	40,000
4	Wire Fence 1400 x 300	4,20,000	10,000

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 20 मई 2024**

<b>Labour Welfare</b>			
6	Drinking Water Facility & Temporary rest shelter (15 x 15 feet)	10,000	2,000
7	Separate toilets for Male & Female No. of 2	2,000	1,000
8	Occupational health Survey 15 Labour @ 500 Rs. = 7500Rs./twice per year @500 x 2 x 15	Nil	15,000
9	PPES to Work (Helmet shoes, gloves, goggle etc.) , 15 labor @1000 Rs.	15000	2,000
10	First Aid Kits , Number of kits 15	15,000	5,000
11	Fire Safety (1 nos.) , @ 5,000	5,000	2,500
<b>Solid Waste Management</b>			
a.	Bins 2 Nos.	5000	5,000
b.	Pit and Composed	5000	
c.	Transport of Dry Waste	5000	
12	Vehicle Maintenance + PUC Certification	Nil	2,500
13	Signage and Caution Board	5,000	1,000
<b>Total EMP Cost</b>		<b>5,67,000</b>	<b>1,71,000</b>

5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
बेला शासकीय प्राथमिक शाला में डेस्कटॉप (प्रिंटर के साथ) की व्यवस्था	80,000
ग्राम बेला के पास स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी अधिकारी के सलाह के अनुसार सामग्री का	20,000

## 754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 मई 2024

निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव

पौधों की कुल संख्या – 4000				
अवस्था	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियां	पौधों की संख्या	टिप्पणी
प्रथम वर्ष	बैरियर जोन	नीम, खमेर, सिरस (काला और सफेद), जंगल जलेबी, आवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	600	<ul style="list-style-type: none"> <li>पौधों से पौधों के बीच की दूरी 3 मी. एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2.5 मी. और गड्डे का आकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवं गड्डे में गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा।</li> <li>परिनाली के निर्माण के दौरान निकली हुई मिट्टी में सूबसू, नीम, बबूल, प्रोसोपिस और अन्य स्थानीय प्रजातियों के बीज बुवाई की जाएगी।</li> <li>टैंक 45 सेमी x 45 सेमी x 45 सेमी विकसित की जाएगी।</li> <li>तार की बाड़ की सुरक्षा के साथ।</li> <li>गारलैंड ड्रेन व सेटेलिंग टैंक की बुंड पर बीज रोपण किया जाइएगा। रख रखाव लीज पौरियड तक किया जाएगा</li> </ul>

प्रथम वर्ष	गैर खनन क्षेत्र	नीम, खमेर, सिरस (काला और सफेद), जंगल जलेबी, आवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400	<ul style="list-style-type: none"> <li>पौधों से पौधों के बीच की दूरी 3 मी. एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2.5 मी. और गड्डे का आकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवं गड्डे में गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा।</li> <li>सुरक्षा हेतु तार की बाड़ की जावेगी।</li> </ul>
	परिवहन मार्ग	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	800	<ul style="list-style-type: none"> <li>परिवहन मार्ग के दोनों ओर एक पंक्ति में 4-5 फीट ऊंचाई पौधों के वृक्षारोपण किए जाएंगे।</li> <li>पौधों से पौधों के बीच की दूरी 3 मी. एवं पंक्ति से पंक्ति की दूरी 2.5 मी. और गड्डे का आकार 0.70मी. x 0.70मी. x 0.70मी. एवं गड्डे में गोबर की खाद और शेष मिट्टी से भरा जाएगा।</li> <li>पौधों की सुरक्षा हेतु प्रभावशाली 6 फीट ऊंचाई का टी गार्ड।</li> </ul>

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

**अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।**

**72. Case No. P-2/526/24 Shri Vijay Chaturvedi, Owner, Choube Mohalla, Rampurkalan, District-Morena (M.P.)- 476229 Prior Environment Clearance for Rampur Kalan Soil Quarry with a Production Capacity of 3,000 Cu.mt/year Soil at area is 1.31 (Private Land) in Khasra No. - 1001/1, 1132, Vill- RaamapuraKalan, Th.-Sabalgarh, District- Morena (M.P.). B2 Cat.**

प्रकरण आज सेक की 754वीं बैठक दिनांक 20/05/24 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

**73. Case No. 10756/2023 M/s ISMAIL AND SONS, SALES OFFICE :-Near Mission Chock , KATNI (M.P.) PIN Code :- 483501 Prior Environment Clearance for TIKARIYA BAUXITE, LIMESTONE & LATERITE Mine in an area of 16.187 ha. TIKARIYA BAUXITE, LIMESTONE & LATERITE- 102028 TPA & Waste- 6888 TPA) (Khasra No. 2/1 K, 2/2, 2/3 Kh, 2/5, 18/5 P, 55P) Village – Tikariya, Tehsil Murwara, Distt. Katni (M.P.) EIA Query reply**

1. परियोजना विवरण :-

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	<b>Lessee – M/s Ismail &amp; Sons</b>			
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	शासकीय 16.187	वन —	निजी —	Ha.- 16-187
स्थल	<b>Khasra No. No. 2/1क, 2/2, 2/3 ख, 2/5, 18/5 पी, 55 पी Village: Tikariya, Tehsil: Murwara, Dist. Katni (M. P.)</b>			
लीज स्वीकृति	<b>01/11/1975 to 31/10/2025</b>			
लीज का नवीनीकरण (यदि हो तो )	निरंक			

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

पूर्व स्वीकृत माईनिंग प्लान का वर्ष एवं तत्समय में उत्पादित स्वीकृत क्षमता एवं मात्रा।	बॉक्साइट, एवं लेटराइट की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता -102028 टीपीए एवं अपशिष्ट 6888 टीपीए
अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर का उल्लेख करें।	नान ब्लास्टिंग
प्रकरण की स्थिति	बी-1
पर्यावरण सलाहकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्थल निरीक्षण	स्थल का नाम - टिकरिया बॉक्साइट, और लेटराइट खदान दिनांक. 26.07.2023
टॉर यदि लागू हो तो विवरण दें।	टोर क्र. 2899 दिनांक 14/02/20224
उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष उत्पादन	बॉक्साइट, एवं लेटराइट की प्रस्तावित उत्खनन क्षमता -102028 टीपीए एवं अपशिष्ट 6888 टीपीए
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2207 दिनांक 25.09.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है,
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1401 दिनांक 12.01.2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2207 दिनांक 25.09.2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में स्थित पेड़ों की संख्या 46
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर दिशा - मानव बसाहट है। 300 मी. पर
	दक्षिण दिशा- मानव बसाहट है। 400 मी. पर
	पूर्व दिशा- मानव बसाहट है। 140 मी. पर
	पश्चिम दिशा- कुछ नहीं है। 250 मी. में

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

सिया में ईसी हेतु प्रकरण प्रस्तुत करने का दिनांक	
जन सुनवाई के प्रमुख बिन्दु (यदि लागू हो तो )	संलग्न है।

प्रस्तावित खदान समिति की पूर्व 747वीं बैठक दिनांक 02/05/2024 को प्रस्तुतीकरण हुआ था । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान में दिये गये कोर्डिनेट्स से भिन्न है, अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को-आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर समिति के समक्ष पुनः ऑन-लाईन (ए.डी.एस. के पश्चात्) प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये पुनर्मूल्यांकन से संबंधित है, जिसमें आज दिनांक 20/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री मनु वीर अग्रवाल, ऑनलाईन पावर आफ एर्टानी मेसर्स इस्माइल एण्ड संस एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार मुकेश कावरे उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में हमारे द्वारा SEAC की बैठक क्रमांक 747 दिनांक 2.05.2024 को प्रस्तुतीकरण किया गया था प्रस्तुतीकरण के समय खदान क्षेत्र के कॉर्डिनेट्स हमसे त्रुटि वश मेल नहीं हो रहे थे इस हेतु SEAC द्वारा ADS दिया गया था हमारे द्वारा ADS का जवाब ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर किया गया था इसके बाद SEAC की बैठक क्रमांक 754 दिनांक 20.05.2024 को प्रस्तुतीकरण के समय समिति के सम्मुख पूर्ण रूप से सभी कॉर्डिनेट का मिलान माइनिंग प्लान अनुसार किया गया है। समिति द्वारा माइनिंग प्लान के सही कोर्डिनेट्स के आधार पर प्रकरण का परीक्षण किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम उत्पादन क्षमता **BAUXITE, LIMESTONE & LATERITE- 102028 TPA & Waste- 6888 TPA** ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 1.96/- एवं रिकरिंग राशि रु. 1.02/ प्रति वर्ष ।

**EMP Table (Capital & Recurring Cost)**

S	Particulars	Budget Provisions (Rs)	Time frame
---	-------------	------------------------	------------

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

No.		Capital	Recurring	
1	Dust suppression Measures Water sprinklers from Mine site to approach road (400m)	40000.00	5000.00	from Day 1 of start of mine
2	Construction of approach road- 400m x 800	320000.00	10000.00	within 3 months
3	Garland drains 150m x 1.0m along with	15000.00	5000.00	within 6 months
4	Settling tank size of of 1.m x 1.5m x 1.0m with soak Pit of 1mdia x 1m depth	5000.00	2000.00	within 6 months
5	Wire fencing = 2400 m, Channel fencing	5000000	10000.00	within 3 months
6	Monitoring once a year AAQM 8500 WATER 5500 & NOISE 500	Nil	14500.00	6 monthly
7	Plantation 12000 @50	600000.00	10000.00	within 2 years
	Labor Welfare			
8	Drinking Water Facility and rest shelter (10 x 20 feet)	15000.00	1000.00	from Day 1 of start of mine
9	Toilets 1 nos @15000	15000.00	2000.00	within 3 months
10	Occupational health checkup in a year for 20 workers @twice/year @ 500 x 2 x 20	-	20000.00	6 monthly
11	Provision of PPES (Helmet shoes gloves goggles etc 20 x @1200 & Safety Belt= 1000 x 10= 10000)	34000.00	1500.00	from Day 1 of start of mine
12	Vocational Training Programme	8000.00	2000.00	6 monthly
13	Solid Waste Management			within 15 days
	Bins 1 Nos Rs @ 800 each	800.00	3300.0	
	Pit and Composed	2000.00		
	Transport of Dry Waste	500.00		
14	Vehicle Maintenance + PUC Certification @ 700/- per Vehicle (700 x 5)	-	3500.00	yearly
15	Signage & Caution Board	1000.00	500.00	from Day 1 of start of mine
16	other training program	-	2000.00	yearly
17	The budget for dewatering and silt management	15000.00	2000.00	after 1 year

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

18	Distribution of LED light for Carbon sequestration	25000.00	-	Within 6 months
19	The annual budget for soil management	-	5000.00	-
20	Re-grassing in the mined-out areas	-	5000.00	simultaneously
	Total	1596300.00	102300/-	

**CER Table**

क्रमांक	योजना	कार्य क्षेत्र	लागत (लाख)
1	प्राथमिक स्कूल टिकरिया में अधोसंरचना विकास हेतु राशी का प्रदान शिक्षक पालक संघ के खाते में राशी जमा की जायेगी।	ग्राम टिकरिया	250000 /-
	कुल		2,50,000 /-

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 18000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातिया	संख्या
1.	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- केथ, शीसम्, आवला, नीम, जंगल जलेबी, सिस्सू, चिरोल, सीताफल आदि।	8500
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- नीम, चिरोल, सिस्सू, कदम, सीताफल आदि।	1500
3.	समीपस्त पार्क, एवं प्राथमिक स्कूल टिकरिया एवं टिकरिया आगनवाड़ी में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आवला, कदम, जामुन, गुलमोहर, आम, मुनगा, कटहल, करंज आदि।	2000
5.	आस पास के रहवासियों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- मुनगा, आम, जामुन, सीताफल, अनार, कटहल, आमला आदि।	6000
	योग		18000

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाये एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

**74. Case No. 7675/2020 Shri Harsh V Trivedi, Partner, M/s A P trivedi sons, Ward No. 15, Opp. SBI Main Branch, Main Road, Balaghat (M.P.) Prior Environment Clearance for Manganese Ore Mine in an area of 45.538 ha. (Manganese Ore-91,756 TPA) (Khasra No. Compartment No. 404, 408 and Khasra No. 129, 143, 145, 147/2, 146/1-2, 147/1-3-4, 148, 152, 153, 387, 381, 382, 384, 385, 386, 388/1, 389/1, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 402, 403, 405 & 406, 407, 409, 410, 413, 414, 418, 411, 412, 417, 415/1, 415/2, 415/3, 416/3, 419/1, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428) Village Ramrama Tehsil Waraseoni District Balaghat (M.P.). (Amendment in EC)**

परियोजना प्रस्ताव को सिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 5598/2017 में पत्र क्रमांक 2061 दिनांक 09/09/19 के द्वारा मैग्नीज ओर-888 टीपीए एवं प्रकरण क्रमांक 7675/2020 में पत्र क्रमांक EC22B001MP161462 Date: 15/06/2022 के द्वारा मैग्नीज ओर-90668 एमटीपीए हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी ।

मध्यप्रदेश शासन ने पत्र क्रमांक 4451 दिनांक 15/09/23 के द्वारा पूर्व में सिया द्वारा जारी उपरोक्त पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लीजों के रकबा 43.086 एवं 02.452 को समामेलन कर कुल रकबा 45.538 है. किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक ने अनुमोदित खनन योजना योजना एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर पूर्व में जारी दोनों पर्यावरणीय स्वीकृतियों को समामेलन कर संशोधित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निवेदन किया है ।

चूंकि सिया के दो प्रकरण क्रमांक 5598/2017 एवं प्रकरण क्रमांक 7675/2020 के द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृतियाँ पृथक-पृथक जारी हुई है, में संशोधन से संबंधित है, अतः दोनों नम्बरों में से इस संशोधन हेतु प्रकरण क्रमांक 7675/2020 ही रखा गया है, जिसका प्रस्तुतीकरण आज दिनांक 20/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री हर्ष त्रिवेदी एवं श्री आशीष त्रिवेदी उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स Creative Enviro Services, Bhopal उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

This is a proposal of revalidation of environment clearance issued for both the mining lease i.e. 43.086 ha. (90868 TPA ) (Khasra No. 129, 143,145, 147/2, 146/1-2, 147/1-3-4, 148, 152, 153,387, 381, 382, 384, 385, 386, 388/1, 389/1, 390, 391,392, 393, 394,395,396,397,398,399,402,403,405 & 406,407, 409, 410, 413, 414, 418, 411,412,417, 415/1, 415/2, 415/3,416/3, 419/1,420, 421,422,423,424,425,426, 427,428) and 2.42 Hact ( 888 TPA) ( Compartment no 4040 and 408) at Village – Ramrama , Tehsil – Waraseoni , Dist. Balaghat (MP) and owned by **M/s A P Trivedi & Sons Balaghat (MP)** PP submitted that-

- Both the leases have been granted for Manganese ore excavation and validity of the both leases is from 01.07.1982 to 30 .06.2032. The lease of 43.086 hact have valid environment

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

clearance vide no EC22B001MP161462 dated 15.06.2022 whereas the lease of 2.42 ha. is obtained EC vide 2061/SEIAA/9 dated 09.09.2019 . Both the lease are in operation and adjacent to each with other.

- After Considering a the viability, an application were made for the amalgamation of both the lease area under latter received from DGMS vide no 380550 dated 28.03.2023 for single lease of 45.538 ha (43.086 ha + 2.452 ha) has been accepted and issued order by Department Of Mining, Govt of MP under section of 38,39 of Mineral Concession rule 1960 and 2016 vide order no. 4451/1477093/2023/122/01 dated 15.09.2023 for amalgamation of both leases. thus resources blocked in barrier zone and maintaining the bench slope for common area has been converted into reserves and it offers in enhancement of reserves also
- **Since there is no proposal of any change in lease area, enhancement in production, change in mineral, change in technology or in product mix, hence the fresh environment clearance is not envisaged for the proposal.**
- To provide support to the proposal, PP has closed hereby copy of minutes of 6<sup>th</sup> EAC meeting of MoEF & CC dated 23<sup>rd</sup>-24<sup>th</sup> May 2016 in case of M/s Rai Bahadur Seth Shree Ram Narsingh Das Pvt Limited, where EC was revalidated for the amalgamated leases. Similarly The case of Fortune stone Ltd Chhatarpur and were also amalgamated by the SEAc and SEIAA of MP

Following are the salient features of the proposal :

<b>Salient Features of Core Zone before amalgamation and after amalgamation</b>				
<b>Parameters</b>	<b>ML-43.086 Ha</b>	<b>ML- 2.452 Ha</b>	<b>Amalgamated ML -45.538 ha</b>	<b>Remark</b>
Promoter of the project	M/s A P. Trivedi Sons, Main road, Balaghat (MP)	M/s A P. Trivedi Sons, Main road, Balaghat (MP)	M/s A P. Trivedi Sons, Main road, Balaghat (MP)	No Change
Location	Village- Ramrama Tehsil- Waraseoni, Dist Balaghat (MP)	Village- Ramrama Tehsil- Waraseoni, Dist Balaghat (MP)	Village- Ramrama Tehsil- Waraseoni, Dist Balaghat (MP)	No Change
Forest Compartment	. 129, 143, 145, 147/2, 146/1-2,	404 and 408	. 129, 143, 145, 147/2, 146/1-2,	Forest Clearance have

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

Number/ Khasra No.	147/1-3-4, 148, 152, 153, 387, 381, 382, 384, 385, 386, 388/1, 389/1, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 402, 403, 405 & 406, 407, 409, 410, 413, 414, 418, 411, 412, 417, 415/1, 415/2, 415/3, 416/3, 419/1,420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428)		147/1-3-4, 148, 152, 153, 387, 381, 382, 384, 385, 386, 388/1, 389/1, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 402, 403, 405 & 406, 407, 409, 410, 413, 414, 418, 411, 412, 417, 415/1, 415/2, 415/3, 416/3, 419/1,420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428 & 404, 408	been obtained for 2.452ha
Environment clearance	EC22B001MP16 1462 dated 15.06.2022	2061/SEIAA/9 dated 09.09.2019	-	Revalidation is required
Production capacity T per annum	90868	888	91756	No change in production capacity
Lease period	50 Year from 30.06.2032	30Year from 30.06.2032	Upto 30.06.2032	No change in lease period
Land use of core zone	Pvt and govt. land	Govt. forest land	Pvt , govt. land & Govt. forest land	No change
Elevation of the site	342-336m AMSL	348-344m AMSL	348-336m AMSL	-
Type of Mine	Open Cast & Underground	Open Cast	Open Cast and underground	No change
Mining Lease Area	43.086 ha	2.452ha	45.538ha	Amalgamated area
Mineable Area	11.75 ha	2.00 ha	24.44ha	As per approved mine plan
Existing Pits & Quarries	11.40ha	0.05 ha	11.45ha	As per approved mine plan
Existing Dumps	4.50 ha	0	4.50	As per approved mine plan
Existing Plantation	14.30ha	0.1 ha	14.31ha	As per approved mine plan

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

Recoverable Reserve	703736T	14712T	767586 T	-
Method of mining	mechanised	Manual	mechanised	No change
Present depth	Upto 272m ANSL	4m bgl	-	No change
Ultimate Depth	Upto 255m AMSL	Upto 300m AMSL	-	No change
Ultimate Pit Slope	45°	45°	45°	No change
Stripping Ratio	1:7.3	1:7.3	1:7.3	No change
Existing mode to transportation	Road	Road	Road	No change
Area to be covered under dumps in conceptual period	13.4111ha	Nil	4.50ha	No change
Area covered under pit in conceptual period	11.75 ha	2.00 ha	24.44ha	As per approved mine plan
Area to be reclaimed by conceptual period	8.965 ha	1.9425 ha	24.44	As per approved mine plan
Area to be covered under plantation by conceptual period	24.645ha	2.00ha	24.645 ha	As per approved mine plan
Area to covered under water reservoir	1.50ha	0.4520ha	2.00ha	As per approved mine plan
Ground water table				
Monsoon period	313-310m AMSL	313-310m AMSL	313-310m AMSL	No Change
Dry month	305-303m AMSL	305-303m AMSL	305-303m AMSL	No Change

PP further submitted that the proposed project is an opencast as well as underground and fully mechanized mining project, where mining of Manganese will be done through drilling, Blasting, Jack hammer etc. along with associated activities viz physical beneficiation through screening, crushing, zigging, washing and after amalgamation the same method will continue.

Existing mining is being carried out by 'A' Category (Other than Fully Mechanized) using excavator cum loader (back hoe) drilling is being done with JH and wagon drill and after amalgamation the same method will continue.

- Lumps of Mn ore are being transported from pit bottom to surface mechanically. Regular use of explosive is being done in the area. From the loading point of view, mineral is transported by trucks/ dumpers to the user industries.
- Loading of mineral into trucks/dumpers is being done by loader and manually also.

Following control measures have been adopted for both leases:

#### **Air Pollution Control Measure**

- OB dumps are observed in near pit no. 3 and southern direction of the lease area. Which are stabilized with legumes and grasses and prevent the erosion of soil and arrest the dust emission during windy days.
- Water spraying is in practice over the muck pile and dumps to reduce the dust generation and same will be continue in future also; Provision has made for regular water spraying by tanker fitted system over haulage and village roads and same will be continue in future with increased frequency.
- Good plantation with 14000 numbers of trees has been developed along the mining lease boundary and along the haul roads.
- Periodic maintenance of haulage and village road is in practice
- At the unloading point of underground material, regular water spraying has been carried out.
- Crusher will be installed in the lease area with all supporting pollution control measures i.e. water spray arrangement on all transfer point and crushing point.
- Covered vibrating screen will be proposed for reducing of dust in atmosphere
- Use of wet drilling method like water injection system to reduce the dust emission and same will be continue in future also

## 754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 मई 2024

- About 1200 plants has been planted on both side of the existing unpaved road (1500m) in single rows at plant spacing of 2.5m.

### Water Pollution control measures

The area has a gentle topography and gradient of the area is observed towards the west, meeting to the Mahadeo Nalla. The Mahahdeo nalla is the main water course in the area for drainage. It flows in the NW direction and falls towards the west of the lease area. The slope of the nalla bed is about 1 in 1000. Besides these, there are streamlets flowing in nearby area of ML, which merges in to Mahadeo Nalla. The drainage pattern of buffer zone is studied and observed that the overall slope is towards in south direction. Following control measures have been observed adopted by the lessees for the existing operation which will continue in future also

- Good network of garland drain have been developed. Dumps have been provided with garland drains ending at settling pond/pit. Considering the expansion project, four garland is proposed
- Bunds have been provided to remove the suspended solids.
- The accumulated water is being provided to farmers of the area apart from other uses . Use of water is observed for dust suppression, wet drilling and green belt development in O/C and U/G mine
- Toilet facility has been provided near to the office
- Stone pitching and bund has been observed to control the soil erosion.
- It is proposed to make 29 number of settling pits within the garland drain and proposed to connect drains to large settling tanks through these pits to avoid silt discharge from open ended drains
- There are 6 settling tanks have been observed in lease area. The de-silted water will be drained to nalla . Another one settling tanks is proposed at southern part of lease area
- Entire water is re circulated in the zinging plant. The mud/ tails of the plant will be used with sand for backfilling at U/g Mines.

CAPACITY OF UNDERGROUND SUMP		
Sump no.	Details	Capacity
Underground sump no. 1	20mL X 5m W X 5m D	500.00KL
Underground sump no. 2	20mL X 5m W X 4m D	400.00KL

Dimension of water conservation tanks <sup>14</sup>					
S. No.	Location	Area in m <sup>2</sup>	Depth m	Average water	Storage capacity m <sup>3</sup>

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

				<b>column m</b>	
1	Near magazine	2500	6	5.42	13550
2	Near vertical soft	2500	3	2.75	6875
3	Near quarry/pit -3 area	264	3	2.88	760
4	Abundant mine pit in quarry-1	6859	40	17.32	118797
				<b>Total</b>	<b>139982</b>

**Green Belt Details**

<b>Year</b>	<b>Area (in hact )</b>	<b>Number of Plants</b>
Existing	14.30	14000
1 <sup>st</sup>	1.0	1500
2 <sup>nd</sup>	0.7	1400
3 <sup>rd</sup>	0.85	1450
4 <sup>th</sup>	0.85	1450
5 <sup>th</sup>	3	6000
6 <sup>th</sup>	3.2484	3370
7 <sup>th</sup>	1.5	2250
8 <sup>th</sup>	0.89	1780
9 <sup>th</sup>	4.3225	6700
10 <sup>th</sup>	4.3225	6700
11 <sup>th</sup>	11684	1670
<b>Total</b>	<b>24.645</b>	<b>30300</b>

**Details of Existing Plantation**

<b>S. No.</b>	<b>Year</b>	<b>No. of trees planted</b>	<b>Name of Species</b>	<b>Location</b>

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

1	2009	500	Teak	Near pit no. 1
2	2010	1000	Bamboo	Hiver Pit
3	2011	800	Teak and Bamboo	Dump area
4	2012	2500	Khmer & Eucalyptus	Dump area
5	2013	3000	Neem, Teak, Suababool	Near Magazine & R/Shaft
6	2014	2000	Neem, Teak, Suababool	Beside of Penditola road
7	2015	2000	Bamboo, Khmer & Eucalyptus	Beside of Penditola road
8	2016	500	Neem Teak, Suababool	Dump area
9	2017	500	Neem Teak, Suababool	Peripheral
10	2018	500	Neem Teak, Suababool	Beside of Penditola road
11	2019	500	Neem Teak, Suababool	Along The road
12	2020	200	Neem Teak, Suababool	Dump Area
<b>Total</b>		<b>14000</b>		

Phase	Name of Tree/shrub/Herbs	No. of Plants	Location	Remark
Along with mining operation	Neem, White Kastar, Babul, Gutmar Ki Bel, Chirol, Khamar and other local species etc. Row To Row Distance : 2.5 mtr Plant To Plant Distance 3 mtrs	<b>2250</b>	Dump area	Inside Fencing (Trench of 45 cm will be provided with channelling facility)
Along with mining operation	Agaive Americana, Teak, Khas Slips, Neem, Chirol, Subabul, Prosopis and other local species etc.	<b>1500</b>	Barrier zone and Along the garland drain ( 3 no)	Over heap and along the drain. Drain will be inside the lease area which will be fenced

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

Along with Mining Operation	Karanj, Jangal Jalebi, White Kastar, Neem, Chiroli, Katang Bans, Khamar, and other local species etc.	<b>12550</b>	Over bench area and backfilled area	Within lease area which will be fenced
1 <sup>st</sup> and 2 <sup>nd</sup> year	Karanj, Munga, Neeem, Chirol, Sitafal, Jamun and other local species etc.	<b>3200</b>	Road Side and For village distribution	With trees guard and 4ft saplings
	<b>Total</b>	<b>19500</b>		

Existing CER Activities

- **Bridge work at Nala :**

Estimated cost 1.25 lakh (Year 2009)

Village Ramrama faces severe floods problem as it is located at foothill consequently villages get cut off from main Road. To construct bridge, supply of filling material as well as Hume pipes were provided.

- **Donation of land for construction of Primary School within lease area**

Estimated cost 12.0 lakh

The land was allocated to construct Primary School at Ramrama Mine as well as regular maintenance is carried out to support local community.

Provision of chairs and tables at school - 1.50 lakh

- **Play Ground construction & maintenance**

Estimated cost: 0.25 lakh

The play ground is constructed by lessees and maintained on regular basis. Moreover games are organized on annual basis for local village as well as for worker

- **Making of road from Panditola to Shiv Mandir Pahadi**

(1.5 K.M: Estimate cost approx Rs. 2.0 lakh

- **Road construction from Nakatola to Penditola via Mine camp- 5.0 lakh**

Regular maintenance of road is under taken after rainy season, which include Murom laying and compacting work is carried out every year

- **Bore wells and hand pumps**

Estimated cost – 2 hand pump, 2 bore well: 1.0 lakh

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

The organization has under taken digging of bore wells as well as setting up of hand pumps at five different locations so as to facilitate clear drinking water.

- **Construction of water recharge pit cost – 0.10 lakh**

Mine management has provided bore wells to new office of mining department of gov. of MP – 0.38 lakh

- **Support for cultural event**

Estimated exp 0.50 lakh

Full support is provided to village organizing committee for various festival as well as fair organized locally.

- **Female Fetus killing awareness program in Gram Panchayat and nearby areas.**
- **Vehicle Assistance**

Estimated exp 0.25 lakh

Vehicle assistance is provided to seriously ill patient, so that they can be sent to district head quarter for treatment.

- **Pitching to prevent soil erosion**

Estimated exp 0.50 lakh

Trucks and tractors are deployed with boulders for bund formation during rainy reason to stop soil erosion and washing away of fertile soil.

- **Anti malaria spray work – 5000-6000/- per year**

The area is heavily infested by malaria so spray of pesticide to control spread of malaria is annually under taker.

- **Distribution of Bartan and other material to villagers of Sonewani and Silejhari village- 1.0lakh – year 2012-13**
- **Construction of Welfare centre for tribal population of area – 25.0 lacs**

The amount was provided to Gram Panchayat for executive welfare centre/ programme for tribal's.

- **Provision of Ambulance for villagers - Vehicle has already been made for transportation for place to hospital**
- **Provision of free health camp- every week at designated village – 0.25 lakh per quarter**
- **Construction and maintenance of road and stair of Mahadev Mandir – every year – approx 1.0 lakh**
- **Construction of toilet at Ramrama village - 3.0 lakh**
- **Donation of land for construction of new Primary School at gram panchayat Ramrama- Estimated cost 12.0 lakh**

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

- **To provide free medical check facility at Forest village Sonewani and Silejaroi – Weekly – Amount 12,500/- per month**
- **Construction of new School Building at Village Ramrama- year 2020 – 20.21 lakh**
- **About 3000 no of trees has been planted on 05.06.2021 at village Ramrama- 7.00 lakhs**
- **About 2000 trees has been planted along the Mahadeo Nalla with length of 2.50km – 2.00 Lakh- year 2021**
- **Total expenses made from 2015 to till date is about 146.21 Lacs on the CER aspects**

**Proposed CER Activities**

<b>PROPOSED CER BUDGET AND ACTIVITY</b>					
<b>SN</b>	<b>Plan</b>	<b>Budgetary provisions (Rs in lacs)</b>			
		<b>Ist Year</b>	<b>IInd Year</b>	<b>IIIRD Year</b>	<b>Total</b>
<b>3</b>	<b>Provision of solar panels at Balaghat Thana for making it Solar police station</b>	<b>05</b>	<b>05</b>	<b>-</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>Fund to Kanha National Park to address the carbon foot print</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>
	<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>05</b>	<b>-</b>	<b>20</b>

The EMP and other submissions made by the PP earlier were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for **Revalidation of Prior Environment Clearance in lieu of Amalgamation of Manganese ore Lease Area of 43.086 ha. (90868 TPA) (Khasra No. 129, 143,145, 147/2, 146/1-2, 147/1-3-4, 148, 152, 153,387, 381, 382, 384, 385, 386, 388/1, 389/1, 390, 391,392, 393, 394,395,396,397,398,399,402,403,405 & 406407, 409, 410, 413, 414, 418, 411,412,417, 415/1, 415/2, 415/3,416/3, 419/1,420, 421,422,423,424,425,426, 427,428) and 2.42 Hact ( 888 TPA) ( Compartment no 4040 and 408) at Village – Ramrama , Tehsil – Waraseoni , Dist. Balaghat (MP) subject to the following special conditions:**

**I. Statutory compliance:**

- I. This Revalidated Environmental Clearance (EC) is subject to orders/judgment of Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Court, Hon'ble NGT and any Court of Law, Common Cause Conditions as may be applicable.

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

- II. The project proponent complies with all the statutory requirements and Judgment of Hon'ble Supreme Court dated 2<sup>nd</sup> August, 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in matter of Common Cause versus Union of India & Ors before commencing the mining operations.
- III. The Revalidated Environmental Clearance shall become operational only after receiving formal NBWL Clearance from MoEF&CC subsequent to the recommendations of the Standing Committee of National Board Wildlife, if applicable to the project.
- IV. This Environmental Clearance shall become operational only after receiving formal Forest Clearance (FC) under the provision of Forest Conservation Act, 1980, if applicable to the Project.
- V. Project Proponent (PP) shall obtain Consent to Operate after grant of Revalidated Environmental Clearance and effectively implement all the conditions stipulated therein. The mining activity shall not commence prior to obtaining Consent to Establish/Consent to Operate from the concerned State Pollution Control Board/Committee.
- VI. The PP shall adhere to the provision of the Mines Act, 1952, Mines and Mineral (Department & Regulation, Act, 2015 and rules & regulations made there under PP shall adhere to various circulars issued by Directorate General Mines Safety (DGMS) and Indian Bureau of Mines from time to time.
- VII. The Project Proponent shall obtain consents from all the concerned land owners, before start of mining operations, as per the provisions of MMDR Act, 1957 and rules made there under in respect of lands which are not owned by it if applicable to the Project.
- VIII. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA.II(M) dated 29<sup>th</sup> October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" .
- IX. The project proponent shall obtain necessary prior permission of the competent authorities for drawl of requisite quantity of surface water and from CGWA for withdrawal of ground water for the project.
- X. A copy of EC letter will be marked to concerned Panchayat/local NGO etc. if any from whom suggestion/representation has been received while processing the proposal.
- XI. State Pollution Control Board/Committee shall be responsible for display of the EC letter at its Regional Office, District Industries Centre and Collector's office/Tehsildar's Office for 30 days.
- XII. The Project Authorities should widely advertise about the grant of this Revalidated Environmental Clearance letter by printing the same in at-least two local newspapers, one

of which shall be in vernacular language of the concerned area. The advertisement shall be done within 7 days of the issue of the clearance letter mentioning that the instant project has been accorded EC and copy of the EC letter is available with the State/Pollution Control Board/Committee and web site of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change ([www.environmentclearance.nic.in](http://www.environmentclearance.nic.in)). A copy the advertisement and may be forwarded to the concerned MoEF&CC Regional Office for compliance and record.

- XIII. The Project Proponent shall inform the MoEF&CC for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership of mining lease is transferred than mining operation shall only be carried out after transfer of EC as per provision of the Para-11 of EIA Notification, 2006 as amended from time to time.

## **II. Air quality monitoring and preservation**

- I. The Project Proponent shall monitor critical parameters, relevant for mining operations, of air pollution viz, PM10, PM2.5, NO2, CO and SO2 etc. covering the aspects of transportation and use of heavy machinery in the impact zone. The ambient air quality shall also be monitored at prominent places like office building, Canteen etc. as per the site condition to ascertain the exposure characteristics at specific places.
- II. Effective safeguard measures for prevention of dust generation and subsequent suppression (like regular water sprinkling, metalled road construction etc) shall be carried out in areas prone to air pollution wherein high levels of pM10 and PM2.5 are evident such as haul road, Loading and unloading point and transfer points. The Fugitive dust emissions from all sources shall be regularly controlled by installation of required equipments/machineries and preventive maintenance. It shall be ensured that air pollution level conform to the standards prescribed by the MoEFCC/Central Pollution Control Board.

## **III. Water quality monitoring and preservation**

- I. In case immediate mining scheme envisages intersection of ground water table, then Environmental Clearance shall become operational only after receiving formal clearance from CGWA. In case mining operation involves intersection of ground water table at a later stage, then PP shall ensure that prior approval from CGWA is in place before such mining operations. The permission for intersection of ground water table shall essentially be based on detailed hydro-geological study of the area.
- II. Project Proponent shall regularly monitor and maintain records w.r.t. ground water level and quality in an around the mine lease by establishing a network of existing wells as well

as new piezo-meter installations during the mining operating in consultation with Central Ground Water Authority /State Ground Water Department.

- III. The project proponent shall undertake regular monitoring of water quality upstream and downstream of water bodies passing within and nearby adjacent to the mine lease and maintain its records. It shall be ensured that no obstruction and/or alteration be made to water bodies during mining operations without justification and prior approval of MoEFCC. The monitoring of water courses/bodies existing in lease area shall be carried out four times in a year viz. pre-monsoon (April-May), monsoon (August) post monsoon (November) and winter (January) and the record of monitored data may be sent regularly to Ministry of Environmental, Forest and Climate Change and its Regional Office,
- IV. Project Proponent shall plan develop and implement rainwater harvesting measures on long term basis to augment ground water resources in the area in consultation with Central Ground Water/State Groundwater Department. A report on amount of water recharged needs to be submitted to Regional office MoEFCC annually.
- V. Industrial waste water (workshop and waste water from the mine) should be properly collected and treated so as to conform to the notified standards prescribed from time to time. The standards shall be prescribed through Consent to Operate (CTO) issued by concerned State Pollution Control Board (SPCB). The workshop effluent shall be treated after its initial passage through Oil and grease trap.

#### **IV. Noise and Vibration monitoring and preservation**

- I. The peak particle velocity at 500 m distance or within the nearest habitation, whichever is closer shall be monitored periodically as per applicable DGMS guidelines.
- II. The Project Proponent shall take measures for control of noise levels below 85 dBA in the work environment. The workers engaged in operations of HEMM etc. should be provided with ear plugs/muffs. All personnel including laborers working in dusty areas shall be provided with protective respiratory devices along with adequate training, awareness and information on safety and health aspects. The PP shall be held responsible in case in has been found that workers/personals/laborers are working without personal protective equipment.

#### **V. Mining plan**

- I. The Project Proponent shall adhere to the working parameters of amagamated mining plan which was submitted at the time of EC appraisal wherein year-wise plan was mentioned for total excavation i.e. quantum of mineral, waste, over burden, inter burden and top soil etc. NO change in basic mining proposal like mining technology, total excavation, mineral

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

& waste production, lease area and scope of working (viz, method of mining, overburden & dump management, O.B. & dump mining, mineral transportation mode, ultimate depth of mining etc) shall not be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, which entail adverse environmental impacts, even if it is a part of approved mining plan modified after grant of EC or granted by State Govt. in the form of Short Term Permit (STP), Query license or any other name.

- II. The Project Proponent shall get the Final Mine Closure Plan along with Financial Assurance approved from Indian Bureau of Mines/Department of Mining & Geology as required under the provision of the MMDR Act, 1957 and Rules/Guidelines made there under.
- III. The land-use of the mine lease area at various stages of mining scheme as well as at the end-of-life shall be governed as per the approved Mining Plan. The excavation vis-à-vis backfilling in the mine lease area and corresponding afforestation to be raised in the reclaimed area shall be governed as per approved mining plan.

**VI. Land Reclamation**

- I. The Overburden (O.B.) generated during the mining operations shall be stacked at earmarked OB dump site(s) only and it should not be kept active for a long period of time.
- II. The reclamation of waste dump sites shall be done in scientific manner as per the Approved Mining Plan cum progressive Mine Closure Plan for amalgamated lease.
- III. Garland drain and bund along with settling tank will be maintained in the boundary side and around dump to prevent siltation of low lying areas and in rush of water into the mine. Apart from Existing Garland drain , further drain will be provided of appropriate size
- IV. Apart from the existing settling tanks , further The settling tank will be two in number of size 60mL X 40mW X 5mD with 29 settling pit
- V. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
- VI. The top soil, if any, shall temporarily be stored at earmarked site(s) within the mine lease only and should not be kept unutilized for long.
- VII. The existing and proposed land use plan of the mine is as follows:

S. No.	Heads	At Present Ha.	At the end of conceptual period-Ha
1	Area Under Mining	13.75	24.44

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

2	Storage of Top Soil	-	-
3	Overburden Dump (S)	13.4111	4.50
4	Greenbelt	14.31	24.645
5	Tailing Pond(S)	-	-
6	Water reservoir	0.55	2.0
7	Un-worked area	4.2469	2.7069
8	Backfilled area	10.90	24.44
9	Dump area	3.80	5.30

## **VII. Transportation**

- I. No Transportation of the minerals shall be allowed in case of roads passing through Forest . In such cases, PP shall construct a ‘bypass’ road for the purpose of transportation of the minerals leaving an adequate gap (say at least 200 meters) so that the adverse impact of sound and dust along with chances of accidents could be mitigated. Vehicular emission shall be kept under control and regularly monitored. Project should obtain Pollution Under Control (PUC) certificate for all the vehicles from authorized pollution testing centers.
- II. The Main haulage road within the mine lease should be provided with a water sprinkling arrangement for dust suppression. Other roads within the mine lease should be wetted regularly with tanker-mounted water sprinkling system. The other areas of dust generation like crushing zone, material transfer points, material yards etc. should invariably be provided with dust suppression arrangements.

## **VIII. Green Belt**

- I. Peripheral plantation all around the project boundary shall be carried out using tall saplings of minimum 2 meters height of species which are fast growing with thick canopy cover preferably of perennial green nature. As proposed in the landscape plan & EMP a minimum of 30300 trees shall be planted in barrier zone, backfilled area and along the transportation route which is inclusive of the existing plantation of 14000.

- II. The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5 m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The proposed Green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of green belt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan.
- III. The Project Proponent shall carryout plantation/afforestation in backfilled and reclaimed area of mining lease, around water body, along the roadsides, in community areas etc by planting the native species in consultation with the State Forest Department/Agriculture Department/Rural development department/Tribal Welfare Department/Gram Panchayat

**IX. Public hearing and human health issues**

- I. The Project Proponent shall appoint an Occupational Health Specialist for Regular as well as Periodical medical examination of the workers engaged in the mining activities, as per the DGMS guidelines. The records shall be maintained properly.
- II. The proponent shall also create awareness and educate the nearby community and workers for sanitation, Personal Hygiene. Hand washing, not to defecate in open. Women Health and Hygiene. Hand washing, not to defecate in open. Women Health and Hygiene (Providing Sanitary Napkins), hazard of tobacco and alcohol use. The Proponent shall carryout base line HRA for all the category of workers and thereafter every five years.
- III. The Project Proponent shall ensure that Personnel working in dusty areas should wear protective respiratory devices and they should also be provided with adequate training and information on safety and health aspects.
- IV. The activities proposed in Action plan prepared for addressing the issues raised during the Public Hearing shall be completed as per the budgetary provisions mentioned in the Action Plan and within the stipulated time frame. The Status Report on implementation of Action Plan shall be submitted to the concerned Regional Office of the Ministry along with District Administration.

**X. EMP& Corporate Environment Responsibility (CER)**

- I. For Environment Management Plan PP has proposed Rs. 40.72 Lakhs as capital and Rs. 43.34 Lakhs as recurring cost for this project.
- II. For this project PP has proposed Rs 20 Lakhs as Corporate Environment Responsibility (CER) for remaining project component apart from he existing on going activities
- III. The activities and budget earmarked for Corporate Environmental Responsibility (CER) as per Ministry's O.M. No. 22-65/2017-IA.II(M) dated 01/5/2018 or as proposed by

754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 20 मई 2024

SEAC should be kept in a separate bank account. The activities proposed for CER shall be implemented in a time bound manner and annual and annual report of implementation of the same along with documentary proof viz. photography's. Purchase documents, latitude & longitude of infrastructure developed & road constructed needs to be submitted to Regional Office MoEF&CC annually along with audited statement.

- IV. Project Proponent shall keep the funds earmarked for environmental protection measures in a separate count and refrain from diverting the same for other purpose. The Year wise expenditure of such funds should be reported to the MoEFCC and its concerned Regional Office.

**XI. Miscellaneous**

- I. The Project Authorities should inform to the Regional Office regarding date of financial closures and final approval of the project by the concerned authorities and the date of start of land development work.
- II. The project Proponent shall submit six monthly compliance report on the status of the implementation of the stipulated environmental safeguards to the MoEFCC & its concerned Regional Office, Central Pollution Control Board and State Pollution Control Board.
- III. A separate 'Environmental Management Cell' with suitable qualified manpower should be set-up under the control of a Senior Executive shall directly report to Head of the Organization. Adequate number of qualified Environmental Scientist and Mining Engineers shall be appointed and submit a report to RO, MoEFCC.

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिंदु शुद्धिपत्र –

1.केस नम्बर-पी-2/503/2024

इस प्रकरण में एकल प्रमाण पत्र (कलेक्टर कार्यालय के पत्र क्रमांक 1650 दिनांक 21/11/2023 के अनुसार) रेत खनन क्षेत्र बान्धवगढ़ टाईगर रिजर्व के ईको सेंसिटिव जोन के अन्दर स्थित है ।

ईको सेंसिटिव जोन के अन्दर खनन पूर्णतया प्रतिबंधित है । बैठक क्रमांक 746 दिनांक 01/05/2024 में त्रुटिवश अनुशंसा की गई थी । अतः रेत खनन क्षेत्र ईको सेंसिटिव

754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 20 मई 2024

जोन में होने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति की पूर्व में की गई अनुशंसा निरस्त की जाती है ।

2.केस नम्बर-पी-2/515/2024

इस प्रकरण में एकल प्रमाण पत्र (कलेक्टर कार्यालय के पत्र क्रमांक 1648 दिनांक 21/11/2023 के अनुसार) रेत खनन क्षेत्र बान्धवगढ टाईगर रिजर्व के ईको सेंसिटिव जोन के अन्दर स्थित है।

ईको सेंसिटिव जोन के अन्दर खनन पूर्णतया प्रतिबंधित है । बैठक क्रमांक 746 दिनांक 01/05/2024 में त्रुटिवश अनुशंसा की गई थी । उप संचालक बान्धवगढ टाईगर रिजर्व के पत्र क्रमांक 2872 दिनांक 07/11/2023 के आधार पर रेत खनन क्षेत्रईको सेंसिटिव जोन में होने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति की पूर्व में की गई अनुशंसा निरस्त की जाती है ।

**3. Case No 10567/23 Shri Karan Singh Thakur, Director, PRATHVI INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED R/o- 23 Royal Residency Indore, District- Indore, M.P. Prior Environment Clearance for Stone, M-Sand, Murram in an area of 3.80 ha. (Stone – 50000 m3/Year, M-Sand – 50000 m3/Year and Murram – 15000 m3/Year) (Khasra No. 23, 24/3/2, 24/3/3, 25/3/2, 25/3/3, 31/3/2, 31/3/3), Village-Rawad, Tehsil-Depalpur, District-Indore (MP) EIA**

समिति के संज्ञान में आया कि कि प्रकरण समिति की 751वीं बैठक दिनांक 15/05/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है जिमसे उत्पादन क्षमता Stone (Gitti,) -10,000 Cu.mt/year & MSand 7,000 Cu.mt/year उल्लेखित हो गया था जबकि Stone – 50000 m3/Year, M-Sand – 50000 m3/Year and Murram – 15000 m3/Year होना चाहिए था ।

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 751वीं बैठक दिनांक 15/05/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित उत्पादन क्षमता Stone (Gitti,) -10,000 Cu.mt/year & MSand 7,000 Cu.mt/year के स्थान पर Stone – 50000 m3/Year, M-Sand – 50000 m3/Year and Murram – 15000 m3/Year पढ़ा जावे शेष अन्य अनुशंसा/शर्त यथावत रहेंगी।

**4. Case No P2/622/24 Shri GOURAV PAL, Lessee, R/o- 93 A, Vishwakarma Nagar Indore, District-Indore, M.P. Prior Environment Clearance for Stone in an area of**

754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 20 मई 2024

**4.50 ha. (Gitti –20,700 m<sup>3</sup>/Year, M-Sand –20000 m<sup>3</sup>/Year) (Khasra No. 62/1/2/2 ),  
Village-Dhureri, Tehsil-Depalpur, District-Indore (MP) TOR**

समिति के संज्ञान में आया कि कि प्रकरण समिति की 751वीं बैठक दिनांक 15/05/2024 को टॉर हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है जिमसे उत्पादन क्षमता Stone -50,000 उल्लेखित हो गया था जबकि Gitti –20,700 m<sup>3</sup>/Year, M-Sand –20000 m<sup>3</sup>/Year होना चाहिए था ।

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 751वीं बैठक दिनांक 15/05/2024 को पूर्व टॉर हेतु अनुशंसित उत्पादन क्षमता Stone -50,000 Cu.mt/year के स्थान पर Gitti –20,700 m<sup>3</sup>/Year, M-Sand – 20000 m<sup>3</sup>/Year पढ़ा जावे शेष अन्य अनुशंसा/शर्तें यथावत रहेंगी ।

**5. Case No. P2/599/24 Shri MANOJ TYAGI, Proprietor of M/s Shri Ram Stone  
Crusher, R/o- Patel ward Sadar Betul, Tehsil & District- Betul (M.P.) Prior  
Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.187 ha. (Ston 8,000 cum per  
annum) (Khasra No. 369/12, 369/4/2 & 369/4/1) Village Kolgaon Tehsil Betul ,  
District- Betul (M.P.). B-2**

समिति के संज्ञान में आया कि कि प्रकरण समिति की 751वीं बैठक दिनांक 15/05/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है जिमसे रकबा 1.18 हे. उल्लेखित हो गया था जबकि रकबा 1.187 हे. होना चाहिए था ।

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 751वीं बैठक दिनांक 15/05/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित रकबा 1.18 हे. के स्थान पर रकबा 1.187 हे. पढ़ा जावे शेष अन्य अनुशंसा/शर्तें यथावत रहेंगी ।

**6. Case No. P2/620/24 Shri PAPPU GOUD, Lessee, R/o- Village- Shankargarh Dewas,  
District- Dewas, M.P. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 3.00 ha.  
(Stone 6000 m<sup>3</sup>/Year, OB 3158 m<sup>3</sup>/Year) (Khasra No. 197/1), Village Khatamba,  
Tehsil Dewas, District Dewas (M.P.) TOR**

समिति के संज्ञान में आया कि कि प्रकरण समिति की 753वीं बैठक दिनांक 17/05/2024 को टॉर हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है जिमसे उत्पादन क्षमता Stone 6000 m<sup>3</sup>/Year, Murram OB 3158 m<sup>3</sup>/Year उल्लेखित हो गया था जबकि Stone 6000 m<sup>3</sup>/Year, OB 3158 m<sup>3</sup>/Year होना चाहिए था ।

754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक  
दिनांक 20 मई 2024

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 753वीं बैठक दिनांक 17/05/2024 को पूर्व टॉर हेतु अनुशंसित उत्पादन क्षमता Stone 6000 m<sup>3</sup>/Year, Murram OB 3158 m<sup>3</sup>/Year Stone -50,000 Cu.mt/year के स्थान पर Stone 6000 m<sup>3</sup>/Year, OB 3158 m<sup>3</sup>/Year पढ़ा जावे शेष अन्य अनुशंसा/शर्तें यथावत रहेंगी।

( ए.ए.मिश्रा )  
सदस्य सचिव

(डॉ. जय प्रकाश शुक्ला)  
को-चेयरमेन

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिंदु शुद्धिपत्र - दिनांक 20/05/2024

केस नम्बर-पी-2/503/2024


इस प्रकरण में एकल प्रमाण पत्र (कलेक्टर कार्यालय के पत्र क्रमांक 1650 दिनांक 21/11/2023 के अनुसार) रेत खनन क्षेत्र बान्धवगढ़ टाईगर रिजर्व के ईको सेंसिटिव जोन के अन्दर स्थित है ।

ईको सेंसिटिव जोन के अन्दर खनन पूर्णतया प्रतिबंधित है । बैठक क्रमांक 746 दिनांक 01/05/2024 में त्रुटिवश अनुशंसा की गई थी । अतः रेत खनन क्षेत्र ईको सेंसिटिव जोन में होने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति की पूर्व में की गई अनुशंसा निरस्त की जाती है ।

केस नम्बर-पी-2/515/2024

इस प्रकरण में एकल प्रमाण पत्र (कलेक्टर कार्यालय के पत्र क्रमांक 1648 दिनांक 21/11/2023 के अनुसार) रेत खनन क्षेत्र बान्धवगढ़ टाईगर रिजर्व के ईको सेंसिटिव जोन के अन्दर स्थित है ।

ईको सेंसिटिव जोन के अन्दर खनन पूर्णतया प्रतिबंधित है । बैठक क्रमांक 746 दिनांक 01/05/2024 में त्रुटिवश अनुशंसा की गई थी । उप संचालक बान्धवगढ़ टाईगर रिजर्व के पत्र क्रमांक 2872 दिनांक 07/11/2023 के आधार पर रेत खनन क्षेत्र ईको सेंसिटिव जोन में होने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति की पूर्व में की गई अनुशंसा निरस्त की जाती है ।

  
सदस्य/सचिव  
एसईएसी

  
सह-अध्यक्ष  
एसईएसी

## 754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 मई 2024

**Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:**

**Annexure- 'A'**

**Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:**

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June ) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi ) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
  - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
  - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned

## 754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 मई 2024

/ Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
  32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
  33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
  34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
  35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
  36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
  37. लीज क्षेत्र के अंदर में केवल केशर /एम-सेड प्लांट स्थित है, परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।
    - खनन क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
    - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
  38. केशर अथवा एम सेड प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है ,परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन करेगा।
    - परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/ एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
    - खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
    - म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
  39. यदि आवंटित खनन पट्टा भू-स्वामी की सहमति /अनुबंध पर हो तो परियोजना प्रस्तावत निम्न शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।
1. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-
    - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
    - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावे।

# 754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

## दिनांक 20 मई 2024

### Annexure- 'B'

#### Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries\*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4<sup>th</sup> or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All

## 754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 मई 2024

these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.

18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - j. Movable Potential of sand mine.
  - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
  - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
  - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
  - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
  - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.

## 754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 मई 2024

- v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
  - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
  - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
  - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and casualty replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
  33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
  34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
  35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
  36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
  37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) “from the river.....bank” shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
  38. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
  39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

### Annexure- ‘C’

### Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries\*

## 754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 मई 2024

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

- technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
  23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
  24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
  25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
  26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
    - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    - p. Movable Potential of sand mine.
    - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    - r. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
  27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
  30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
  31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.

## 754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 मई 2024

32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouring.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carried out every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

### **Annexure- 'D'**

#### **General conditions applicable for the granting of TOR**

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.

## 754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 मई 2024

6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.

**754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक**  
**दिनांक 20 मई 2024**

27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2<sup>nd</sup> August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
  - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
  - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
  - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
  - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
  - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for

## 754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 मई 2024

distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.

- ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- ✓ Commitment that high density plantation (preferably using “Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

**FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.**

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

**खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-**

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्टिचिंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4 :-** परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।
- नोट 5 :-** भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए ।
- नोट 6 :-** रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03-05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05-10 से.मी.

## 754 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 20 मई 2024

3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक ।	
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद	

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट - 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट - 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट - प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियाँ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी ।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Aquatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे